अध्याय – 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

पशुपालन तथा डेयरी विभाग

3.1 पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना तथा इसकी उपयोगिता

पशुपालन तथा डेयरी विभाग निधियों की उपलब्धता के बावजूद पशु–चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मूलभूत संरचना का सृजन करने में विफल रहा। आधुनिकीकरण परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना बंद कर दी गई। ₹ 1.79 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 19 मोबाइल निदान प्रयोगशाला वैन, निदान उपकरण न खरीदने के कारण अप्रयुक्त रही। पालतू पशु क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं देखी गई थी तथा वहां पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग था।

राज्य में मार्च 2015 तक 2,798 पशु–चिकित्सा संस्थाएं, 942 सरकारी पशु–चिकित्सा अस्पताल (स.प.चि.अ.), 1,813 सरकारी पशु–चिकित्सा डिस्पेंसरियां (स.प.चि.डि.), चार पोली क्लीनिक तथा 39 अन्य संस्थाएं थी।

2011–15 के दौरान विभाग ने ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि (ग्रा.मू.सं.वि.नि.) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.) के अंतर्गत अनुदान लेकर स.प.चि.अ., स.प.चि.डि., पोली क्लीनिकों तथा मोबाइल वैनों सहित पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया था। 2011–15 के दौरान ₹ 93.86 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरूद्ध चार स्कीमों[1] के अंतर्गत ₹ 50.75 करोड़ का व्यय किया गया था।

पशु–चिकित्सा मूलभूत संरचना के सृजन में दक्षता तथा इसके प्रभावी उपयोग का निर्धारण करने के उद्देश्य से जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 के दौरान महा–निदेशक (म.नि.), पशुपालन तथा डेयरी विभाग (प.डे.वि.), पंचकूला तथा जिला स्तर पर व्यय के आधार पर बिना परिवर्तन संभावित समानुपातिक आकार (सं.स.अ.) विधि–प्रयोग करके चयनित आठ उप–निदेशकों (उ.नि.)[2] के कार्यालयों में 2011–15 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना–जांच की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई प्रमुख कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(i) उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ग्रा.मू.सं.वि.नि. XVI के अंतर्गत आधुनिकीकरण परियोजना को बंद करना

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना (सितंबर 2010) के अनुसार 250 स.प.चि.अ. तथा

[1] (i) ग्रा.मू.सं.वि.नि.–XVI (₹ 7.81 करोड़); (ii) ग्रा.मू.सं.वि.नि.–XVI (2) (₹ 19.05 करोड़); (iii) ग्रा.मू.सं.वि.नि.–XVII (₹ 12.69 करोड़ एवं ₹ 9.41 करोड़); तथा (iv) रा.कृ.वि.यो. (₹ 1.79 करोड़)।

[2] (i) भिवानी, (ii) हिसार, (iii) झज्जर, (iv) कैथल, (v) नारनौल, (vi) रेवाड़ी, (vii) रोहतक तथा (viii) सोनीपत।

300 स.प.चि.डि. को ₹ 20.00 करोड़[3] का फर्नीचर तथा चिकित्सा उपकरण प्रदान करके आधुनिकीकृत किया जाना था जो मार्च 2013 तक पूरा किया जाना था।

महानिदेशक, प.डे.वि. के कार्यालय में अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि विभाग ने मार्च 2011 से मार्च 2012 के दौरान ₹ 4.09 करोड़ का फर्नीचर तथा ₹ 3.72 करोड़ के चिकित्सा उपकरण खरीदे। दिसंबर 2014 में जारी पूर्णता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना पूरी तरह से पूर्ण की जा चुकी थी तथा चिकित्सकीय एवं निदान उपकरण के संबंध में कोई शेष कार्य लंबित नहीं था। तथापि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि आवश्यक उपकरण तथा निदान उपकरण अर्थात् रेफ्रिजरेटर, कैस्ट्रेटर्ज तथा आटो एनालाइजर्स इत्यादि नहीं खरीदे गए थे। इस प्रकार, आवश्यक उपकरण की खरीद न करने से नमूनों का परीक्षण तथा विश्लेषण प्रभावित हुआ और स.प.चि.अ./स.प.चि.डि. के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.) ने बताया (दिसंबर 2015) कि उच्चतर लागत के कारण अपेक्षित 250 आटो एनालाइजर्स की बजाए केवल 17 आटो एनालाइजर्स खरीदे गए थे तथा इन उपकरणों की हाई-थ्रूपुट प्रकृति के कारण संपूर्ण जिले में उपयोग हेतु एक उपकरण पर्याप्त था। यह आगे बताया गया था कि स.प.चि.अ./स.प.चि.डि. के हार्डनिंग हेतु अपेक्षित अधिकतर उपकरण/उपस्कर इन संस्थानों को आपूरित कर दिए गए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि उप-निदेशक, जिला रोग निदान प्रयोगशाला कैथल, हिसार तथा रोहतक के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2015) ने दर्शाया कि तीनों आटो एनालाइजर्स सहायक उपकरणों जैसे आवश्यक किटें, लैपटाप इत्यादि की आपूर्ति न करने के कारण प्रयोगशाला में अप्रयुक्त पड़े थे। परिणामस्वरूप रक्त[4] के प्रमुख चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किए जा सके (दिसंबर 2015)। सोनीपत जिले में आटो एनालाइजर के माध्यम से 2014-15 के दौरान केवल 35 नमूनों की जांच की गई, तत्पश्चात् परीक्षण किटों की अनुपलब्धता के कारण कोई परीक्षण नहीं किया जा रहा था। इन जिलों के नौ स.प.चि.अ. तथा स.प.चि.डि. की नमूना-जांच ने दर्शाया कि उन्हें आवश्यक उपकरण/उपस्कर/फर्नीचर मदें[5] आपूरित नहीं की गई थी। इस प्रकार, उपकरण/उपस्करों की खरीद न करने से स.प.चि.अ./स.प.चि.डि. के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का मूल उद्देश्य विफल हुआ जबकि ग्रा.मू.सं.वि.नि. से सहायता उपलब्ध थी।

(ii) ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि XVI-2 तथा ग्रामीण मूलभूत संरचना विकास निधि XVII के अंतर्गत अपूर्ण परियोजनाएं

राज्य सरकार ने 79 स.प.चि.अ., 103 स.प.चि.डि. के पुनर्निर्माण तथा दो पोली क्लीनिकों के निर्माण के लिए ₹ 35.61 करोड़[6] तथा ₹ 33 करोड़[7] की परियोजनाओं को क्रमश: मार्च 2011

3 चिकित्सा उपकरण ₹ 5.60 लाख x 250 + ₹ 0.50 लाख x 300 = ₹ 15.50 करोड़; फर्नीचर: ₹ 1.20 लाख x 250 + ₹ 0.50 लाख x 300 = ₹ 4.50 करोड़।

4 कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियेम, जिंक तथा मिनरल एस्टिमेट इत्यादि।

5 प्रयोगशाला उपकरण सैट, डिस्टीलेशन सैट, ई.एस.आर. आपरेटस, हीमोसाइटोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर, आपरेशन टेबल, हॉट एअर ओवन, किडनी ट्रे, इनेमीलेड ट्रे, कैस्ट्रेटडर्ज एंड बी.पी. ब्लेडस तथा माउथ गेजिज इत्यादि।

6 ₹ 35.61 करोड़ = ₹ 10.89 करोड़ (33 स.प.चि.अ. x ₹ 33 लाख प्रत्येक) + ₹ 24.72 करोड़ (103 स.प.चि.डि. x ₹ 24 लाख प्रत्येक)।

7 ₹ 33.00 करोड़ = ₹ 15.18 करोड़ (46 स.प.चि.अ. X ₹ 33 लाख प्रत्येक) + ₹ 17.82 करोड़ (जींद तथा रेवाड़ी में पोली क्लीनिक प्रत्येक के लिए ₹ 8.91 करोड़)।

तथा मार्च 2012 में अनुमोदन दिया। दोनों परियोजनाएं नाबार्ड से ₹ 54.25 करोड़ का ऋण, भारत सरकार से ₹ 11.50 करोड़ का अनुदान तथा राज्य निधियों से ₹ 2.86 करोड़ लेकर क्रमश: मार्च 2014 तथा मार्च 2015 तक पूर्ण की जानी थी। पुनर्निर्माण/निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) (लो.नि.वि. (भ. व स.) तथा हरियाणा पुलिस आवास निगम (ह.पु.आ.नि.) के माध्यम से निष्पादित किया गया था तथा निधियां मार्च 2011 तथा जुलाई 2014 के मध्य आबंटित की गई थी। स.प.चि.अ., स.प.चि.डि. तथा पोली क्लीनिकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

	ग्रा.मू.सं.वि.नि. - XVI-2								ग्रा.मू.सं.वि.नि. - XVII							
कार्यान्वयन एजेंसी	आबंटित निधियां (₹ करोड़ में)	2011-15 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	लक्ष्य		उपलब्धि		शेष		आबंटित निधियां (₹ करोड़ में)	2011-15 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	लक्ष्य		उपलब्धि		शेष	
			स.प.चि.अ.	स.प.चि.डि.	स.प.चि.अ.	स.प.चि.डि.	स.प.चि.अ.	स.प.चि.डि.			स.प.चि.अ.	पो.क्ली.	स.प.चि.अ.	पो.क्ली.	स.प.चि.अ.	पो.क्ली.
लो.नि.वि. (भ. व स.)	13.31	12.95	33	10	27	08	6	2	6.00	9.41	-	2	-	2	-	-
ह.पु.आ.नि.	5.76	8.09	-	25	-	24	-	1	12.69	11.30	44	-	33	-	11	-
कुल	**19.07**	**21.04**	**33**	**35**	**27**	**32**	**6**	**3**	**18.69**	**20.71**	**44**[8]	**2**	**33**	**2**	**11**	**-**

स्रोत: पशुपालन तथा डेयरी विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

(क) ग्रा.मू.सं.वि.नि. XVI-2 के अंतर्गत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि भारत सरकार से ₹ 5.72 करोड़ की प्राप्ति न होने के कारण 68 स.प.चि.डि. में पुनर्निर्माण का कार्य रोक दिया गया था। लो.नि.वि. (भ. व स.) को आबंटित 43 निर्माण कार्यों (33 स.प.चि.अ. तथा 10 स.प.चि.डि.) में से 35 निर्माण कार्य (27 स.प.चि.अ. तथा 8 स.प.चि.डि.) उपलब्ध ₹ 13.31 करोड़ में से ₹ 12.95 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् पूर्ण किए गए थे। एक स.प.चि.अ. (सयाना-नारनौल) का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन था। यद्यपि शेष सात निर्माण कार्यों (पांच स.प.चि.अ.[9] तथा दो स.प.चि.डि.[10]) के लिए निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई थी किंतु इन शेष कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी। ह.पु.आ.नि. ने भी एक स.प.चि.डि.[11] का कार्य शुरू नहीं किया था। अत:, 33 स.प.चि.अ. तथा 103 स.प.चि.डि. (35 स.प.चि.डि. + 68 स.प.चि.डि.) के पुनर्निर्माण के विरूद्ध दिसंबर 2015 तक केवल 27 स.प.चि.अ. (81 प्रतिशत) तथा 32 स.प.चि.डि. (31 प्रतिशत) का पुनर्निर्माण किया गया है। परिणामस्वरूप लाभार्थी, योजना के वांछित लाभों से वंचित रहे।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि ₹ 5.72 करोड़ की राशि के केन्द्रीय हिस्से को जारी न करने के कारण कार्यों के निष्पादन विलंबित/छोड़े गए थे। तथापि, लाभार्थियों को पशु-चिकित्सा स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवाएं नजदीकी वैकल्पिक स्थानों में बनाए गए पशु-चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जा रही थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने अपूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) के प्रस्तुतिकरण के कारण निधियां जारी नहीं की। आगे, पशु-चिकित्सा सेवाएं जीर्ण-शीर्ण मूलभूत संरचना से कार्यान्वित नहीं की जा सकती (दिसंबर 2015)।

[8] 46 स.प.चि.अ. में से दो स.प.चि.अ. के निर्माण कार्य विभाग द्वारा आबंटित नहीं किए गए थे।

[9] रेवाड़ी-स.प.चि.अ. खिजुरी, मनेठी, तुमाणा, उस्मापुर तथा झोलरी।

[10] जिला रेवाड़ी का स.प.चि.डि. कोसनीवास तथा हुसैनपुर।

[11] स.प.चि.डि. कुमासपुर (सोनीपत)।

(ख) ग्रा.मू.सं.वि.नि. XVII के अंतर्गत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि परियोजना के अंतर्गत चिन्हिकृत कुल 46 स.प.चि.अ. में से दो स.प.चि.अ.[12] के निर्माण कार्य अब तक (दिसंबर 2015) किसी भी निष्पादन एजेंसी को आबंटित नहीं किए गए थे। शेष 44 स.प.चि.अ. के कार्य ह.पु.आ.नि. को आबंटित किए गए हैं जिनमें से 33 स.प.चि.अ. दिसंबर 2015 तक पूर्ण कर लिए गए थे। शेष 11 स.प.चि.अ. में से चार स.प.चि.अ.[13] का कार्य शुरू नहीं किया गया था, दो स.प.चि.अ.[14] में निविदा मंगाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जबकि पांच स.प.चि.अ.[15] में दिसंबर 2015 को कार्य प्रक्रियाधीन था।

महानिदेशक, प.डे.वि. ने बताया (जुलाई तथा सितंबर 2015) कि एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र के देरी से प्रस्तुतिकरण (फरवरी 2015) के कारण अगली किस्त जारी नहीं की जा सकी। अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि सात स.प.चि.अ. में से चार स.प.चि.अ. का कार्य विभिन्न कारणों जैसे भूमि विवाद तथा नए स्थानों के लिए नाबार्ड से सहमति इत्यादि के कारण शुरू नहीं किया जा सका। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि मामला निष्पादन एजेंसी के साथ केवल फरवरी 2015 के दौरान उठाया गया था। इस प्रकार, निधियों की कमी ने कार्य में बाधा पहुंचाई क्योंकि एजेंसी को संपूर्ण निधियां जारी नहीं की गई थी परिणामत: अधिक समय लगा जो कि विभाग की अपर्याप्त मानीटरिंग प्रतिबिंबित करता है, परिणामस्वरूप लाभार्थी योजना के वांछित लाभों से वंचित रहे।

(iii) रा.कृ.वि.यो. के अंतर्गत मशीनरी तथा उपकरण पर निष्फल व्यय

(क) रा.कृ.वि.यो. स्कीम पर राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (रा.स्त.सं.स.) ने पशु मालिकों को घर पर प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के लिए ₹ 5.25 करोड़ (₹ 25 लाख प्रत्येक) की 21 मोबाइल पशु-चिकित्सा निदान प्रयोगशाला वैन (मो.प.चि.नि.प्र.वै.) खरीदने के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया जो ₹ 4.20 करोड़ (मई 2012) तक संशोधित किया गया था तथा आगे ₹ 2.10 करोड़ (जून 2013) तक संशोधित किया गया था। ये मो.प.चि.नि.प्र.वै. आटो एनालाइजर्स, अल्ट्रासाउंड मशीनों इत्यादि सहित नवीनतम निदान उपकरण से सुसज्जित की जानी थी।

महानिदेशक, प.डे.वि. के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया था कि विभाग को ₹ 2.10 करोड़ की राशि जारी की गई थी (जून 2012)। विभाग ने मार्च 2013 में ₹ 1.14 करोड़ (₹ छ: लाख प्रत्येक) की 19 मो.प.चि.नि.प्र.वै. खरीदी तथा वैनों का फैब्रीकेशन ₹ 0.45 करोड़ से नवंबर 2013 में करवाया गया था और चिकित्सा उपकरण ₹ 0.20 करोड़ में खरीदे गए थे। 19 उप-निदेशकों को वैन जारी की गई थी (मई 2014) किंतु ये वैन सीमित ढंग से और वह भी केवल रक्त, मूत्र, दुग्ध तथा मल इत्यादि के नमूनों के संग्रहण के प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही थी।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि रा.स्त.सं.स. द्वारा ₹ 5.25 करोड़ से ₹ 2.10 करोड़ तक संशोधित प्रस्ताव के कारण छोटे आकार की मो.प.चि.नि.प्र.वै. ₹ 1.79 करोड़ की निधियां खर्च करने के बाद खरीदी गई थी तथा निधियों के लिए आगे कोई मांग रा.कृ.वि.यो. के पास नहीं

[12] स.प.चि.अ. बकनोर (अंबाला) तथा धमतान साहिब (जींद)।

[13] स.प.चि.अ. माजरा (फतेहाबाद), शेखपुरा (हिसार), जवाहर नगर (महेन्द्रगढ़) तथा गोकलगढ़ (रेवाड़ी)।

[14] स.प.चि.अ. नयागांव (झज्जर) तथा संघोई (करनाल)।

[15] स.प.चि.अ. रूड़ियावास, नीलाखेड़ी (झज्जर), जन्त सायरवास, काठुवास, पाल्हावास (रेवाड़ी)।

भेजी गई थी क्योंकि सभी आवश्यक उपकरण खरीद लिए गए थे। आगे यह बताया गया था कि सभी मो.प.चि.नि.प्र.वै. को सभी उपकरणों से सुसज्जित कर दिया गया है तथा अनुबंधित स्टाफ की सहायता से चलाई जा रही थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि छोटे आकार की 19 मो.प.चि.नि.प्र.वै. की खरीद, रा.स्त.सं.स. द्वारा संशोधित प्रस्ताव (जून 2013) से पहले फरवरी 2013 के दौरान उच्च शक्ति प्राप्त क्रय समिति द्वारा फाइनल की गई थी। इसके अतिरिक्त, ये वैन दिसंबर 2015 तक पूर्णतया परिचालनात्मक नहीं थी क्योंकि उनके छोटे आकार के कारण अधिकतर महत्वपूर्ण उपकरण[16] वैन में नहीं लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त, आटो एनालाइजर्स जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में पड़े थे। उप-निदेशक, जिला रोग निदान प्रयोगशाला कैथल, हिसार, सोनीपत तथा रोहतक ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि इन वैनों के सुचारू परिचालन के लिए कोई नियमित ड्राईवर तथा तकनीकी स्टाफ तैनात नहीं किया गया था। इस प्रकार, वैनों में आवश्यक निदान उपकरण न लगाने, नियमित ड्राईवरों और तकनीकी स्टाफ की तैनाती न करने के कारण ₹ 1.79 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ था तथा पशु मालिकों को घर पर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए।

(ख) पशुधन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ₹ 0.54 करोड़ की लागत पर भिवानी, सोनीपत तथा रोहतक पोली क्लीनिकों/जिला स्तर निदान प्रयोगशालाओं में अक्तूबर 2009 से फरवरी 2013 के मध्य तीन एक्स-रे मशीनें तथा दो[17] अल्ट्रासाउंड मशीनें प्रदान की गई थी। नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि रेडियोग्राफर/बिजली कनैक्शन के अभाव में ये मशीनें बेकार पड़ी थी। इन मशीनों की वारंटी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। इस प्रकार, इन बेकार पड़ी मशीनों पर ₹ 0.54 करोड़ का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ था।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि ये मशीनें स्थापित कर दी गई थी तथा रोहतक में एक्स-रे मशीन का उपयोग किया जा रहा था तथा रेडियोग्राफर के नव-सृजित पद विचाराधीन थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि विभागीय अधिकारियों के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान (दिसंबर 2015) यह देखा गया था कि रोहतक में एक्स-रे मशीन व्यर्थ पड़ी थी।

(iv) पेट् (पालतू पशु) क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं

विभाग ने ₹ 7.92 करोड़ की लागत पर पंचकूला में मल्टी स्पेशियलटी पेट् क्लीनिक का निर्माण किया (अगस्त 2009) तथा पेट् क्लीनिक चलाने के लिए सरकारी पेट् सोसाइटी को भवन सुपुर्द किया। प्रस्ताव के समय यह निर्णय लिया गया था कि एक बार मूलभूत संरचना का सृजन हो जाने पर विभाग में उपलब्ध विद्यमान स्टाफ द्वारा निदान/उपचार प्रदान किया जाएगा। पेट् क्लीनिक को स्वयंधारणीय आधार पर चलाया जाना था तथा विशेषीकृत सेवाएं, जैसे स्नीफर डॉग ब्रीडिंग सेंटर, टीचिंग ऑफ वैट्स, पेट् होलीडे होम इत्यादि, विशेषतया पेट् सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा प्रदान की जानी थी।

अभिलेख की जांच ने दर्शाया कि यद्यपि विभागीय स्टाफ को पेट् क्लीनिक में तैनात किया गया था, यह हानि में चल रहा था जिससे विभाग को 2011-12 में ₹ 32.50 लाख अनुदान प्रदान करने की आवश्यकता पड़ी। यह आगे देखा गया था कि सोसाइटी ने 2011 से 2015 तक की अवधि के दौरान कैमिस्ट शाप/डॉग पार्लर से लगभग ₹ 17 लाख का किराया प्राप्त किया जो कि आबंटन शर्तों के अनुसार नहीं था। इसके अतिरिक्त, डॉग ट्रेनर की कमी के कारण

[16] आटो एनालाइजर, अल्ट्रासाउंड मशीन, लैपटाप तथा प्रिंटर।

[17] सोनीपत तथा भिवानी।

पेट् क्लीनिक में स्नीफर डॉग्स का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा था तथा ब्रीडिंग सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, स्वयंधारणीय आधार पर मल्टी स्पैशियलिटी पेट् सुविधाएं प्रदान करके स्नीफर डॉग्स की ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि सोसाइटी अपनी गतिविधियां अपने उद्देश्यों एवं नियमों के अनुसार चला रही है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पेट् क्लीनिक स्वयंधारणीय आधार पर नहीं चलाया जा रहा था तथा विशेष सेवाएं, जैसे स्नीफर डॉग्स ब्रीडिंग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदान नहीं की जा रही थी जैसा कि सोसाइटी के उद्देश्यों में विचार किया गया था।

(v) पशु-चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग

राज्य में विभाग के पास 1,023 पशु-चिकित्सा सर्जन (प.चि.स.) तथा 3,050 पशु-चिकित्सा पशुधन विकास सहायक (प.चि.प.वि.स.) के संस्वीकृत पदों के विरूद्ध केवल 825 प.चि.स. तथा 2,315 प.चि.प.वि.स. थे। इस प्रकार, क्रमश: 19 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की कमी थी। नमूना-जांच किए गए जिलों में झज्जर (40 प्रतिशत), कैथल (27 प्रतिशत) तथा सोनीपत (25 प्रतिशत) प.चि.स. की भारी कमी झेल रहे थे। इसी प्रकार, रेवाड़ी (41 प्रतिशत) तथा झज्जर (27 प्रतिशत) में प.चि.प.वि.स. की कमी थी।

अ.मु.स. ने बताया (दिसंबर 2015) कि वहां 23 प्रतिशत (प.चि.स.) तथा 27 प्रतिशत (प.चि.प.वि.स.) की कमी थी तथा यह मुख्यत: इन संस्थानों में तैनात कर्मचारियों की सेवानिवृति/पदोन्नति के कारण थी तथा कि इन पदों को भरने का मामला प्रक्रियाधीन था।

इस प्रकार, विभाग निधियों की उपलब्धता के वाबजूद पशु-चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मूलभूत संरचना का सृजन करने में विफल रहा। आधुनिकीकरण परियोजना निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना बंद कर दी गई थी। ₹ 1.79 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 19 मोबाइल निदान प्रयोगशाला वैन निदान उपकरण न खरीदने के कारण अप्रयुक्त रही। पेट् क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं देखी गई थी तथा पशु-चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग किया गया था।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

3.2 संग्रहालय एवं कार्यालय भवन के निर्माण में विलंब तथा विभाग के उद्देश्य की अनुपलब्धि

भूमि एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद संग्रहालय एवं कार्यालय भवन के निर्माण में विभाग की विफलता से पुरावस्तुओं के संरक्षण एवं सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संग्रहालय कायम रखने का मूल उद्देश्य व्यर्थ हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 85.65 लाख के ब्याज की हानि उठाई और ₹ 56.26 लाख के परिहार्य किराए का भुगतान किया।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का मुख्य उद्देश्य पुरातत्व खुदाई, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों का बचाव एवं संरक्षण, पुरावस्तुओं एवं कला सामग्री के संकलन, रसायनिक संरक्षण एवं प्रलेखन और प्राचीन धरोहर के प्रति जागरूकता सृजित करने के लिए कला विषयों तथा प्राचीन वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु संग्रहालय की स्थापना करना है।

कार्यालयों सहित एक राज्य स्तरीय संग्रहालय के निर्माण द्वारा पुरातत्व वैभव के बचाव, संरक्षण एवं प्रदर्शन के उद्देश्य से, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, हरियाणा ने हरियाणा शहरी विकास

प्राधिकरण से सैक्टर-5, पंचकुला में ₹ 24.23 लाख की लागत से एक दो एकड़ का प्लाट क्रय किया (अगस्त 1996)। राज्य सरकार ने हरियाणा पर्यटन निगम (ह.प.नि.) द्वारा राज्य पुरातात्विक संग्रहालय के निर्माण हेतु ₹ 92.40 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन किया (मार्च 2001)। निर्माण कार्यों के लिए ह.प.नि. के पास ₹ 92.40 लाख की राशि जमा की गई थी (मार्च 2001)। तदन्तर, अप्रैल 2003 में, राज्य के दूरस्थ कोने में इसके स्थान, को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने पंचकूला में संग्रहालय के निर्माण के निर्णय पर पुनर्विचार किया और इसके स्थान पर एक ऐतिहासिक स्थान होने तथा पर्यटक आवागमन के आकर्षण होने के कारण कुरूक्षेत्र में पुरातात्विक संग्रहालय को स्थापित कराने का निर्णय लिया। तथापि, कुरूक्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान की गई भूमि को संग्रहालय स्थापित करने हेतु सही नहीं बताया गया। तत्पश्चात्, मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक (दिसंबर 2007) में पुन: यह निर्णय लिया गया कि संग्रहालय के निर्माण हेतु सैक्टर-5, पंचकुला में पहले से क्रय किए गए भू-खंड का उपयोग किया जाए। विभाग द्वारा जुलाई 2008 में भवन के वास्तुकला डिजाइन के लिए निविदाएं मांगी गई और मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक (जुलाई 2009) में यह निर्णय लिया गया कि कुछ संशोधनों के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई डिजाइन के साथ आगे बढ़ा जाए। फर्म ने विभाग को मार्च 2010 में बजटीय प्राक्कलन एवं संशोधित ड्राईंग प्रस्तुत की। तथापि, नवंबर 2011 तक कोई कार्यवाही नहीं गई जब प्रधान सचिव, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने संशोधित ड्राईंग आदि सहित प्राक्कलित लागत के अनुमोदन हेतु तिथि निश्चित करने हेतु मुख्य सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मुख्य सचिव ने इंगित किया कि मामला प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णीत किया जाए। तथापि, मामला दिसंबर 2015 तक अनिर्णीत रहा।

निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) ने दर्शाया कि मार्च 2001 में ह.प.नि. को दी गई ₹ 92.40 लाख की राशि, 11 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात्, जून 2012 में वापस प्राप्त हुई थी। सरकारी निर्देशों (मार्च 2011) के अनुसार विभाग ने अगस्त 2012 में ह.प.नि. को उनके पास जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करने हेतु कहा, लेकिन ह.प.नि. द्वारा अभी तक (अगस्त 2015) ₹ 85.65 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग ने अप्रैल 2001 से दिसंबर 2015 तक विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट भवनों से कार्य जारी रखा और प्राइवेट भवनों के किराए के रूप में ₹ 56.26[18] लाख का व्यय किया।

पंजाब वित्तीय नियम (पं.वि.नि.) (खंड-I) का नियम 15.16 प्रावधान करता है कि वर्ष में कम से कम एक बार समस्त भंडार का भौतिक सत्यापन होना चाहिए। विभाग के पास लगभग 620 पत्थर की मूर्तियां, 17,778 चांदी, सोना चांदी और तांबे के सिक्के तथा 571 सोना, चांदी और तांबे के गहने एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर थे और इन पुरानी पुरातात्विक एवं अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं को इन भवनों के स्टोर कक्ष में, बिना किसी नियमित/आवधिक भौतिक सत्यापन के, जैसा कि पं.वि.नि. (खंड-I) के नियम 15-16 में प्रावधान है, रखा गया है। यद्यपि अप्रैल 2001 और दिसंबर 2015 के बीच भवनों की छ: बदली हो चुकी थी फिर भी मूल्यवान पुरातात्विक और ऐतिहासिक वस्तुओं का नियमित वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था और बहुत सी वस्तुएं भंडार कक्ष में चोरी के लिए ग्रहणीय टूट-फूट ह्रास के जोखिम में पड़ी थी।

[18] एस.सी.ओ. 9, सैक्टर-5 पंचकुला, 1 अप्रैल 2001 से 10 जून 2002 और 10 सितंबर 2005 से 31 मार्च 2014 = ₹ 42,29,774 + 5,73,333 = ₹ 48,03,107
एस.सी.ओ. 3, सैक्टर-3, पंचकुला 11 जून 2002 से 30 जून 2003 = ₹ 8,23,333

आगे, पुरावस्तुएं एवं कला भंडार अधिनियम 1972 की धारा 14, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसी वस्तुओं के संरक्षण के लिए पुरावस्तुओं के पंजीकरण का प्रावधान करती है। प्रत्येक व्यक्ति, जिसका ऐसी पुरावस्तु पर नियंत्रण है या उसके कब्जे में हैं, पंजीकरण अधिकारी के सामने ऐसी पुरावस्तु को पंजीकृत करवाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी पुरावस्तु के स्वामित्व, नियंत्रण या अधिकार का हस्तांतरण (धारा 17) करता है तब वह व्यक्ति पंजीकरण अधिकारी को ऐसे हस्तांतरण के तथ्य सूचित करेगा। यह देखा गया कि विभाग ने जून 2015 तक कला एवं पुरावस्तुओं के लिए 5,359 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए थे। लेकिन विभाग में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पंजीकृत पुरावस्तुएं उस तिथि को स्वामी के पास विद्यमान थी, कोई प्रणाली नहीं थी।

इस प्रकार, भूमि एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद संग्रहालय एवं कार्यालय भवन के निर्माण में विभाग की विफलता से पुरावस्तुओं के संरक्षण एवं सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु एक संग्रहालय होने का मूल उद्देश्य व्यर्थ रहा। इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹ 92.40 लाख की निधियों, जो 11 वर्षों तक अवरूद्ध रही, पर ₹ 85.65 के ब्याज की हानि वहन की और ₹ 56.26 लाख के किराए का परिहार्य भुगतान भी किया। आगे, भंडार में वस्तुओं और पुरावस्तु मदों के पंजीकरण का आवधिक एवं नियमित भौतिक सत्यापन न करने से इन पुरावस्तुओं एवं ऐतिहासिक वस्तुओं को हानि से दोषपूर्ण बनाने की पूर्ण एवं सुरक्षित अभिरक्षा का कोई आश्वासन नहीं था।

अपर मुख्य सचिव (अ.मु.स.) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि संग्रहालय एवं संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण में विलंब संग्रहालय स्थल के कुरूक्षेत्र तथा 2007 में पुनः पंचकुला में स्थानान्तरण और भवन के ड्राईंग एवं डिजाइन, जो सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया अधीन रही, के अनुमोदित न होने के कारण थी और भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया जा सका। अपर मुख्य सचिव ने आगे उत्तर दिया कि इन वस्तुओं का सही भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था क्योंकि पुरातत्वविज्ञ का पद खाली रहा। भौतिक सत्यापन, पद के भरने पर करवा लिया जाएगा। तथापि, वस्तुएं संबंधित कर्मचारी की सेवा निवृति पर प्रभार के देने एवं लेने के समय पर सत्यापित की जाती थी। तथ्य यह रहे कि भूमि एवं निधियों की उपलब्धता के बावजूद संग्रहालय एवं कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ था, इसके अतिरिक्त पुरावस्तुओं एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था। आगे, प्रभार के देने एवं लेने के समय भौतिक सत्यापन करवाने संबंधी उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसे पुरावस्तुओं एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं माना जा सकता।

शिक्षा विभाग

3.3 अयोग्य छात्रों से स्टाइपंड राशि की अवसूली

शिक्षा विभाग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद अयोग्य छात्रों से ₹ 2.51 करोड़ की स्टाइपेंड राशि वसूल नहीं की थी।

राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) एवं पिछड़ा वर्ग परिवारों से संबंधित स्कूली बच्चों के कल्याण हेतु एक स्कीम प्रारंभ की (मार्च 2009)। स्कीम के अंतर्गत इन श्रेणियों के

कक्षा-1 से 12 तक के छात्रों को विभिन्न दरों[19] से मासिक स्टाइपेंड दिया जाना था। तथापि, अयोग्य व्यक्तियों को बी.पी.एल. कार्डों को जारी करने से विशाल समस्या सृजित हो गई थी और मामला मुकद्दमेबाजी में चला गया।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (2010 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 1581) द्वारा निर्देशों के जारी करने पर, संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने 23 नवंबर 2011 को उच्च न्यायालय के सामने एक शपथ-पत्र दिया जिसमें यह विश्वास दिलाया गया था कि उन सभी, जिन्होंने गलत सूचना दी थी, के बी.पी.एल. कार्ड निरस्त करने तथा उन द्वारा ली गई छूट/सुविधाओं में आवेष्टित राशि की वसूली करने के निर्देश सभी उपायुक्तों को जारी किए जाएंगे; व्यक्तियों के विद्यमान न होने पर, संबंधित कर्मचारियों या व्यक्तिगत लाभों के लिए बी.पी.एल. कार्ड प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से वसूली की जाएगी और ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही भी प्रारंभ की जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर 2011 को मामले का निर्णय किया और राज्य सरकार को, आदेशों की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, अनुपालना के निर्देश दिए और अनुपालना रिपोर्ट 31 मार्च 2012 को या पहले, मामले के अभिलेख में रखी जानी थी।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा (नि.मा.शि.) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उन बी.पी.एल. श्रेणी के मुखियाओं, जो ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के दौरान अयोग्य पाए गए थे, से संबंधित छात्रों को दिए गए वजीफों से संबंधित सूचनाएं देने के निर्देश दिए (अक्तूबर 2013)। उन पर अक्तूबर 2013-मार्च 2014 के दौरान समय-समय पर अनुवर्ती रिमाइंडर जारी किए गए थे। नि.मा.शि. तथा नमूना-जांच किए गए पांच जिलों[20] के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2009-13 के दौरान वजीफे के रूप में 7,745 अयोग्य बी.पी.एल. छात्रों को ₹ 2.51 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। तथापि, विभाग लगभग चार वर्षों के व्यतीत होने के बावजूद भी अयोग्य छात्रों से ₹ 2.51 करोड़ की राशि की वसूली करने में विफल रहा।

इस प्रकार, विभाग द्वारा कार्यवाही की कमी और उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में विफलता से नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में लगभग चार वर्षों के व्यतीत होने के पश्चात् भी अयोग्य छात्रों से ₹ 2.51 करोड़ की वजीफा राशि की वसूली नहीं हुई। यद्यपि, वसूलियों को प्रभावित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी विनिर्देशों में नित्यचर्या प्रक्रिया की अनुपालना थी यह तथ्य कि अभी तक कोई वसूली नहीं हुई, विभाग की सख्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की कमी को संकेत करता है जिसके परिणामस्वरूप चार वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी वसूली नहीं हो सकी।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने बताया (सितंबर 2015) कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को

19

कक्षा का नाम	छात्राओं के लिए प्रतिमाह वजीफे की दर	छात्रों के लिए प्रतिमाह वजीफे की दर
कक्षा 1 से 5	150	75
कक्षा 6 से 8	200	100
कक्षा 9 से 12	300	150
कक्षा 11-12 (केवल विज्ञान छात्रों के लिए)	400	200

20 जींद, कैथल, पंचकला, भिवानी और रेवाड़ी।

अयोग्य छात्रों से वजीफे की वसूली करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए थे। अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के संबंध में विभाग ने सूचित किया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने उपेक्षा दर्शाई थी, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किया गया था और आगे सितंबर 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

पर्यावरण विभाग (हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3.4 आयकर का परिहार्य भुगतान

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्वयं को धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं करवाया और उसके कारण छूट का लाभ प्राप्त करने में विफल रहा परिणामस्वरूप आयकर और उस पर ब्याज के रूप में ₹ 60.35 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम (आई.टी.), 1961 की धारा 2 (15) धर्मार्थ उद्देश्य के रूप में पर्यावरण का परिरक्षण स्पष्ट करती है और धारा 12 ए (तब वर्तमान प्रावधान) के साथ पठित धारा 10 (23 सी) (iv) प्रावधान करती है कि किसी निधि या धर्मार्थ उद्देश्य हेतु स्थापित संस्था द्वारा प्राप्त आय निधि या संस्था के उद्देश्यों एवं इसके महत्व का आदर करते हुए और किसी राज्य में पूर्णतया आयकर से छूट है बशर्ते कि संस्था ने धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण हेतु आयकर विभाग को अभ्यावेदन किया हो।

राज्य सरकार ने पानी, वायु, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण के संरक्षण और कूड़ा आदि के प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह.रा.प्र.नि.बो.) का गठन किया (सितंबर 1974)। लेकिन ह.रा.प्र.नि.बो. ने धर्मार्थ संस्था के रूप में अपने आप को पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन नहीं किया यद्यपि, अन्य राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड[21] पहले ही धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत थे।

ह.रा.प्र.नि.बो., आयकर विभाग को लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर रहा था जैसा कि तत्रैव धारा 44 ए.बी. में निर्धारित है। बोर्ड की उपरोक्त विफलता ध्यान में आने पर उपायुक्त, आयकर पंचकुला ने, 2006-07 से 2011-12 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा आयकर विवरणी न भरने के लिए नोटिस जारी किया (जनवरी 2013) और ब्याज सहित ₹ 53.02 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया। निर्धारित राशि का तीस दिन के भीतर भुगतान करना निश्चित था जिसकी विफलता पर धारा 2.20 (ए) के अंतर्गत 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य था।

ह.रा.प्र.नि.बो. ने आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं[22] के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों

[21] पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2003 से, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 से; मध्य प्रदेश जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण बोर्ड 1977 से और गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2006 से।

[22] 12 क, 10(23 सी) (iv), 10(46) और विलंब को निरस्त करने हेतु धारा 119 के अंतर्गत।

अर्थात् आयकर के आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त, आयकर अपीलीय पंचाट और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कें.प्र.क.बो.) को जनवरी 2013 से दिसंबर 2014 तक छूट हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन अभी तक तत्रैव अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण/छूट प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। एच.एस.पी.सी.बी. ने दो सिविल रिट पिटीशनों[23] के माध्यम से माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को भी आग्रह किया जिन दोनों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि आयकर अपीलेट अथार्टी पंचाट (आई.टी.ए.टी.) के पास अपील लंबित थी। तदनुसार, आई.टी.ए.टी. ने भी अपील इस आधार पर नामंजूर कर दी कि धारा 12 ए के अंतर्गत छूट, तुरंत आने वाले वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा अभ्यावेदन किया जाता है, मात्र निर्धारण वर्ष में ही उपलब्ध है।

ह.रा.प्र.नि.बो. ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर, 2013 की सी.डब्ल्यू.पी. सं. 5694 के अनिर्णय के दौरान फरवरी 2014 में ₹ 8.50 करोड़ जमा करवा दिए। आगे, आयकर विभाग ने शेष राशि यानि ₹ 7.33 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 44.52 करोड़ {धारा 220(2) के अधीन} ह.रा.प्र.नि.बो. के बैंक खातों को कुर्क करके, फरवरी 2014 और अप्रैल 2014 के बीच वसूल कर लिए।

इसके इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2014) ह.रा.प्र.नि.बो. ने बताया (जनवरी 2015) कि विवरणियों के भरने और छूट में विलंब सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा न होना को आरोपित थी। ह.रा.प्र.नि.बो. के अध्यक्ष ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि बोर्ड की ओर से कोई विलंब नहीं था क्योंकि आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होने और पैन नंबर प्राप्त करने (अक्तूबर 2012) के पश्चात्, बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2011-12 के आयकर विवरणियां भरी (दिसंबर 2012) और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (iv) के अंतर्गत छूट लेने तथा धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन दिया (जनवरी 2013)। ह.रा.प्र.नि.बो. ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि आई.टी.ए.टी. के आदेशों के विरूद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की हुई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ह.रा.प्र.नि.बो. ने इस तथ्य के बावजूद कि पड़ोसी राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी छूट के लाभों का आनंद पहले ही ले रहे थे, धारा 12 ए (तब वर्तमान प्रावधान) के अंतर्गत धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण हेतु समय पर आवेदन नहीं किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा न होना उनकी अपनी चूक को छिपाने का एक बहाना था क्योंकि उन वर्षों के लेखे जिनके लिए विवरणियां भरी हुई हैं, भी विवरणियां भरने के समय सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किए गए थे। बोर्ड किसी भी धारा के अंतर्गत अभी तक (जनवरी 2016) छूट प्राप्त करने में विफल था।

इस प्रकार, तत्रैव अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत स्वयं को पंजीकरण करवाने या धारा 10 (23)(iv) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए बोर्ड की अकार्यवाही के कारण बोर्ड को परिहार्य आयकर और उस पर ब्याज के ₹ 60.35 करोड़ की राशि का भुगतान करना पड़ा।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग को अगस्त 2015 में संदर्भित किया गया था और आगे सितंबर 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

[23] पंजीकरण के संबंध में धारा 12 ए के अधीन 6 मार्च 2014 को निर्णीत 2013 का सी.डब्ल्यू.पी. 5694 और पंजीकरण के संबंध में धारा 10 (23ग) (iv) के अधीन 18 नवंबर 2014 को निर्णीत 2014 की सी.डब्ल्यू.पी. सं. 6753.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

3.5 भारतीय खाद्य निगम से बिलों की वसूली में विलंब के कारण ब्याज का परिहार्य भुगतान

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 2010–15 के दौरान ग्यारह जिलों में भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में विलंब के कारण ₹ 15.93 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की प्रादेशिक आरक्षित लेखा नियमावली और विभागीय विनिर्देश (अप्रैल 1999) प्रावधान करते हैं कि भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को भेजी गई गेहूं के लिए प्रेषण प्रलेख परिमंडल कार्यालय में प्रेषण के दिन पहुंचने चाहिए और परिमंडल कार्यालय द्वारा तैयार किए गए बिल भा.खा.नि. को अगले दिन भेजे जाने चाहिए ताकि भा.खा.नि. से बिल उसी दिन के बैकिंग समय के भीतर वसूल किए जा सकें। भा.खा.नि. से बिल गेहूं के प्रेषण के तीन दिन के भीतर वसूल किए जाने चाहिए। भा.खा.नि. से वसूली में किसी भी विलंब के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक से नगद क्रेडिट खातों से निधियों के प्राप्त करने और ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। भा.खा.नि. से भुगतान की शीघ्र वसूली के संबंध में अनुदेश वर्ष-दर-वर्ष बार-बार जारी किए जा चुके थे। भा.खा.नि. से वसूली में विलंब का मामला लेखापरीक्षा द्वारा 2005-06[24] में भी उठाया गया था और लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने विभाग को, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए एक विधि विकसित करने और तीन माह की अवधि के भीतर उसे पी.ए.सी. को सूचित करने के निर्देश दिए थे (मई 2009)। विभाग ने, गेहूं के प्रेषण के तीन दिन के भीतर भा.खा.नि. से राशि की वसूली के लिए निर्देशों की पुनरावृति की लेकिन ऐसे उदाहरणों की पुनरावृति दर्शाती है कि इनकी जांच/मानीटर करने के लिए कोई विधि विकसित नहीं की थी।

2010-15 की अवधि के लिए विभाग के ग्यारह[25] जिलों में भा.खा.नि. को वसूली हेतु प्रस्तुत किए गए गेहूं के बिलों की नमूना-जांच के दौरान देखा गया कि भा.खा.नि. को बिल प्रस्तुत करने में 2,804 मामलों में एक से 300 दिन[26] के बीच विलंब था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.63 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि हुई।

इसी तरह भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में 1,395 मामलों में एक से 165 दिनों का विलंब था जिसके फलस्वरूप ₹ 6.30 करोड़ के ब्याज की परिहार्य हानि हुई। इस प्रकार, भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में विलंब के कारण विभाग को ब्याज के भुगतान पर ₹ 15.93 करोड़[27] की हानि उठानी पड़ी थी।

विभाग ने बताया (जुलाई 2015) कि तीन जिलों (सिरसा सोनीपत और कैथल) में दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी थी और अंबाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, फतेहाबाद, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, और यमुनानगर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को दोषी कर्मचारियों को चार्जशीट करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने के

[24] वर्ष 2005-06 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल)-हरियाणा सरकार का अनुच्छेद संख्या 3.4.5.2

[25] (i) फतेहाबाद, (ii) सिरसा, (iii) सोनीपत, (iv) कैथल, (v) झज्जर, (vi) यमुनानगर (vii) फरीदाबाद, (viii) रोहतक, (ix) करनाल, (x) कुरूक्षेत्र तथा (xi) अंबाला।

[26] दो दिन की मार्जिन अवधि देने के बाद।

[27] बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब: ₹ 9.63 करोड़, बिलों की वसूली में विलंब: ₹ 6.30 करोड़।

निदेश दिए जा चुके हैं। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि बिलों के प्रस्तुतिकरण को समय पर मानीटर करने के लिए सशक्त यंत्रावली की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप बिलों के प्रस्तुत करने में विलंब हुआ और ₹ 15.93 करोड़ की राशि की परिणामी हानि हुई। इस प्रकार, मानीटरिंग प्रणाली को सुधारने की परम आवश्यकता है।

मामला अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किया गया था। आगे, अगस्त 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.6 कस्टम मिल्ड चावल के लिए मिलिंग अनुबंधों के निबंधनों एवं शर्तों की अनुपालना

नियमित रूप से स्टाक का भौतिक सत्यापन न करने, मिलरों की क्षमता से अधिक धान का आबंटन, समुचित गारंटी का प्राप्त न करना, दोषी मिलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की कमी से युग्मित कारणों ने मिलरों द्वारा ₹ 115.48 करोड़ मूल्य के चावल की असुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाया। मिलरों से चावल की कम आपूर्ति के कारण ₹ 24.46 करोड़ की अवसूली, मूल्य कट और आर्द्रता कट के कारण मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की अवसूली और कई मामलों में दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले भी थे।

राज्य सरकार अपनी पांच प्रापण एजेंसियों[28] (पी.एज) के माध्यम से केंद्रीय पूल हेतु धान का प्रापण करती है। धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर प्राप्त किया जाता है और प्राईवेट चावल मिलरों को मिलिंग हेतु आबंटित किया जाता है। धान मंडियों से मिलरों के परिसरों में मिलिंग हेतु सीधा पहुंचता है और परिणामी चावल (धान का 67 प्रतिशत) कस्टम मिल्ड राईस (क.मि.रा.) भारतीय खाद्य निगम को (भा.खा.नि.) को सीधा सुपुर्द किया जाता है। हरियाणा एग्रो कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम में चावल की कस्टम मिलिंग की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा को, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, हरियाणा सरकार के पैरा 2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

2010-15 के दौरान मिलरों के साथ प्रतिवर्ष खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (खा.आ.वि.) द्वारा निष्पादित मिलिंग अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया था कि:

- अनुबंधों में दी गई सारणी के अनुसार चावल अगले वर्ष के 31 मार्च तक सुपुर्द किया जाएगा।
- धान के निर्मुक्ति आदेश जारी करते समय पोस्ट डेटिड चैक (पो.डे.चै.) के रूप में ₹ 25 लाख, प्रति एम.टी. मिलिंग क्षमता (खरीफ विपणन सत्र (के.एम.एस.) 2012-13 के लिए ₹ 30 लाख तक बढ़ा दी गई तथा के.एम.एस. 2013-14 से ₹ 50 लाख तक बढ़ा दी गई) की गारंटी मिलरों से प्राप्त की जाएगी।

[28] (i) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, (ii) हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड), (iii) हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (ह.रा.भ.नि.), (iv) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (ह.कृ.उ.नि.लि.) तथा (v) हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार संघ लिमिटेड (कॉनफेड)।

- एक टन क्षमता के लिए ₹ दो लाख (के.एम.एस. 2012-13 से ₹ पांच लाख तक बढ़ा दी गई) और अतिरिक्त एक टन क्षमता के लिए ₹ एक लाख (के.एम.एस. 2014-15 से ₹ दो लाख तक बढ़ा दी गई) की प्रतिभूति राशि संबंधित प्रापण एजेंसी के नाम में प्रतिभूति एफ.डी.आर. के रूप में प्राप्त की जाएगी।
- प्रत्येक मिलर, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कस्टम मिल्ड राईस की दरों पर चावल की ऐसी कम मात्रा की लागत और नगद क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) पैटर्न पर ब्याज सहित ऐसे चावल की लागत की 50 प्रतिशत पेनल्टी देने के लिए दायी होगा।

2010-15 के दौरान केंद्रीय पूल के लिए राज्य में 158.66 लाख एम.टी. धान का प्रापण किया गया। इसमें से, 61.93 लाख एम.टी. धान खा.आ.वि. द्वारा प्राप्त किया गया था। यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या कस्टम मिल्ड राईस का कार्य, चावल मिलरों के साथ अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों के संदर्भ में कुशलतापूर्वक किया गया था, 2010-15 की अवधि को आवृत करते हुए खा.आ.वि. और कस्टम मिल्ड राईस संचालनों में आवेष्टित 11 जिलों में से पांच[29] जिलों के अभिलेखों की नमूना-जांच अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 और जून 2015 से अगस्त 2015 की अवधि के दौरान की गई।

लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

3.6.1 मिलरों द्वारा चावल की असुपुर्दगी

नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में से चार के तेईस मिलरों (कैथल को छोड़कर), जिन्हें के.एम.एस. 2011-12 से 2013-14 के दौरान 1.24 लाख एम.टी. धान आबंटित किया गया था, ने मानकों (धान का 67 प्रतिशत) के अनुसार चावल सुपुर्द नहीं किया। मिलरों द्वारा 0.83 लाख एम.टी. चावल भा.खा.नि. को सुपुर्द किया जाना अपेक्षित था। तथापि, यह देखा गया कि मात्र 0.44 लाख एम.टी. चावल सुपुर्द किया गया तथा 0.39[30] लाख एम.टी. चावल सुपुर्द नहीं किया गया था। के.एम.एस. 2011-12 और 2012-13 के लिए कमियां जून और सितंबर 2013 में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में आई जब मिलरों ने भा.खा.नि. को चावल सुपुर्द नहीं किए थे। के.एम.एस. 2013-14 के संबंध में चावल मिलरों के परिसरों में नवंबर 2014 में किए गए चावल के भौतिक सत्यापन ने दर्शाया कि 0.39 लाख एम.टी. चावल की आवश्यकता के विरूद्ध चावल मिलरों के पास केवल 0.08 लाख एम.टी. चावल उपलब्ध था।

चावल मिलरों के एसोशिएसन के अनुरोध (जून 2015) पर राज्य सरकार ने के.एम.एस. 2013-14 के लिए 50 प्रतिशत के बजाय चावल लागत के 10 प्रतिशत की दर से पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया (सितंबर 2015)। 30 सितंबर 2015 को ₹ 115.48[31] करोड़ की राशि वसूलनीय थी ***(परिशिष्ट 3.1)***। विभाग ने कुल 23 मिलरों में से 17 मिलरों द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए गए ₹ 11.60 करोड़ के पोस्ट डेटिड चैक बैकों में प्रस्तुत किए परंतु अप्रैल और दिसंबर 2015 के बीच चैक बाऊंसड हो गए। पोस्ट डेटिड चैकों को न भुनाने के कारण अभिलेख में दर्ज नहीं थे। तथापि, अप्रैल 2015 तक केवल 10 मिलरों के विरूद्ध

29 (i) फतेहाबाद, (ii) कैथल, (iii) करनाल, (iv) कुरूक्षेत्र तथा (v) यमुनानगर।

30 2011-12: 948 एम.टी., 2012-13: 1,610 एम.टी. और 2013-14: 36,416 एम.टी.।

31 सुपुर्दगी न करने के कारण चावल की लागत जमा चावल की लागत का पचास प्रतिशत (2011-13 के लिए) तथा 10 प्रतिशत (2013-14 के लिए) जमा मार्च 2013 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान विद्यमान न्यूनतम सी.सी.एल. दर होने के कारण 11.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज शामिल है।

पुलिस विभाग में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाई गई थी। शेष सात मिलरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्यों नहीं दर्ज करवाई गई, के कारण अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि खा.आ.वि. की ओर से निम्न कमियों के कारण चावल की असुपुर्दगी आसान हो गई:

- 2010 - 15 के दौरान प्रत्येक के.एम.एस. के लिए जारी सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार धान के स्टाक का संयुक्त भौतिक सत्यापन पाक्षिक आधार पर किया जाना अपेक्षित था। भौतिक सत्यापन के समय धान स्टाक की प्रमात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में प्रापण एजेंसियों के जिला अध्यक्ष और मिलर उत्तरदायी थे। भौतिक सत्यापन की रिपोर्टें एजेंसियों के जिला अध्यक्षों द्वारा उनके मुख्यालयों को नियमित रूप से भेजी जानी थी। तथापि, यह देखा गया कि चयन किए गए पांच जिलों में से कुरूक्षेत्र और करनाल जिले में भौतिक सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया गया था, जैसा कि अपेक्षित था। 2011 - 12 के दौरान अपेक्षित 9 से 25 भौतिक सत्यापनों के विरूद्ध कुरूक्षेत्र में मिलरों का भौतिक सत्यापन केवल एक या दो बार किया गया था जबकि करनाल में यह 2013 - 14 के दौरान अपेक्षित 19 सत्यापनों के विरूद्ध केवल दो बार किया गया था। आगे, भौतिक सत्यापन की रिपोर्टें न तो निदेशालय को भेजी जा रही थी और न ही निदेशालय भौतिक सत्यापन की मानीटारिंग कर रहा था।

- प्रत्येक के.एम.एस. के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, मिलर के निर्धारित समय सूची के अनुसार कस्टम मिल्ड राईस सुपुर्द करने में विफल होने के मामले में विभाग द्वारा संबंधित मिलर के जोखिम एवं लागत पर धान के स्टाक को, इस उद्देश्य हेतु उसे सात दिन का नोटिस देने के पश्चात्, स्थानांतरित करना अपेक्षित था। यह देखा गया कि विभाग ने सभी 23 दोषी मिलरों के परिसरों से, धान मिल्ड करवाने हेतु दूसरे मिलरों को धान का स्टाक स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। यहां तक कि दूसरे मिलरों को धान स्थानांतरित करने के लिए मिलरों को नोटिस तक जारी नहीं किए गए थे।

- दिशानिर्देशों के अनुसार, एक एम.टी. प्रति घंटा मिलिंग क्षमता वाले मिलों को 3,000 एम.टी. (2011 - 12 तक 2,000 एम.टी.) धान आबंटित किया जाता है। प्रत्येक अतिरिक्त एक एम.टी. प्रति घंटा क्षमता के लिए 1,000 एम.टी. अतिरिक्त धान, अधिकतम 6,000 एम.टी. धान की क्षमता (5,000 एम.टी. धान 2011 - 12 तक) की शर्त के साथ, आबंटित किया जाता है। आगे, पट्टे वाले मिलों को 3,000 एम.टी. से अधिक धान नहीं दिया जाता है। उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला मिलिंग समितियों (डी.एम.सीज) ने मिलरों को उनकी क्षमता के अनुसार धान आबंटित किया। आगे, ड्रायरज एवं सोरटैक्स सुविधाओं और चावल की सामयिक सुपुर्दगी की शर्तों में परोवन ट्रैक रिकार्ड गुणवत्ता मानक अपनाने और अच्छी मूलभूत सुविधाओं वाले मिलरों को संबंधित प्रापण एजेंसी के अध्यक्ष यानी महानिदेशक, खा.आ.वि. के पूर्व अनुमोदन से, डी.एम. सीज द्वारा अधिक धान आबंटित किया जा सकता है। 23 मिलरों में से 12 मिलरों को सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से 33,690 एम.टी. धान अधिक आबंटित किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.1*** में विवरणित है। इस अधिक आबंटन में से 23,444 एम.टी. धान का आबंटन संबंधित डी.एम.सीज के अनुमोदन से किया गया था परंतु महानिदेशक, खा.आ.वि. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। शेष 10,246 एम.टी. के लिए अनुमोदन न तो डी.एम.सीज से और न ही महानिदेशक, खा.आ.वि. से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, 33,690 एम.टी. धान का आबंटन अनियमित था।

- लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकित किया कि पी.डी.सीज के रूप में ली गई गारंटी ने उद्देश्य पूरा नहीं किया क्योंकि चावल की सुपुर्दगी में विफल रहे मिलरों के 23 मामलों में से 17 मामलों में पी.डी.सीज बाउंसड हो गए थे। आगे, विभाग दोषी मिलरों के विरूद्ध कार्यवाही करने में तत्पर नहीं था और एफ.आई.आर. केवल 10 दोषी मिलरों के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी; जबकि नवंबर 2015 तक शेष 13 दोषी मिलरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जानी शेष थी।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि सरकार, दोषी चावल मिलरों से शेष कस्टम मिल्ड राईस की राशि वसूल करने और चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्जशीट करने का निर्णय ले चुकी थी। आगे, यह बताया गया कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (डी.एफ.एस.सीज) को भौतिक सत्यापन करने, उन मामलों में, जहां चावल मिलर, चावल सुपुर्द करने में समर्थ न हो, अन्य मिलों को धान/चावल स्थानांतरित करने, दोषी चावल मिलरों के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही करने आदि के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे। तथ्य यह रहता है कि निदेशालय की नियंत्रण यंत्रावली पर्याप्त नहीं थी और इसकी त्रुटिपूर्ण विद्यमान प्रणाली ने सरकारी हितों की सुरक्षा नहीं की।

3.6.2 मिलरों से वसूली न करना

चयनित पांच जिलों में से तीन[32] में पांच चावल मिलरों को 2013-14 के दौरान 27,151 एम.टी. धान आबंटित किया गया था जिसके विरूद्ध 30 सितंबर 2014 तक की विस्तारित अवधि तक भा.खा.नि. को 18,191 एम.टी. कस्टम मिल्ड राईस सुपुर्द करना देय था तथापि, केवल 9,787 एम.टी. कस्टम मिल्ड राईस सुपुर्द किया गया था और ₹ 19.90 करोड़ मूल्य का 8,403 एम.टी. कस्टम मिल्ड राईस मिलरों से प्राप्य था (जुलाई 2015)। भौतिक सत्यापन रिपोर्टों ने दर्शाया कि धान/चावल[33] मिलरों के परिसरों में पड़ा था। विभाग ने मिलरों के परिसरों से धान/चावल को शिफ्ट करने हेतु, कोई कार्यवाही नहीं की थी। आगे, यह देखा गया था कि इन पांच दोषी मिलरों में से चार[34] मिलरों को उनके हक से अधिक 410 एम.टी. से 2,977 एम.टी. के बीच धान आबंटित किया गया था। पेनल्टी एवं ब्याज सहित कुल वसूली ₹ 24.46 करोड़ परिकलित की गई है। तथापि, न तो यह राशि मिलरों से वसूल की गई थी और न ही पोस्ट डेटिड चैकों (डी.पी.सीज) को भुनाने या दोषी मिलरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी सिवाय दो मामलों[35] जिनमें पी.डी.सीज बाउंसड हो गए थे और एक[36] मिलर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी (नवंबर 2015)।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि संबंधित डी.एफ.एस.सीज को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे।

32 (i) कुरूक्षेत्र, (ii) करनाल तथा (iii) कैथल।

33 1,492 एम.टी. धान तथा 7,266 एम.टी. चावल।

34 (i) मैसर्ज दिव्या फूड, करनाल, (ii) मैसर्ज मोती राम सुनील कुमार, असंध, (iii) मैसर्ज जहारवीर राणा चावल मिल, झांसा तथा (iv) मैसर्ज श्री गणेश चावल एवं जनरल मिल्ज, चीका।

35 (i) मैसर्ज दिव्या फूड करनाल तथा (ii) मैसर्ज मोतीराम सुनील कुमार, असंध।

36 मैसर्ज जहारवीर राणा चावल मिल झांसा।

3.6.3 मिलरों से मूल्य कट और आर्द्रता कट की वसूली न करना

भारत सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2013 - 14 के लिए कस्टम मिल्ड राईस की अस्थाई दरें सूचित करते समय (अप्रैल 2014) भा.खा.नि. को सुपुर्द चावल की लागत का एक प्रतिशत की दर पर मूल्य कट[37] लगा दिया। इसी प्रकार, भा.खा.नि. द्वारा विभाग के बिलों से किया गया कोई आर्द्रता कट[38] भी मिलरों से वसूलनीय था। तथापि, यह देखा गया था कि दो जिलों (करनाल एवं कुरूक्षेत्र) में मूल्य कट और आर्द्रता कट के कारण 47 मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की राशि वसूलनीय थी। लेकिन सितंबर 2014 तक 2013 - 14 के के.एम.एस. के समाप्त होने के बावजूद राशि वसूल नहीं की गई थी (नवंबर 2015)। इसके अतिरिक्त, के.एम.एस. 2013 - 14 के पूर्ण होने के 12 मास व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी विभाग ने इन मिलरों का मिलिंग लेखा तैयार नहीं किया था।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि इस संबंध में संबंधित डी.एफ.एस.सी. को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

3.6.4 दिशानिर्देशों का पालन न करना

(i) खा.आ.वि. द्वारा प्रत्येक वर्ष धान के क्रय के लिए जारी दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि कस्टम मिलिंग धान करने वाले मिलर निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों (एस.जी.एज) के साथ एक अनुबंध निष्पादित करेंगे। लेखपरीक्षा ने अवलोकित किया कि करनाल जिले में 2014 - 15 के दौरान मिलरों के साथ अनुबंध निष्पादित किए बिना 6 मिलरों को धान आबंटित किया गया था।

(ii) खा.आ.वि. द्वारा प्रत्येक वर्ष धान के क्रय के लिए जारी दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि एक टन क्षमता के लिए ₹ पांच लाख और अतिरिक्त प्रति टन क्षमता के लिए ₹ दो लाख की प्रतिभूति राशि मिलरों से प्राप्त की जाएगी। प्रतिभूति संबंधित प्रापण एजेंसी के नाम में प्रतिभूत फिक्सड डिपोजिट रिसीटस (एफ.डी.आर.) के रूप में होनी चाहिए और अनुबंध के अंतिम निष्पादन तक वैध होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2014 - 15 के दौरान 16[39] मिलरों से ₹ 1.50 करोड़ की प्रतिभूति राशि प्राप्त नहीं की गई थी।

(iii) दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मिलर द्वारा स्टैकस की स्थिति, प्रत्येक स्टैक में बैगों की संख्या सहित स्टैक नं. को प्रदर्शित करते हुए तीन प्रतियों में एक चित्रात्मक चार्ट/स्कैच तैयार करना अपेक्षित था। चार्ट की एक प्रति मिल परिसर में रखी जानी थी जबकि दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक द्वारा रखी जानी थी तथा तीसरी प्रति जिला कार्यालय में रखी जानी थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना - जांच किए गए जिलों में से किसी भी मिलर द्वारा चित्रात्मक चार्ट/प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे, दिशानिर्देशों में निर्धारित भौतिक सत्यापन प्रोफार्मा में धान/कस्टम मिल्ड राईस की किस्म एवं स्वास्थ्य के संबंध में कोई कॉलम नहीं था। इसके परिणामस्वरूप निम्नतर गुणवत्ता वाले धान के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले धान को बदलने के अवसरों का पता नहीं लगाया जा सकता।

[37] यदि भारत सरकार केन्द्रीय पूल के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले चावल के विनिर्देशनों में कुछ कारणों से ढील देती है तो यह ढील दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप कस्टम मिल्ड राईस के मूल्य में मूल्यकट लगा सकती है, जो मिलरों से वसूल किया जाना था।

[38] यदि सी.एम.आर. में आर्द्रता घटक 14 प्रतिशत से अधिक है तो आर्द्रता कट लगाया जाता है।

[39] कुरूक्षेत्र का एक मामला तथा करनाल के 15 मामले।

महानिदेशक, खा.आ.वि. ने बताया (नवंबर 2015) कि संबंधित डी.एफ.एस.सीज को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए निदेश दिए जा रहे थे।

इस प्रकार, स्टाक का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन न करने, मिलरों की क्षमता से अधिक धान का आबंटन, धान की मिलिंग के लिए एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में सही गारंटी प्राप्त न करने, दोषी मिलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही न करने की कमी से युग्मित कारणों ने ₹ 115.48 करोड़ मूल्य के धान की असुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाया। मिलरों से चावल की कम आपूर्ति के कारण ₹ 24.46 करोड़ की अवसूली, मूल्यकट और आर्द्रता कट के कारण मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की अवसूली और कई मामलों में दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले भी थे।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सितंबर 2015 में संदर्भित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2016)।

वन विभाग

3.7 भूमि मालिक को अधिक भुगतान तथा आयकर की कटौती न करना

मंडलीय वन अधिकारी, मोरनी-पिंजौर ने पेड़ों के लिए ₹ 1.36 करोड़ की अधिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त ब्याज भुगतान पर ₹ 0.90 करोड़ का आयकर भी नहीं काटा गया था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (भू.अ. अधिनियम) की धारा 23(1) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि भूमि की बाजार कीमत के अतिरिक्त, खड़ी फसलों तथा पेड़ों की हानि के कारण भूमि मालिकों द्वारा उठाई गई क्षतियां भी मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य हैं। आगे, धारा 23(1-ए) तथा धारा 23(2) के अनुसार भूमि की बाजार कीमत पर 30 प्रतिशत मुआवजे के साथ-साथ अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अतिरिक्त राशि देय थी। आगे आयकर (आई.टी.) अधिनियम 1961 की धारा 194ए निर्धारित करता है कि ब्याज का भुगतान करते समय भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/प्राधिकारी को, निर्धारित दरों पर स्रोतों पर कर की कटौती करनी चाहिए।

वन विभाग ने वन पौधारोपण तथा मृदा संरक्षण उपायों के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पंचकुला जिले के असरेवली तथा नदलान गांवों में क्रमश: 1,675.43 एकड़ तथा 1,526.10 एकड़ भूमि अधिगृहीत की (अगस्त 1984)। भूमि अधिग्रहण कलक्टरज (एल.एस.सी.) ने ₹ 640 प्रति एकड़ पर भूमि की कीमत निर्धारित करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की (अगस्त 1984) लेकिन पेड़ों के संबंध में दावे इस आधार पर नामंजूर कर दिए गए कि भूमि मालिक ने जिसकी भूमि अधिगृहीत की गई थी, स्वामित्व सौंपने से पहले सभी पेड़ों को काट लिया था तथा हटा दिया था। उक्त अवार्ड से असंतुष्ट, भूमि मालिक ने हर्जाने की राशि बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत एक अपील दायर की। अपर जिला न्यायधीश, अंबाला ने भूमि की कीमत ₹ 640 प्रति एकड़ से ₹ 730 प्रति एकड़ बढ़ा दी (दिसंबर 1991), लेकिन पेड़ों के कारण हुई क्षति को अनुमत नहीं किया। भूमि मालिक ने दोनों गांवों के संबंध में पेड़ों के कारण हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति के साथ-साथ भूमि की कीमत के लिए हर्जाने की वृद्धि के लिए माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने भूमि के मूल्य निर्धारण के संबंध में कानून में प्रावधान के अनुसार भूमि की कीमत ब्याज, मुआवजे तथा अतिरिक्त राशि सहित

बढ़ाकर ₹ 1,520 प्रति एकड़ कर दी (अक्तूबर 2012)। दोनों गांवों के लिए अपील में पेड़ों के कारण हुई हानि के लिए प्रत्येक गांव हेतु ₹ 16.50 लाख ब्याज सहित निर्धारित किए गए जैसा कि भू.अ. अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान किया गया था।

मंडलीय वन अधिकारी (म.व.अ.), मोरनी-पिंजौर के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मई 2015) कि भू.अ. अधिनियम, के प्रावधानों तथा माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कीमत पर विभाग द्वारा 30 प्रतिशत की दर पर मुआवजा तथा 12 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया गया था (मई 2014)। परिणामस्वरूप, मुआवजा तथा पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति पर अतिरिक्त राशि तथा उस पर ब्याज के कारण भूमि मालिक को ₹ 1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

आगे यह अवलोकित किया गया कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभाग ने ₹ 4.51 करोड़ के ब्याज भुगतान पर ₹ 90.28 लाख की राशि टी.डी.एस. के रूप में काटे बिना भूमि मालिक को ₹ 5.52 करोड़ की कुल राशि इस तर्क पर जारी (मई 2014) की थी कि आयकर स्वयं जमा करवाने के संबंध में भूमि मालिक ने अंडरटेकिंग दी थी, जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था तथा भूमि मालिक को अनुचित लाभ दिया गया था।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग ने बताया (दिसंबर 2015) कि भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया गया था। आगे, टी.डी.एस. नहीं काटा गया था क्योंकि भूमि मालिक ने एक अंडरटेकिंग दी थी कि वह देय आयकर स्वयं जमा करवाएगा तथा ₹ 71.50 लाख[40] की एक राशि उसके द्वारा जमा करवा दी गई थी, जिसकी पुष्टि आयकर विभाग से प्रतीक्षित थी। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने, जैसा कि कानून में प्रावधान है, भू.अ. अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत केवल वृक्षों की कीमत पर ब्याज, केवल भूमि के मूल्य पर मुआवजा, अतिरिक्त राशि और ब्याज को अनुमत किया था। आगे, भूमि मालिक द्वारा इस प्रकार जमा करवाई गई दिखाई गई राशि न केवल देय टी.डी.एस. से कम थी, अपितु आयकर प्राधिकारी के पास देरी से भी जमा करवाई गई थी। इसके अतिक्ति, भूमि मालिक द्वारा कर जमा करवाने का सत्यापन अभी भी आयकर प्राधिकारी से प्रतीक्षित था (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, भू.अ. अधिनियम के प्रावधानों तथा मानीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में पेड़ों के लिए क्षतिपूर्ति पर मुआवजा तथा अतिरिक्त राशि के भुगतान के कारण भूमि मालिकों को ₹ 1.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, ब्याज भुगतानों पर टी.डी.एस. की कटौती न करना भूमि मालिक को अनुचित लाभ देने के बराबर था।

3.8 प्लांट टिशू कल्चर यूनिट पर निष्फल व्यय

हार्डनिंग चैम्बर की अनुपलब्धता तथा सक्षम स्टॉफ की नियुक्ति न करने के कारण कुरूक्षेत्र में प्लांट टिशू कल्चर यूनिट पर किया गया ₹ 87.65 लाख का व्यय निष्फल रहा था।

टिशू कल्चर, कम ज्ञात पेड़ प्रजाती या दुर्लभ, संकटग्रस्त तथा आशंकित प्रजातिया जो प्राकृतिक

[40] ₹ 71.50 लाख = ₹ 36.47 लाख (सितंबर 2014) + ₹ 35.03 लाख (दिसंबर 2014)।

रूप से नहीं उपजते या जिनकी प्राकृतिक उपज अपर्याप्त है, को उपजाने का एक तरीका है। विभाग में एक प्लांट टिशू कल्चर यूनिट (टि.क.यू.) की स्थापना के लिए प्रस्ताव 'एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा गरीबी उन्मूलन' परियोजना के एक प्रावधान के रूप में किया गया था।

वन विभाग, हरियाणा ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) के साथ, हिमालयन बायो संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.एच.बी.टी.), पालमपुर, हिमाचल प्रदेश नामक अपने संघटक संस्थान के माध्यम से एक आधुनिक टि.क.यू. की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया (मार्च 2008) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया कि पेड़ प्रजातियों जैसे बांस, युकलिप्टस, एलोवेरा तथा अन्य औषधीय पौधों आदि के लिए टिशू कल्चर प्रोटोकोल की आपूर्ति/विकसित करने तथा उपकरणों के संयुक्त प्रापण सहित भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद 24 महीनों के भीतर लैबोरेट्री शुरू कर दी जानी चाहिए। एम.ओयू. के अनुसार, आई.एच.बी.टी. द्वारा कुरूक्षेत्र में लैबोरेट्री की स्थापना के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति को भेजा गया था तथा टि.क.यू. को सफलता से चलाने के लिए अपेक्षित पर्याप्त मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ इसे क्रियाशील बनाना था।

डिविजनल वन अधिकारी, अनुसंधान मण्डल, पिंजौर के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्लांट टिशू कल्चर लैबोरेट्री की स्थापना का सिविल कार्य नवंबर 2009 में पूर्ण कर लिया गया था तथा टि.क.यू. को दिसंबर 2011 तक क्रियाशील कर दिया गया था। आई.एच.बी.टी. द्वारा नवंबर 2010 में पांच कार्मिकों (फोरेस्ट गाडर्ज) को टिशू कल्चर प्रक्रिया में प्रशिक्षण दिया गया था लेकिन वन विभाग ने आई.एच.बी.टी. से प्रोफेशनल एक्सपर्ट को, उनके द्वारा प्रस्तावित बहुत उच्च सैलरी की दलील के कारण नियुक्त नहीं किया। बल्कि, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से टिशू कल्चर में डॉक्टरेट ऑफ फिलोसिफी कर रहे एक रिसर्च स्कॉलर को अगस्त 2012 से जून 2013 की अवधि के लिए यूनिट की देखभाल करने के लिए अनुबंध आधार पर (₹ 18,000 प्रति माह की दर पर) लगाया गया था तथा उसके बाद अभी तक (दिसंबर 2015) टि.क.यू. में किसी अन्य योग्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया था। इस समय, केवल एक फोरेस्ट गार्ड जिसने टिशू कल्चर में आई.एच.बी.टी. से प्रशिक्षण लिया था, को यूनिट में नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि टि.क.यू. के पास एक हार्डनिंग चैम्बर की उपलब्धता नहीं थी, जो प्लांटलेट्स को कल्चर वैसल से एक ग्रीन हाऊस या फील्ड में ट्रांसफर करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था, जिसका प्रावधान एम.ओ.यू में नहीं किया गया था क्योंकि यह सोचा गया था कि प्रोटोकोलज को विकसित करने में टि.क.यू. आत्म निर्भर होगा। यह त्रुटि रिसर्च विंग द्वारा उच्चतर प्राधिकारियों को बताई गई थी (जून 2013)। तथापि विभाग जनवरी 2016 तक सुदृढ़ीकरण चैंबर[41] स्थापित/प्रदान करने में विफल हो गया था।

विभाग ने टिशू कल्चर के लिए 10 प्रजातियो[42] को लेने का निर्णय लिया (मई 2012) लेकिन कोरिम्बिया के सिवाय, कोई टिशू कल्चर प्रोटोकोल विकसित करने में समर्थ नहीं था (सितंबर 2015)। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2015) कि किसी प्रजाति का टिशू कल्चर प्रोटोकोल का विकास एक अनुसंधान गतिविधि है तथा

41 विभागीय डाटा के अनुसार, हार्डनिंग चैम्बर की अनुमानित लागत: ₹ 7.50 लाख।

42 यूकलिप्टस, डालबर्गिया सिसू, बैम्बूज, सालवदोरा ओलीडस, सालवदोरा पर्सिका, एनोजिसस लेटीफोलिया, एनोजिसस पेंडुला, टेकोमिला अनडुलेट, बोसवेलिया सेराटा, तथा अदीना कोरडिफोलिया।

किसी प्रजाति के प्रोटोकोल विकसित करने में वर्षों लग सकते हैं। आगे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि हार्डनिंग चैम्बर के निमार्ण का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित किया गया था तथा जल्द ही निर्मित कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित फोरेस्ट गार्ड, मंडलीय वन अधिकारी/वन सरंक्षक (अनुसंधान) की निगरानी में गुणक प्लांट कल्चर द्वारा टि.क.यू. को अनुरक्षित कर रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि विभाग हार्डनिंग चैम्बर तथा प्रशिक्षित टिशू कल्चर एक्सपर्ट, दो वर्षों से ज्यादा बीत जाने पर भी, प्रदान करने में विफल रहा। आगे, विभाग की दलील कि फोरेस्ट गार्ड टि.क.यू. को मेनटेन कर रहा था, स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि आई.एच.बी.टी. से एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित था।

इस प्रकार हार्डनिंग चैम्बर की अनुपलब्धता तथा सक्षम स्टॉफ की नियुक्ति न होने के कारण मार्च 2015 तक किया गया ₹ 87.65 लाख[43] का व्यय न केवल निष्फल रहा था मूल उद्देश्य अपितु जिसके लिए यूनिट स्थापित की गई थी वह भी विफल रहा।

स्वास्थ्य विभाग (रैड क्रास सोसाइटी)

3.9 रैड क्रास सोसाइटियों द्वारा निधियों का उपयोग

जिला रैड क्रास सोसाइटियों (जि.रै.क्रा.सो.) ने वेतन एवं भत्तों पर ₹ 18.38 करोड़ तथा इसके मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर मात्र ₹ 6.63 करोड़ व्यय किए थे। ₹ दो करोड़ का व्यय इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आवृत न की गई गतिविधियों पर किया गया था। गबन, विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण न देना, आपूर्तिकर्ता पर पेनल्टी न लगाना, संविधान और जि.रै.क्रा.सो. के समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न करने के मामले भी थे।

भारतीय रैड क्रास सोसाइटी (भा.रै.क्रा.सो.) भारतीय रैड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं के बीमार एवं घायल सदस्यों की सहायता और युद्ध के दौरान इस तरह के अन्य उद्देश्यों तथा शान्ति काल में भी जारी रखना, मातृत्व एवं बाल कल्याण, नर्सिंग एवं एम्बुलैंस कार्य; महामारी भूकंप, अकाल, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं इत्यादि के कारण पीड़ितों की पीड़ा को कम करने के लिए राहत के उद्देश्य से, गठित की गई थी। भा.रै.क्रा.सो. की हरियाणा राज्य शाखा जून 1971 में अस्तित्व में आई। राज्य में 21 जिला रैड क्रास सोसाइटियां (जि.रै.क्रा.सो.) हैं।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि क्या सोसाइटियों की निधियों का उपयोग लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार किया गया था, सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम, 1971 की धारा 20(i) के अंतर्गत रैड क्रास सोसाइटी हरियाणा (रै.क्रा.सो.ह.) तथा 21 जि.रै.क्रा.सो. में से पांच[44] के कार्यालयों में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। 2010-15 के दौरान नमूना-जांच की गई इकाइयों में ₹ 54.79 करोड़ की आय के विरूद्ध ₹ 49.82 करोड़ का व्यय किया गया था।

[43] (i) आई.एच.बी.टी. को कंसलटेंसी प्रभार: ₹ 7.85 लाख, (ii) उपकरणों, कैमीकलज़, एयरकंडीशनर आदि की खरीद: ₹ 26.47 लाख (iii) भवन निर्माण: ₹ 26.50 लाख, (iv) विद्युत कनैक्शन: ₹ छ: लाख तथा (v) परिचालनात्मक लागत: ₹ 20.83 लाख।

[44] सिरसा, कुरूक्षेत्र, भिवानी, फतेहाबाद तथा गुड़गांव।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

(i) बजट अनुमानों का तैयार न करना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि भिवानी और फतेहाबाद दो जि.रै.क्रा.सो. ने लेखापरीक्षा अवधि 2010-15 के दौरान, सिरसा ने वर्ष 2011-15 के लिए जि.रै.क्रा.सो., गुड़गांव और कुरूक्षेत्र ने क्रमश: वर्ष 2012-13 और 2014-15 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) तैयार नहीं किए थे। जिसके कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे। बी.ई. को तैयार न करना जि.रै.क्रा.सो. द्वारा व्यय पर वित्तीय नियंत्रण के अभाव का संकेत करता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, जि.रै.क्रा.सो. फतेहाबाद तथा कुरूक्षेत्र ने बताया (सितंबर 2015) कि जि.रै.क्रा.सो. की कार्यकारी समिति (ई.सी.) की बैठक में इन वर्षों के बजटों को अब अनुमोदित किया गया था। सिरसा और गुड़गांव की जि.रै.क्रा.सो. से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2015)।

(ii) अनियमित व्यय

(क) जि.रै.क्रा.सो. के संविधान की धारा 20(i) प्रावधान करती है कि जिला शाखा में समस्त नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी और स्थाईकरण के लिए मामले ई.सी. के सामने रखे जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में 90 कर्मचारियों[45] की नियुक्तियां, प्रक्रिया जैसा कि जि.रै.क्रा.सो. के संविधान में निर्धारित है, को अपनाए बिना की गई थी। सोसाइटियों ने प्रक्रिया अपनाए बिना 2010-15 के दौरान कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 12.29 करोड़ व्यय किया। जि.रै.क्रा.सो., फतेहाबाद ने बताया (सितंबर 2015) कि अब समस्त नियुक्तियों का ई.सी. से अनुमोदन करवा लिया गया है। शेष चार जि.रै.क्रा.सो. ने आश्वासन दिलाया कि ई.सी. से का मामला अगली बैठक में अनुमोदित करवा लिया जाएगा। तथापि, ई.सी. द्वारा अभी तक (दिसंबर 2015) कोई अनुमोदन नहीं दिया गया था।

(ख) जि.रै.क्रा.सो. को मुख्य व्यय, भारतीय रैड क्रास सोसाइटी अधिनियम, 1920 के अंतर्गत प्रथम सूची सैक्शन-7 में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करना था। पांच जि.रै.क्रा.सो. के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि इन जि.रै.क्रा.सो. द्वारा 2010-15 के दौरान ₹ 29.52 करोड़ व्यय किए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इन जि.रै.क्रा.सो. ने ₹ 18.38 करोड़ (62 प्रतिशत) का व्यय वेतन एवं भत्तों पर किया और मात्र ₹ 6.63 करोड़ (22 प्रतिशत) का व्यय इन जि.रै.क्रा.सो. द्वारा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर किया गया। ₹ 18.38 करोड़ में से, ₹ 1.50[46] करोड़ का अनियमित व्यय जि.रै.क्रा.सो. ने अन्य विभागों[47] में काम करने वाले स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर किया। इसके अतिरिक्त सिरसा जिले में दूसरे विभागों के लिए नियोजित वाहन एवं मशीनरी पर ₹ 0.24 करोड़ का व्यय भी किया गया था। इंगित किए जाने पर, सचिव जि.रै.क्रा.सो., फतेहाबाद ने बताया (सितंबर 2015) कि ₹ 18.40 लाख में से ₹ 14.14 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी थी। अन्य जि.रै.क्रा.सो. द्वारा दिसंबर 2015 तक कोई वसूली नहीं की गई थी।

[45] कार्यालय स्टाफ और विभिन्न परियोजनाओं जैसे परिवार काउन्सिलिंग केंद्र, जिला पुनर्वास केंद्र आदि के लिए कर्मचारी।

[46] सिरसा: ₹ 0.16 करोड़, कुरूक्षेत्र: ₹ 0.48 करोड़, गुड़गांव: ₹ 0.68 करोड़ तथा फतेहाबाद: ₹ 0.18 करोड़ = ₹ 1.50 करोड़।

[47] तहसील कार्यालय, नगर परिषद्, सिविल सर्जन, उपायुक्त कार्यालय, जनगणना विभाग इत्यादि।

(ग) चयनित जि.रै.क्रा.सो. के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि समितियों ने ₹ 27.39 लाख का व्यय, दीपावली एवं राष्ट्रीय दिवस मनाने पर, निर्धन व्यक्तियों, प्राईवेट एवं सरकारी संस्थाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता पर किया था, जो कि भा.रै.क्रा.सो. अधिनियम 1920 के उद्देश्यों के अंतर्गत आवृत नहीं था। आगे, उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को ऐसे भुगतानों को रोकने के लिए निर्देश दिए (अप्रैल 2010)। रै.क्रा.ह. ने ऐसे भुगतानों को रोकने के लिए जि.रै.क्रा.सो. के सभी अध्यक्षों को न्यायालय के अनुदेश अग्रेषित कर दिए (नवंबर 2010)।

आगे, यह भी देखा गया कि इन गतिविधियों पर ₹ 27.39 लाख में से ₹ 26.34 लाख का व्यय उच्च न्यायालय के निर्देशों (अप्रैल 2010) के पश्चात् भी किया गया था।

सचिव, जि.रै.क्रा.सो. भिवानी ने बताया (मार्च 2015) की सोसाइटी ने अब निर्धनों को सहायता देने की प्रथा को बंद कर दिया है। तथापि, तथ्य यह रहता है कि व्यय भा.रै.क्रा.सो. अधिनियम, 1920 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया था और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(iii) विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एस.जे.ई.) ने 128 अंधे व्यक्तियों, जो कुर्सियों की केन बुनाई के लिए नियुक्त थे, उन्हें जि.रै.क्रा.सो. में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैनात करके क्योंकि केन कुर्सियों का उपयोग पर्याप्त रूप से घट चुका था, के पुनर्वास के लिए एक पालिसी बनाई (अगस्त 2009)। उन्हें चॉक, डिस्पोजेबल वस्तुएं, मोमबत्ती, डस्टर आदि बनाने में तीन माह के अनिवार्य प्रशिक्षण पर जाना अपेक्षित था जिसके पश्चात् उन्हें एस.जे.ई. विभाग द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में विकलांग व्यक्तियों को आगे प्रशिक्षण देना अपेक्षित था।

एस.जे.ई. विभाग प्रशिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु संबंधित जि.रै.क्रा.सो. को अनुदान निर्मुक्त कर चुका था। तदनुसार, दिसंबर 2009 से मार्च 2014 तक ₹ 6.69 करोड[48] की राशि का वेतन दिया गया था। तथापि, यह देखा गया कि 17 जिलों (सिवाय चार जि.रै.क्रा.सो.[49] के) में एम.टीज को उचित प्रशिक्षण केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण तीन माह का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। जनवरी 2010 में प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु औजार और मशीनों के क्रय हेतु जि.रै.क्रा.सो. को ₹ 4.20 लाख भी निर्मुक्त किए गए थे। तथापि, अभी तक (दिसंबर 2015) कोई क्रय नहीं किया गया था। रै.क्रा.ह. ने बताया (जनवरी 2015) कि उन्होंने प्रशिक्षण के मामले पर गंभीरता से विचार किया था और फरवरी से नवंबर 2015 तक 105 अंधे एम.टीज के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शैडयूल निश्चित किया है। तथापि, अभी तक (दिसंबर 2015) कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोला था।

इस प्रकार, ₹ 6.69 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी एम.टीज के पुनर्वास और विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था और आवश्यक औजार एवं मशीनरी अभी भी क्रय की जानी थी।

[48] दिसंबर 2009 से मार्च 2012, ₹ 3.73 करोड़, 2012-13, ₹ 1.25 करोड़ तथा 2013-14, ₹ 1.71 करोड़ कुल ₹ 6.69 करोड़।

[49] कुरूक्षेत्र, पंचकुला, हिसार तथा पलवल।

(iv) संदिग्ध गबन

पंजाब वित्तीय नियम (खंड-1) (नियम 2.2 और 2.7), जो हरियाणा सरकार और रैड क्रास सोसाइटियों में भी लागू है, अपेक्षा करते हैं कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) स्वयं को संतुष्ट करे कि समस्त मौद्रिक व्यवहारों, ज्यों ही वे घटित होते हैं, को रोकड़ बही में दर्ज किया गया है और वे उस द्वारा सत्यापित किए गए हैं। ऐसे मामले में जहां कर्मचारी जो रोकड़ बही का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, उसे जरूरी है कि उस धन की रोकड़ बही के प्रभारी के पास जमा करवाए या उसी दिन या अगले दिन सुबह राशि को कोषालय/बैंक में जमा करवाए। कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह भी जरूरी है कि रोकड़ बही में जोड़ सहित सभी इन्द्राजों को सत्यापित करे या इसे, रोकड़ बही के लेखक से अन्य किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा करवाए और समस्त इन्द्राज सही हैं पर अद्याक्षर करें।

जि.रै.क्रा.सो., भिवानी के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि जि.रै.क्रा.सो. भिवानी द्वारा अप्रैल और अगस्त 2011 के बीच एम्बुलैंस वैन के प्रभारों से प्राप्ति के रूप में ₹ 66,850 एकत्रित किए गए थे। यह राशि रोकड़ बही में दर्ज[50] की गई और बैंक में जमा करवाई गई के रूप में दर्शाई गई। तथापि, रोकड़ बही और बैंक विवरणी की जांच ने दर्शाया कि राशि बैंक में जमा नहीं करवाई गई थी। डी.डी.ओ. द्वारा यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था कि एकत्रित की गई समस्त राशि बैंक में जमा करवाई गई थी। चार्टर्ड लेखाकार, जिसने सोसाइटी के लेखे को अंतिम रूप दिया था, द्वारा तैयार बैंक समाधान विवरणी में भी इस राशि को नहीं दर्शाया गया था। यह ₹ 66,850 के गबन के तुल्य था।

सचिव, जि.रै.क्रा.सो. भिवानी ने बताया (जून और सितंबर 2015) कि ₹ 93,410 (₹ 66,850 गबन के और ₹ 26,560 ब्याज के) जून 2015 में जमा करवा दिए गए थे। इस प्रकार, डी.डी.ओ. द्वारा रोकड़ बही में धन संबंधी लेन-देन को सत्यापित न करने और रोकड़ बही के लेखक से अन्य व्यक्ति द्वारा रोकड़ बही में इंद्राजों की जांच न करना गबन का कारण बना।

(v) संविधान एवं समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न होना

रै.क्रा.ह. ने जि.रै.क्रा.सो. की सभी शाखाओं के लिए प्रारूप संविधान और समरूप सेवा नियम, उनकी टिप्पणियों हेतु सर्कुलेट किए ताकि इसे प्रबंधन कमेटी की 17 जनवरी 2006 को होने वाली बैठक में अनुमोदित करवाया जा सके। यह देखा गया कि पांच जि.रै.क्रा.सो. में से तीन (फतेहाबाद, भिवानी और गुड़गांव) ने न तो संविधान अपनाया और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित किसी सेवा नियम को अपनाया था। तीन जि.रै.क्रा.सो. (सिरसा, फतेहाबाद और गुड़गांव) ने बताया था कि उन्होंने अपने स्वयं के अनुमोदित सेवा नियमन होने के कारण हरियाणा सरकार के नियमों को अपनाया था। सचिव, रै.क्रा.ह. ने बताया (सितंबर 2015) कि जि.रै.क्रा.सो. द्वारा सेवा नियम अनुमोदित नहीं किए गए हैं।

[50] 21 अप्रैल 2011 को ₹ 15,400, 14 जून 2011 को ₹ 15,190 तथा 04 अगस्त 2011 को ₹ 36,260

(vi) अनुचित लाभ एवं पेनल्टी न लगाना

दिसंबर 2011 और अक्तूबर 2013 के बीच प्रथम सहायता बाक्सों लिए चार आपूर्ति आदेश इस अनुरोध के साथ जारी किए गए थे कि आपूर्ति, आदेशों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पूर्ण हो, जिसकी विफलता पर सामग्री की कुल लागत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से पेनल्टी लगाई जाएगी। यद्यपि, फर्म ने प्रथम सहायता बाक्सों की आपूर्ति 48 से 174 दिनों के बीच श्रृंखलित विलंब से की थी, फिर भी इन आपूर्ति आदेशों के विरूद्ध, कोई पेनल्टी लगाए बिना, ₹ 9.25 लाख का भुगतान कर दिया था। यह भी देखा गया था कि आपूरित मदों के नमूने भी विफल हो गए थे।

सचिव, रै.क्रा.ह. ने बताया (सितंबर 2015) कि एक प्रतिशत पेनल्टी लगाने की शर्त का उल्लेख उन द्वारा कुछ आपूर्ति आदेशों में किया था जबकि निविदा फार्मों में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि आपूर्ति आदेशों में पेनल्टी की शर्त का उल्लेख था और इसलिए ऐसे मामलों, जहां आपूर्ति में असामान्य विलंब था, में पेनल्टी लगाई जानी थी।

इस प्रकार, जिला रैड क्रास समितियों ने वेतन एवं भत्तों पर ₹ 18.38 करोड़ तथा इसके मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों पर केवल ₹ 6.63 करोड़ व्यय किए थे। ₹ दो करोड़ का व्यय ऐसी गतिविधियों पर किया गया जो इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं थी। गबन, विक्लांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण न दिया जाना, आपूरकों पर शास्ति का न लगाया जाना, संविधान और जि.रै.क्रा.सो. के समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न करवाना जैसे मामले थे।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग को अगस्त 2015 में भेजा गया था और सितंबर 2015 को पुनः स्मरण-पत्र जारी किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग

(गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र)

3.10 सेवाकर का परिहार्य भुगतान

गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार और कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र ने उन सेवाओं पर ₹ 1.98 करोड़ के सेवाकर का परिहार्य भुगतान किया जिन्हें भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने पूरक शिक्षा सेवाओं (पू.शि.से.)[51] के रूप में शिक्षा के संबंध में एक शिक्षा संस्था को अथवा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान की छूट दी (जून 2012)। आबकारी एवं सीमाशुल्क केंद्रीय बोर्ड ने सितंबर 2013 में स्पष्ट किया कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाएं सेवाकर से छूट प्राप्त हैं। अधिसूचना को जुलाई 2014

[51] पूरक शिक्षा सेवाओं से अभिप्राय कोई भी कौशल, ज्ञान, पाठ्यक्रम वस्तु को शिक्षा या विकास या अन्य कोई ज्ञानवर्धक गतिविधि चाहे यह छात्रों या प्राध्यापक वर्ग के लिए हो या कोई अन्य सेवाएं जो शिक्षा संस्थाएं साधारणतः स्वयं करती है परंतु किसी अन्य व्यक्ति से आऊटसोर्स सेवाओं के रूप में प्राप्त कर सकती हैं।

में आगे संशोधित किया गया और पू.शि.से. की धारणा मिटा दी गई और एक शिक्षा संस्था को इन सेवाओं पर सेवाकर से छूट उपलब्ध थी (क) एक शिक्षा संस्था द्वारा इसके छात्रों, प्राध्यापक वर्ग और स्टाफ को (ख) एक शिक्षा संस्था को, छात्रों, प्राध्यापक वर्ग और स्टाफ के परिवहन, सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी मिड-डे मीलज सहित केटरिंग, सुरक्षा या सफाई अथवा ऐसी शिक्षा संस्थाओं में निष्पादित हाऊस कीपिंग सेवाएं तथा ऐसी संस्था द्वारा एडमिशन से संबंधित अथवा परीक्षा के आयोजन, सुरक्षा, हाऊस कीपिंग, केटरिंग और सफाई से संबंधित सेवाएं इत्यादि।

गुरू जंभेश्वर विश्वविद्यालय (गु.जं.वि.), हिसार के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि गु.जं.वि. ने एक सेवा प्रदानकर्ता (से.प्र.)[52] के माध्यम से सुरक्षा स्टाफ और सुरक्षा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी और तत्रैव अनुदेशों की उल्लंघना में जनवरी 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान एजेंसी को ₹ 31.39 लाख की राशि सर्विस टैक्स के रूप में भुगतान की। आगे, गु.जं.वि. में रख-रखाव कार्यों (सिविल, बिजली, पी.एच.ई. और बागवानी) के लिए अन्य सेवा प्रदानकर्ता[53] के माध्यम से मानवशक्ति की नियुक्ति की गई (सितंबर 2012) और रख-रखाव सेवाओं, जो हाऊसकीपिंग कार्यों के अंतर्गत आती हैं, के लिए ली गई मानवशक्ति की आपूर्ति के एवज में सेवाकर के तौर पर अक्तूबर 2012 से अप्रैल 2015 तक सेवाकर विभाग और सेवा प्रदानकर्ता को ₹ 56.53[54] लाख की राशि का भुगतान किया गया। इस प्रकार, गु.जं.वि. ने ₹ 87.92 लाख राशि के सेवाकर का परिहार्य भुगतान किया।

प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि सेवाकर के रिफंड के लिए मामला सेवाकर विभाग के साथ उठाया गया था और मामले के अंतिम परिणाम के बारे में लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाएगा।

(ख) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (के.यू.के.) के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) ने दर्शाया कि के.यू.के. ने तीन एस.पीज के माध्यम से स्टाफ जैसे हाऊसकीपिंग के लिए माली, सफाई कर्मचारी, वेटर, कुक और सुरक्षा स्टाफ की नियुक्ति की थी और तत्रैव अनुदेशों की उल्लंघना में जुलाई 2012 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान एस.पीज को सेवाकर के रूप में ₹ 1.10[55] करोड़ की राशि का भुगतान किया। अपर प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि सेवाकर के रिफंड संबंधी मामले को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाऊटैंट के साथ परामर्श से संबंधित प्राधिकारी के साथ उठाया जाएगा।

इस प्रकार, जी.जी.यू. और के.यू.के. ने एस.पीज को सेवा कर के रूप में ₹ 1.98 करोड़ राशि के सेवाकर का परिहार्य भुगतान किया जिसे रोका जा सकता था, यदि सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को समुचित ढंग से जांचा/कार्यान्वित किया जाता।

52 हरियाणा भूतपूर्व सेवा लीग।

53 मैसर्ज नरवाल सुपर सिक्योरिटी, पानीपत।

54 सेवा प्रदाता को ₹ 14,13,440, सेवा कर विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा सीधे जमा करवाया गया सेवा कर ₹ 42,39,625

55 मैसर्ज एच.ई.एस.एल. सिक्योरिटी परसोनल, कुरूक्षेत्र को ₹ 32,45,647, मैसर्ज केशव सिक्योरिटी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को ₹ 72,67,853 तथा मैसर्ज एक्स.ई.ए.एम. वैनचर्ज प्राईवेट लिमिटेड को ₹ 5,02,694

गृह विभाग

3.11 अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां

अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां परियोजना तीन वर्षों की समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं की गई है। गृह विभाग जांच अधिकारियों को हार्डवेयर प्रदान करने में, पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने, लिगैसी डाटा को डिजिटाइज/माइग्रेट करने, रीयल टाइम सूचना शेयरिंग के लिए पुलिस स्टेशनों, उच्चतर कार्यालयों तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के बीच एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा। विभाग कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के कार्यचालन में सुधार के लिए नागरिक केन्द्रिक सेवाएं प्रदान करने में भी विफल रहा।

भारत सरकार, (भा.स.) गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने अपराध जांच तथा अपराधिक खोज के क्षेत्रों में परिणामों को बढ़ाने के द्वारा, पूरे देश में विभिन्न पुलिस संस्थानों तथा यूनिटों के बीच सूचना एकत्रित तथा इसके प्रसार करने तथा आई.टी. एनैबलड ट्रैकिंग प्रणाली के विकास हेतु देशव्यापी नेटवर्क ढांचे के सृजन द्वारा नागरिक सेवाएं बढ़ाने में पुलिस फोर्स को आधुनिक करने के विचार से 2009 में राष्ट्रीय-ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां (सी.सी.टी.एन.एस.) ''मिशन मोड परियोजना'' के रूप में संकल्पित किया। हरियाणा सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना 2009 से 2012 तक दो फेज में, फेज-I में 40 पुलिस स्टेशनों (पी.एसज) को कवर करते हुए तथा फेज-II में शेष 233 पी.एसज तथा 152 उच्चतर कार्यालयों को कवर करते हुए लागू की जानी थी। दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) तथा तीन जिलों[56] में फेज-I के अंतर्गत 40 पी.एसज में से 20 के अभिलेखों की जांच की गई। 2009-15 के दौरान ₹ 58.94 करोड़ की परियोजना लागत के विरूद्ध, ₹ 22.40 करोड़ (भारत सरकार से ₹ 10.75 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹ 11.65 करोड़) अनुदान जारी किए गए तथा ₹ 11.41 करोड़ के शेष को छोड़ते हुए ₹ 10.99 करोड़ (कुल परियोजना लागत का 19 प्रतिशत) का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान निम्न मुख्य अनियमितताएं देखी गई:

(क) पूर्व-कार्यान्वयन गतिविधियां

राज्य सरकार द्वारा परियोजना को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन सलाहकार (एस.पी.एम.सी.) के तौर पर एक फर्म नियुक्त की जानी थी। 14 मई 2010 को ₹ 43.85 लाख की कुल लागत पर खुली बोली प्रक्रिया के द्वारा मैसर्ज प्राईसवाटर हाऊस कूपर्स प्राईवेट लिमिटेड गुड़गांव को एस.पी.एम.सी. नियुक्त किया गया। सलाहकार फर्म को प्रस्ताव हेतु आवेदन (आर.एफ.पी.) के अनुसार समय सीमा माईलस्टोन का अनुपालन करना अपेक्षित था। समय-सीमा तथा वास्तविक तिथियां जिन पर एम.एच.ए./राज्य सरकार द्वारा ये डिलीवरेबल अनुमोदित किए गए, तालिका में नीचे दिए गए हैं।

[56] पंचकूला, अंबाला तथा गुड़गांव जहां पायलट फेज (फेज-I) 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया।

क्र. सं.	वितरण योग्य	आर.एफ.पी./ अनुबंध के अनुसार समय सीमा	प्रस्तुति की वास्तविक तिथि	एस.पी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुति में देरी	तारीख जिस पर एम.एच.ए./ एन.सी.आर.बी. राज्य द्वारा अनुमोदन बताया गया था	विलंब सप्ताहों में
1.	विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट	टी[57]+4 सप्ताह	30 जुलाई 2010	7 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	क्रियात्मक आवश्यकता विनिर्देशन तथा डाटा माइग्रेशन रिपोर्ट	टी +6 सप्ताह	30 जुलाई 2010	5 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	मूलभूत संरचना आवश्यकताएं	टी +6 सप्ताह	30 जुलाई 2010	5 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग रिपोर्ट, एम. एंड ई. फ्रेमवर्क, सी.बी. एंड सी.एम. रिपोर्ट तथा ड्राफटिंग सरकारी आदेश	टी +6 सप्ताह	30 जुलाई 2010	5 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
	परियोजना कार्यान्वयन आवश्यकताएं	टी +8 सप्ताह	30 जुलाई 2010	3 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
2.	परियोजना कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग (पी.आई.एम.) प्लान	टी +10 सप्ताह	20 सितंबर 2010	8 सप्ताह	29 दिसंबर 2010	22 सप्ताह
3.	सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध	टी +12 सप्ताह	08 जनवरी 2011	शून्य[58]	14 जनवरी 2011	1 सप्ताह
4.	बोली मूल्यांकन रिपोर्ट	टी +20 सप्ताह	26 अगस्त 2011	47 सप्ताह	30 सितंबर 2011	5 सप्ताह

(स्रोतः एस.पी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट)

यह अवलोकित किया गया कि उपरोक्त रिपोर्टें एस.पी.एम.सी. द्वारा तीन और 47 सप्ताह (उपरोक्त क्रम संख्या 3 को छोड़कर) के मध्य की विलंब अवधि के बाद प्रस्तुत की गई तथा एम.एच.ए./राज्य सरकार द्वारा एक सप्ताह तथा 22 सप्ताह के मध्य विलंब अवधि के बाद अनुमोदित की गई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को लागू करने में पूर्ण देरी हुई। डिलीवरेबलों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण, एजेंसी आर.एफ.पी. के क्लॉज 5.9 के अनुसार ₹ 3.51 लाख की पेनल्टी का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थी, जो उद्गृहीत नहीं की गई। डी.जी.पी. ने बताया (मार्च 2015) कि डिलीवरेबलस, एन.सी.आर.बी., एम.एच.ए., भारत सरकार द्वारा शेयर किए जाने वाले माडल आर.एफ.पी. पर निर्भर थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि देरी की गणना माडल आर.एफ.पी. की प्राप्ति तथा एस.पी.एम.सी. के द्वारा रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण की वास्तविक तिथि के बाद से की गई थी।

(ख) परियोजना का कार्यान्वयन

राज्य स्तर पर सी.सी.टी.एन.एस. कार्यान्वयन का केन्द्रीय विशेष गुण ''सेवाओं को बांधना'' अवधारणा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, हरियाणा राज्य को मुख्यत: जगह की तैयारी तथा हार्डवेयर (आपूर्ति तथा लगाना), कपैस्टी बिल्डिंग, ऐतिहासिक डाटा का डिजिटाइजेशन/ माइग्रेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (कस्टमाईजेशन तथा एनहासमेंट) को प्रदान करने हेतु एक सिस्टम इंटिग्रेटर (एस.आई.) चयन करना था। ₹ 53 करोड़ की परियोजना लागत पर जून 2011 में तकनीकी तथा वाणिज्यिक स्कोर पर आधारित राज्य के उच्च क्षमता क्रय कमेटी द्वारा मैसर्ज हैवलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स लिमिटेड (मैसर्ज एच.पी.) को एस.आई. चुना गया। परियोजना का प्रथम फेज सभी 40 पी.एसज में लागू किया गया तथा शेष 233 पी.एसज तथा 152 उच्चतर कार्यालय फेज-II में पूरे किए जाने अपेक्षित थे जो अभी आरंभ किए जाने थे।

[57] टी-अनुबंध की तिथि (14 मई 2000)।

[58] एन.सी.आर.बी. से 27 अक्तूबर 2010 को प्राप्त प्रस्ताव हेतु मोडल अनुरोध।

परियोजना के मुख्य लक्ष्य तथा पूर्णता की वास्तविक तिथि निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	गतिविधि स्थल		अनुबंध/एस.एल.ए. तारीख	पूर्णता की देय तिथि	पूर्णता की संशोधित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि
1.		फेज -I	टी[59]+ 10 सप्ताह	10 दिसंबर 2011	10 दिसंबर 2011	10 सितंबर 2012
		फेज -II	टी +10 सप्ताह	10 दिसंबर 2011	10 दिसंबर 2011	फरवरी 2014
2.		फेज -I	स्थल अधिग्रहण के तीन महीने बाद	जनवरी 2013	जनवरी 2013	जनवरी 2013
		फेज -II		01 जुलाई 2014 से 07 फरवरी 2015	01 जुलाई 2014 से 07 फरवरी 2015	प्रगति में
3	क्षमता निमार्ण		टी 1[60]+ 44 सप्ताह	02 नवंबर 2012	26 अक्तूबर 2014	प्रगति में
4.	डाटा डिजिटाइजेशन/माइग्रेशन		टी 1+14 सप्ताह	06 अप्रैल 2012	30 मार्च 2014	प्रगति में
5.	एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर	सी.ए.एस. (राज्य)	टी 1+ पांच माह	28 मई 2012	21 मई 2014	01 जनवरी 2015
		विशिष्ट राज्य	टी + पांच माह	27 फरवरी 2012	20 फरवरी 2012	प्रगति में

(स्रोतः विभागीय डाटा)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जगह की तैयारी में, हार्डवेयर लगाने में, डाटा डिजीलाईजेशन/माइग्रेशन, कपैस्टी बिल्डिंग तथा सी.ए.एस. में देरी थी।

सी.सी.टी.एन.एस. को लागू करने में निम्न कमिंया पाई गई:

(i) जगह की तैयारी तथा हार्डवेयर का अधिकार देना

आर.एफ.पी. के 5.4.4 क्लॉज में जैसा कि प्रावधान किया गया है, हरियाणा पुलिस को एस.आई. के लिए आवश्यक स्थान का प्रावधान करना था। एस.आई. को सी.सी.टी.एन.एस. आधारभूत संरचना के संस्थानीकरण हेतु स्थल इच्छा को सुनिश्चित करने के लिए जगह का सर्वेक्षण करना अपेक्षित था। करार (टी) के अनुसार कार्यालयों में हार्डवेयर की आपूर्ति, लगाना और अधिकार में लेना कार्यालय स्थल को लेने के पश्चात् तीन महीनों के अंदर पूरा किया जाना था।

फेज - I में, 40 पी.एसज, स्थल की तैयारी तथा हार्डवेयर का संस्थापन जनवरी 2013 तक पूर्ण हो गए थे। 20 पी.एसज में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना के नमूना - जांच ने दर्शाया कि ₹ 29.97 लाख की लागत के डी.जी. सैट (जैनरेटर) आरंभ से बेकार पड़े थे क्योंकि इसके लिए ईंधन विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया था तथा इन डी.जी. सैटों की वारंटी अवधि यहां तक कि प्रयोग किए बिना पहले से ही समाप्त हो चुकी थी।

गुड़गांव तथा अंबाला में ₹ 0.69 लाख की राशि के हार्डवेयर ट्रेसेबल नहीं थे जो मॉनीटरिंग की कमी तथा सरकार को हानि दर्शाता है। पी.एस. ट्रैफिक, गुड़गांव में ₹ 3.39 लाख की लागत के हार्डवेयर बेकार पड़े थे।

फेज - II में, एस.आई. द्वारा दिसंबर 2011 तक स्थल सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी की जानी अपेक्षित थी, परंतु यह फरवरी 2014 में पूरी की गई क्योंकि एस.आई. ने जगह का सर्वेक्षण करवाने हेतु अपनी टीमों के गठन में समय लिया। एस.आई. द्वारा जुलाई 2014 से फरवरी 2015 तक स्थल की तैयारी पूर्ण करना तथा हार्डवेयर इंस्टाल किया जाना अपेक्षित था क्योंकि विभाग ने अप्रैल 2014 तथा नवंबर 2014 के मध्य 197 पी.एसज दे दिए थे, परंतु जगह की तैयारी हेतु 34 पी.एसज एस.आई. को नहीं दिए गए थे तथा दो पी.एसज कार्यशील नहीं थे। 152 उच्चतर कार्यालयों में से 11 कार्यालय में अभी तक नहीं दिए थे।

[59] टी= अनुबंध की तिथि (30 सितंबर 2011)।

[60] टी= एन.सी.आर.बी. से प्राप्त सी.ए.एस. (राज्य) की तिथि (29 दिसंबर 2011 तथा 22 दिसंबर 2013 को संशोधित)।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि एस.आई. ने फरवरी 2014 में जगह के सर्वेक्षण की रिपोर्टें प्रस्तुत की थी। कम्प्यूटर तथा प्रिंटर के माडल समयबद्ध तरीके से अंतिमकरण न होने के कारण हार्डवेयर नहीं लगाए गए थे। एस.आई. ने पुष्टि की कि कम्प्यूटर के पूर्ववर्ती अनुमोदित माडल समाप्त हो चुके थे तथा नए माडलों हेतु प्रस्ताव किया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की उत्साहरहित एप्रोच के कारण, फर्म ने केवल स्थल सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए दो वर्ष तथा तीन मास लिए थे तथा फेज-II के पी.एसज तथा उच्चतर कार्यालयों में हार्डवेयर अभी लगाए जाने शेष थे जिसने अंतत: परियोजना के समग्र कार्यान्वयन में देरी की।

(ii) क्षमता निर्माण

जैसा कि करार में प्रावधान किया गया है, एस.आई. द्वारा अक्तूबर 2012 तक ₹ 5.98 करोड़ की लागत पर 45,000 पुलिस कार्मिकों[61] को परिवर्तन प्रबंधन, एप्लीकेशन माडयूलज में प्रशिक्षण तथा बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित था जिसके विरूद्ध अभी तक ₹ 59.76 लाख का भुगतान एस.आई. को किया गया था। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि:

- प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जो बेसिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन माडयूल में 75 तथा 86 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी तथा परिवर्तन प्रबंधन में अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- एस.आई. ने 20,000 कर्मचारियों के लक्ष्य के विरूद्ध अक्तूबर 2012 तक केवल 9,974 कर्मचारियों को बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया था तथा ₹ 35.28 लाख[62] की देय राशि के विरूद्ध ₹ 59.76 लाख का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.48 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
- 20 पुलिस स्टेशनों में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना की नमूना-जांच ने दर्शाया कि 407[63] पुलिस कार्मिक जो कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी.ए.एस.) के उपयोगकर्त्ता के तौर पर प्रशिक्षित किए जाने अपेक्षित थे परंतु उनमें से कोई भी प्रशिक्षित नहीं किया गया तथा सी.ए.एस. का कार्य कम्प्यूटर आपरेटरों द्वारा किया जा रहा था।

डी.जी.पी. ने कहा (मार्च 2015) कि प्रशिक्षण के लिए एस.आई. को जारी अतिरिक्त भुगतान एस.आई. के अगले लक्ष्य[64] के भुगतान से वसूल किया जाएगा तथा प्रशिक्षण पूर्ण सिस्टम एप्लीकेशन माडयूल लगाने के बाद आरंभ की जाएगी। तथापि, तथ्य यह रहा कि पुलिस कार्मिकों को दी गई ट्रेनिंग लाभदायक नहीं थी क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारी पुलिस स्टेशनों पर तैनात नहीं किए गए थे।

(iii) डाटा डिजीटाइजेशन तथा माइग्रेशन

करार के 4.5.4.8 क्लॉज के अनुसार, एस.आई. द्वारा को पहले से डिजिटाइज्ड डाटा नए सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) (लगभग 7,10,637 एफ.आई.आर. मामले) में माइग्रेट करना

[61] 5,000 कार्मिकों को परिवर्तन प्रबंधन ट्रेनिंग: @ ₹ 3,162.61 प्रति ट्रेनी, 20,000 को एप्लीकेशन माडयूलज ट्रेनिंग: @ ₹ 792.79 प्रति ट्रेनी तथा 20,000 को बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण @ ₹ 353.70 प्रति ट्रेनी।

[62] 9,974 ट्रेनी @ ₹ 353.70 = ₹ 35,27,804

[63] अंबाला-85 पंचकूला-96 तथा गुड़गांव-226

[64] एम-3 पायलेट जिले के गो-लिव अर्थात् फेस-I का पूरा करना।

अपेक्षित था तथा पुस्तिका प्रारूप में उपलब्ध ऐतिहासिक अपराधिक डाटा को एस.आई. (लगभग 13,74,245 एफ.आई.आर. मामले) द्वारा मार्च 2014 तक डिजिटाइज्ड किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि एस.आई. ने 7,10,637 के विरूद्ध 2,74,701 एफ.आई.आर. अभिलेख के डाटा माइग्रेशन का कार्य किया था तथा 13,74,245 के विरूद्ध 6,61,764 एफ.आई.आर. अभिलेखों का डाटा डिजिटाइज्ड कार्य किया था (09 दिसंबर 2015)। इस प्रकार, क्रमश: डिजिटाइज्ड तथा माइग्रेशन के 7,12,481 तथा 4,35,936 तक एफ.आई.आर. अभिलेखों के डाटा में कमी थी। डी.जी.पी. ने कहा (फरवरी 2015) कि अभिलेखों/डाटा के डिजिटाइजेशन तथा माइग्रेशन एन.सी.आर.बी. द्वारा जारी किए जाने वाले डाटा माइग्रेशन यूटिलिटी पर आधारित था, जो दिसंबर 2012 मे जारी किया गया। डिजिटाइजेशन/माइग्रेशन में देरी एस.आई. द्वारा लगाए गए डाटा एंट्री आपरेटरों की अपर्याप्त संख्या के कारण भी थी।

इस प्रकार, अप्रभावी अयोजना तथा मानीटरिंग न करने के कारण, डिजिटाइजेशन/माइग्रेशन कार्य, जो मार्च 2014 में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, डाटा का केवल 45 प्रतिशत डिजिटाइज्ड/माइग्रेशन किया गया है (दिसंबर 2015) तथा डाटा का सार्थक रूप से प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि यह सी.सी.टी.एन.एस.-सी.ए.एस. को माइग्रेट नहीं किया गया था।

(iv) कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (राज्य) तथा अतिरिक्त एप्लीकेशन साफ्टवेयर

सी.सी.टी.एन.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी.ए.एस. राज्य) सभी राज्यों तथा यू.टीज के लिए समान है तथा यह एन.सी.आर.बी. द्वारा विकसित किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक राज्य/यू.टी. को उनकी अपनी-अपनी आवश्यकता अनुसार सी.ए.एस. (राज्य) को कस्टामईज करना था। नागरिकों को सेवा वितरण सुधार करने हेतु, 40 ई-सेवाएं जैसे कि पंजीकृत मामले की मूल स्थिति, पंजीकृत एफ.आई.आर./शिकायत की प्रति, पासपोर्ट की जांच, किराएदार की जांच, नौकर की जांच, एन.ओ.सीज, चालक लाईसैंस, गुम हुए सैलफोन प्रमाण-पत्र, होटलों में ठहरने वाले ग्राहकों की सूचना, ट्रैफिक चालानों का आनलाईन भुगतान इत्यादि नागरिक पोर्टेल मोडयूल द्वारा सी.ए.एस. (राज्य) में नागरिकों को प्रदान किए जाने थे।

20 पी.एसज में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजनाओं की नमूना-जांच ने दर्शाया कि केवल दो-ई-सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही थी तथा मार्च 2015 तक सी.ए.एस. के साथ कोई अतिरिक्त मोडयूल नहीं जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त, एस.आई. को फरवरी 2012 तक 13 अतिरिक्त मोडयूल लगाए जाने अपेक्षित थे, परंतु केवल आठ मोडयूल अभी तक विकसित किए गए हैं।

डी.जी.पी. ने बताया (फरवरी-मार्च 2015) कि नागरिकों को शेष सेवाएं प्रदान की जाएगी तथा शेष मोडयूलों का विकास शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। सी.ए.एस. (राज्य) तथा सी.ए.एस. (केन्द्र) का एकीकरण केवल डाटाबेस स्तर पर किया जाना है। विभाग ने एस.आई. को डाटाबेस प्राप्त करने हेतु बाहरी एजेंसियों के साथ मीटिंग करने हेतु कहा था। तथापि, तथ्य यह रहा कि शेष ई-सेवाएं नागरिकों को नहीं दी जा सकी जैसा कि नागरिकों को अभीष्ट लाभ जैसे आनलाईन पुलिस जांच, एन.ओ.सीज, आर.टी.आई., ट्रैफिक चालानों का भुगतान इत्यादि अभी भी मना थे। विभाग सी.ए.एस. (राज्य) के साथ सभी 13 अतिरिक्त माडयूल एकीकृत करने में भी विफल हुआ।

(v) नेटवर्किंग

देश में अपराध जांच तथा अपराधिक खोज के क्षेत्रों में परिणाम बढ़ाने, सूचना एकत्र करने तथा इसके फैलाव को बढ़ाने के विचार से, एक देशव्यापी नेटवर्कड ढांचा सृजित किए जाने अपेक्षित थे। उच्चतर कार्यालयों में सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना का संयोजन हरियाणा राज्य वाईड एरिया नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) पर होनी थी तथा सभी पुलिस स्टेशनों पर संयोजना या स्वैन अथवा ब्रोडबेंड पर विरचूयल प्राइवेट नेटवर्क (वी.पी.एन.ओ.वी.बी.) पर होनी थी। एस.आई., सी.सी.टी.एन.एस. के लिए अंतिम मील संयोजक हेतु तथा 338 पी.एसज और 118 विशेष सैलों का संयोजन बी.एस.एन.एल. द्वारा वी.पी.एन.ओ.बी.वी. प्रयोग करते हुए जिम्मेदार था। परंतु यह देखा गया कि:

- जहां फेज-I लागू किया गया था 20 पी.एसज में से कोई भी एन.सी.आर.बी. द्वारा जोड़ा नहीं गया था।
- 273 पी.एसज तथा 152 उच्चतर कार्यालयों में से, 421 स्थल स्वैन द्वारा जोड़े गए थे, परंतु 49 स्थलों पर स्वैन कार्यशील नहीं बनाया गया।
- बी.एस.एन.एल. ने पुलिस पोस्टों तथा विशेष सैलों को जोड़ने हेतु वी.पी.एन.ओ.बी.बी. प्रयोग करते हुए लाईन नहीं बिछाई थी क्योंकि बी.एस.एन.एल. के साथ अनुबंध कार्यान्वित नहीं किया गया।
- पी.एसज पर लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि विभाग द्वारा केबलिंग ढांचे हेतु आपूर्ति आदेश समय पर जारी नहीं किया गया।

इस प्रकार, परियोजना का मुख्य उद्देश्य यथा एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क संरचना का निर्माण करके देश भर में अपराध जांच एवं अपराध खोज करने को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(vi) अन्य विविध अनियमितताएं

(क) पेनल्टी का न लगाना

अनुबंध के अध्याय 3 में प्रावधान किया गया है एस.आई. को प्रत्येक डिलीवरेबल के लिए वर्णित समय-सीमा का पालन करना अपेक्षित था अन्यथा पेनल्टी लगाई जा सकती थी। फर्म ने समझौते की शर्तों के अनुसार समयसीमा का पालन नहीं किया और ₹ 3.47 करोड़ की पेनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी जिसमें से अप्रैल 2014 में ₹ 2.23 करोड़ काट लिए गए थे परंतु ₹ 1.24 करोड़ की शेष राशि अभी तक काटी नहीं गई (दिसंबर 2015) मामला डी.जी.पी. को संदर्भित किया गया (दिसंबर 2015) परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अनुचित लाभ

अनुबंध क्लॉज 2.6 शैडयूल-VI के अनुसार, एस.आई. को ₹ 4.45 करोड़ का संघटन अग्रिम (कार्यान्वयन फेज की लागत ₹ 44.46 करोड़ का 10 प्रतिशत) पूरी निविदा अवधि के दौरान वैधता वाली बैंक गारंटी के प्रस्तुतिकरण के विरूद्ध देय था। यह देखा गया कि ₹ 4.45 करोड़ के संघटन अग्रिम का भुगतान बिना बैंक गारंटी प्राप्त किए किया गया। डी.जी.पी. ने कहा (मार्च 2015) कि संघटन अग्रिम के विरूद्ध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने हेतु संबंधित फर्म को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। एस.आई. ने दिसंबर 2015 में आयोजित एक मीटिंग में बैंक गारंटी के प्रस्तुतिकरण से छूट प्राप्ति हेतु आवेदन किया। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, ₹ 32.48 लाख (क्रियान्वयन फेज की लागत ₹ 3.24 करोड़ का 10 प्रतिशत) का संघटन अग्रिम बिना उचित बैंक गारंटी प्राप्त किए एस.पी.एम.यू. को दिया गया। इंगित किए जाने पर ₹ 33.09 लाख की राशि की बैंक गारंटी फर्म द्वारा मई 2015 में प्रस्तुत की गई थी, जो 7 जून 2015 को समाप्त हो गई थी, क्योंकि संबंधित फर्म का अनुबंध भी जून 2015 में समाप्त हो गया। अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमोदन जून 2015 से एन.सी.आर.बी./एम.एच.ए. के स्तर पर लंबित था तथा अभी तक फर्म के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई (दिसंबर 2015)।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बैठकें आयोजित करने में कमी

सी.सी.टी.एन.एस. क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न संचालन कमेटियां अर्थात् राज्य एपैक्स कमेटी, राज्य अधिकार प्राप्त कमेटी, राज्य मिशन टीम तथा जिला मिशन टीम बनाई जानी थी। राज्य एपैक्स कमेटी की मीटिंग त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जानी अपेक्षित थी तथा बाकी कमेटियों की मीटिंग मासिक आधार पर आयोजित की जानी थी। परियोजना की प्रगति तथा कार्यान्वयन की संवीक्षा करने हेतु नियमित मीटिंगें आयोजित की जानी थी। कमेटियां अक्तूबर 2009 के दौरान गठित की गई, परंतु, उपरोक्त वर्णित कमेटियों की मीटिंगें आयोजित नहीं की गई तथा कमी 60 और 73 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। डी.जी.पी. ने कहा (फरवरी 2015) कि निर्धारित आवृति के अनुसार मीटिंगों का आयोजन करने हेतु टिप्पणियां प्रत्येक कमेटी के चेयरपर्सन के ध्यान में लाई जाएगी।

इस प्रकार, सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी पूरी नहीं हुई थी। विभाग परियोजना के पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में तथा अभी तक देय पेनल्टी की वसूली करने में विफल रहा।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग को संदर्भित किया गया (मई 2015) तथा जून 2015 में आगे अनुस्मारक जारी किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.12 बाहरी निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन न करना

कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण हेतु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं बृहद परियोजना, बाहरी सर्विलेंस सिस्टम को कार्यान्वित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.24 करोड़ की राशि की निधियां चार वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध रही, ₹ 14.48 लाख का व्यय निष्फल हुआ तथा ₹ 2.04 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

कानून और व्यवस्था के लिए विज्युल सर्विलेंस, अपराध एवं ट्रैफिक नियंत्रण, घटना प्रबंधंन तथा आपदा प्रतिक्रिया में सहायता हेतु एक आई.पी. आधारित वीडियो सर्विलेंस सिस्टम के कार्यान्वयन तथा संचार ढांचा सहित एक बाहरी सर्विलेंस सिस्टम को बनाने हेतु, भारत सरकार ने हरियाणा के पंचकूला जिले के लिए 2008-09 में राज्य पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम के अंतर्गत एक बाहरी निगरानी प्रणाली को अनुमोदित किया तथा बाद में वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान तीन अन्य जिलों (रोहतक, करनाल तथा पानीपत) में परियोजना का विस्तार किया गया।

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ने हरियाणा राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) के माध्यम से चार जिलों में प्रणाली के इंस्टालेशन हेतु 2009-11 के दौरान ₹ 8.26 करोड़ की राशि की संस्वीकृति जारी की, जो हारट्रोन द्वारा अंतिमकृत प्रस्ताव

आवेदन (आर.एफ.पी.) के आधार पर हारट्रोन के पास जमा करवा दी गई (दिसंबर 2010 में ₹ 5.65 करोड़ तथा जून 2011 में ₹ 2.61 करोड़)। फरवरी 2011 में हारट्रोन द्वारा ₹ 7.75 करोड़ के लिए मैसर्ज वी.एम.सी. सिस्टम लिमिटेड, सिकंदराबाद को एक क्रय आदेश किया गया। अनुबंध की क्लॉज 3 तथा आर.एफ.पी. की क्लॉज 6.4 के अनुसार कंपनी द्वारा अनुबंध प्रदान करने की तिथि से तीन मास के भीतर सभी स्थानों पर प्रणाली लगाई जानी, चालू की जानी तथा जोड़ी जानी अपेक्षित थी (फरवरी 2011)। अंतिम स्वीकृति जांच अनुबंध प्रदान करने की तिथि से चार मास के भीतर किया जाना था। इस प्रकार, परियोजना जून 2011 तक परिचालित की जानी थी।

पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) हरियाणा के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि फर्म ने चार जगह पर उपकरण छः महीने की देरी से जारी किए (नवंबर 2011)। मई 2012 के दौरान एक कमेटी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया जिसने इंगित किया कि कंपनी ने प्रत्येक जगह पर 20 के विरूद्ध केवल आठ उपकरण की आपूर्ति की जिसमें से केवल छः उपकरण क्रय आदेश के विनिर्देशन के अनुसार पाए गए तथा साफ्टवेयर की यथार्थता केवल 32 प्रतिशत पाई गई। कंपनी ने अपडेटिड/पुनःसमनुरूप होने के बाद यही साफ्टवेयर आपूरित करने हेतु दूसरे अवसर हेतु आवेदन किया परंतु आवश्यकता के अनुसार उपकरण की आपूर्ति करने में विफल रहा तथा सितंबर 2013 से अनुत्तरकारी बन गया।

कंपनी के साथ जारी क्रय आदेश हारट्रोन द्वारा जून 2014 में समाप्त कर दिया गया। आर.एफ.पी. के क्लॉज संख्या 6.4 (v) के अनुसार, ₹ 77.50 लाख की परफोरमेंस बैंक गारंटी के साथ ₹ 2.00 लाख की राशि की अर्नेस्ट राशि हारट्रोन द्वारा जब्त की गई तथा ₹ 9.05 करोड़[65] की कुल राशि में से ₹ 14.48 लाख[66] की राशि काटने के बाद जनवरी 2015 में डी.जी.पी. को ₹ 8.91 करोड़ की राशि हारट्रोन द्वारा वापस की गई। धनराशि डी.जी.पी., हरियाणा के पास प्रेरित सोसाइटी खाते में पड़ी थी तथा भारत सरकार को वापस नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि मामला पुलिस विभाग और हारट्रोन के मध्य पत्र व्यवहार में रहा तथा पुलिस विभाग और हारट्रोन दोनों के स्तर पर असामान्य देरी थी। एजेंसी के विरूद्ध जून 2014 में कार्यवाही की गई तथा सिस्टम, जो जून 2011 तक परिचालित किया जाना अपेक्षित था अभी भी प्राप्त किया जाना शेष था (दिसंबर 2015)। तथापि, निधियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र परियोजना पर व्यय किए बिना हारट्रोन के पास निधियां जमा कराने के बाद भारत सरकार को पहले ही सितंबर 2010 तथा दिसंबर 2012 में प्रस्तुत कर दिया गया था।

आगे, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार (मार्च 2011) हारट्रोन द्वारा प्रयोग न की गई निधियों पर विभाग को अर्ध-वार्षिक आधार पर छः प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित था और प्रशासकीय विभाग ब्याज की वसूली हेतु जिम्मेदार थे। परंतु, न तो हारट्रोन ने भुगतान किया न ही विभाग ने मार्च 2011 से दिसंबर 2014 तक की अवधि हेतु प्रयोग न की गई निधियों पर ₹ 2.04 करोड़ की राशि के ब्याज की मांग की। इस प्रकार, विभाग की उत्साहरहित एप्रोच के कारण, बाहरी सर्विलेंस सिस्टम जो जून 2011 तक परिचालित किया जाना था, पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि के चार वर्षों से अधिक समयावधि के बाद भी प्राप्त नहीं किया गया है।

[65] राशि जमा करवाई ₹ 8.26 करोड़ + बैंक गारंटी ₹ 0.77 करोड़ + जब्त ई.एम.डी. राशि ₹ 0.02 करोड़ = ₹ 9.05 करोड़।

[66] घटाना: मैनपावर पर किया व्ययः ₹ 12.60 लाख + फलोटिंग एन.आई.टी.: ₹ 1.88 लाख = ₹ 14.48 लाख ।

इंगित किए जाने पर डी.जी.पी. ने बताया (जून 2015) कि सिटी निगरानी प्रणाली की पुनःनिविदा के लिए आगे बढ़ने हेतु हारट्रोन द्वारा मना करने के कारण सिस्टम हेतु अपेक्षित विनिर्देशन स्थापित करने हेतु तथा रफ लागत अनुमान हेतु भारत विद्युत निगम लिमिटेड को कंसैप्ट नोट प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव किया गया है तथा मामला अभी भी प्रक्रिया अधीन है।

तथ्य यह रहता है कि विभाग ने पूर्ण करने की नियत तिथि से चार वर्षों के बाद भी सिस्टम को नहीं लगाया जिसके कारण प्रस्तावित परियोजना के अभीष्ट लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा अब तक किया गया ₹ 14.48 लाख का व्यय निष्फल बन गया। भारत सरकार को 2010-13 में निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतिकरण अनियमित था। ₹ 8.24 करोड़ चार वर्षों से अधिक अवधि हेतु अवरूद्ध तथा अप्रयुक्त रहे, जिससे आगे परिणामस्वरूप ₹ 2.04 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग को अगस्त 2015 में संदर्भित किया गया तथा आगे अनुस्मारक सितंबर 2015 में जारी किया गया, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.13 जेलों के लिए जैमरज का अ-प्रापण

जेल विभाग की अनिर्णयता के कारण जैमर प्राप्त नहीं किए जा सके तथा छः वर्षों से अधिक समय हेतु ₹ पांच करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही। चार जेलों में सुरक्षा आधारभूत संरचना के सुधार का उद्देश्य अप्राप्त रहा इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

विभिन्न जेलों में सुरक्षा आधारभूत संरचना में सुधार करने हेतु, हरियाणा सरकार ने चार जेलों में 14 मोबाईल जैमर तथा सी.सी.टी.वी. सर्विलेंस इत्यादि लगाने हेतु ₹ 5 करोड़ की संस्वीकृति प्रदान की (सितंबर 2008)। इन मदों के प्रापण हेतु महानिदेशक (डी.जी.), जेल द्वारा हरियाणा राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) के पास ₹ 5.00 करोड़ (अप्रैल 2009 में 3.00 करोड़ तथा जनवरी 2013 में ₹ 2.00 करोड़) की राशि जमा करवाई गई। प्रथम फेज में, जैमर दूसरे राज्यों के साथ बार्डर वाले सोनीपत, झज्जर, पलवल तथा रेवाड़ी के चार उच्च संवेदनशील जेलों में लगाए जाने थे।

डी.जी. जेल ने राज्य में एक नोडल एजेंसी हारट्रोन को अप्रैल 2009 में तथा पुनः नवंबर 2009 में बोली प्रक्रिया आरंभ करने हेतु कहा (अप्रैल 2009) परंतु निविदाएं अंतिमकृत नहीं की गई। इस दौरान, सचिव (सुरक्षा) कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली से एक पत्र प्राप्त हुआ (जुलाई 2011) जिसमें कहा गया कि भारत सरकार (भा.स.) की नीति के अनुसार, जैमरज प्रतिबंधित मदें हैं तथा केवल दो प्राधिकृत सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यूज) (मैसर्ज भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) तथा मैसर्ज भारतीय विद्युत निगम लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) से ही प्राप्त किए जाने हैं। तद्नुसार, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव (एफ.सी.पी.एस.) जेल विभाग ने डी.जी, जेल को हारट्रोन को भेजे गए मांग पत्र वापस प्राप्त करने तथा ई.सी.आई.एल. तथा बी.ई.एल. से जैमर प्राप्त करने तथा परियोजना को तीन महीने के भीतर पूरा करने हेतु कहा (नवंबर 2011)। मामला डी.जी. जेल द्वारा संबंधित पी.एस.यूज से जनवरी 2012 में उठाया गया। भारत सरकार ने, अक्तूबर 2012 में ई.सी.आई.एल. से स्टेटिक सैल फोन जैमरज के प्रापण अनुमोदित किया। तथापि, ₹ 2.00 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन जारी करते समय

(जनवरी 2013), अपर मुख्य सचिव, जेल विभाग ने हारट्रोन के माध्यम से जैमर लगाने हेतु पुन: कहा। इसके बाद मामला जेल विभाग तथा हारट्रोन के बीच पत्र व्यवहार अधीन रहा।

प्रबंधक निदेशक हारट्रोन ने डी.जी. जेल को सूचित किया (नवंबर 2013) कि क्योंकि जेल विभाग एक विशेष विक्रेता (मैसर्ज ई.सी.आई.एल.) से एक विशेष मॉडल प्राप्त करने का विचार करता है, तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर प्रापण किया जाना चाहिए। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, जेल विभाग ने डी.जी., जेल को निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा से मामला उठाने हेतु सलाह दी (मार्च 2014)। मार्च 2015 को आयोजित तकनीकी कमेटी की मीटिंग में, जेल विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया, कमेटी ने निर्णय लिया कि मोबाईल जैमर इलैक्ट्रोनिक्स/आई.टी. इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च तकनीकी मद होने के कारण, इसका प्रापण हारट्रोन द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद मामला अनिर्णीत रहा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (अक्तूबर 2014) कि यद्यपि विशेष मॉडल को लगाने हेतु अक्तूबर 2012 में भारत सरकार से संस्वीकृति प्राप्त हो गई थी, फिर भी विभाग निधियों की उपलब्धता के बावजूद प्रापण करने में विफल रहा। माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने सितंबर 2012 में एक निर्णय में आदेश दिए कि हरियाणा राज्य में सभी जेलों में जैमर लगाए जाएं। जेल विभाग के अनिर्णय के कारण चार जेलों में जैमर प्राप्त/लगाए नहीं जा सके (दिसंबर 2015)। ₹ पांच करोड़ की राशि की निधियां अप्रैल 2009 से अप्रयुक्त[67] रही तथा चार उच्च संवेदनशील जेलों की सुरक्षा आधारभूत संरचना के सुधार का उद्देश्य अप्राप्त रहा। जिला जेल कुरूक्षेत्र के निरीक्षण के दौरान (अक्तूबर 2014) जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों से 15 मोबाईल फोन जब्त किए गए।

आगे, हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार (मार्च 2011) हारट्रोन के पास जमा पड़ी निधियों पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज हारट्रोन द्वारा भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण विभाग ने ₹ 1.20[68] करोड़ के ब्याज की हानि भी उठाई।

इंगित किए जाने पर डी.जी. जेल ने कहा (मई 2015) कि मोबाईल फोन जैमर तथा सी.सी.टी.वी. लगाने संबंधी मामला हारट्रोन के पास प्रक्रिया अधीन था। चूंकि यह विद्युतीय मदों की खरीद हेतु एकमात्र अनुमोदित स्रोत था तथा राशि पहले से ही हारट्रोन के पास जमा थी, उनके द्वारा मदों की प्रापण उचित माना गया। डी.जी. जेल ने आगे कहा (दिसंबर 2015) कि मोबाईल फोन जैमर को प्रापण की प्रक्रिया हारट्रोन द्वारा अंतिमकृत की गई थी तथा ₹ 6.77 करोड़ की राशि का आपूर्ति आदेश दिसंबर 2015 में ई.सी.आई.एल. को जारी किया गया तथा हारट्रोन ₹ 1.12 करोड़ (सितंबर 2015 तक गणना की गई) ब्याज की राशि के रूप में भुगतान करने को सहमत हो गया तथा ब्याज की राशि को मोबाईल फोन जैमरज के बकाया भुगतान के विरूद्ध प्रयोग करने की छूट प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही अक्तूबर 2012 में ई.सी.आई.एल. से प्रापण हेतु अनुमोदन दिया था तथा तीन वर्षों से अधिक अवधि के बाद दिसंबर 2015 में आपूर्ति आदेश जारी किया गया तथा दिसंबर 2015 तक आपूर्ति नहीं की गई थी।

इस प्रकार, जैमरज प्राप्त नहीं किए जा सके और ₹ 5.00 करोड़ की निधियां जेल विभाग की अनिर्णयता के कारण छ: वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त रही। चार जेलों में सुरक्षा मूलभूत

[67] ₹ 3.00 करोड़ छ: वर्षों के लिए तथा 2.00 करोड़ दो से अधिक वर्षों के लिए।

[68] अप्रैल 2011 से सितंबर 2015 तक ₹ 3.00 करोड़ पर ₹ 85.50 लाख तथा 15 फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक ₹ 2.00 करोड़ पर ₹ 34.50 लाख।

संरचना के सुधार करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

मामला जुलाई 2015 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, को संदर्भित किया गया तथा आगे अनुस्मारक अगस्त तथा नवंबर 2015 में जारी किए गए। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

बागवानी विभाग

3.14 अपूर्ण हाईटैक सब्जी पौध उत्पादन यूनिट पर निष्फल व्यय

बागवानी विभाग द्वारा, सब्जी पौध उत्पादन यूनिट हेतु हाईटैक ग्रीन हाऊस तथा अन्य आधारभूत संरचना को स्थापित करने पर किया गया ₹ 96.49 लाख का व्यय वित्तीय विवेक की कमी, रॉ-वाटर की उपलब्धता को सुनिश्चित न करने तथा कार्य के घटिया निष्पादन से निष्फल बन गया।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, ने चयनित शहरों में सब्जी सैक्टर के दोनों मांग एवं आपूर्ति पक्ष से संबंधित सभी सरोकारों का समाधान करने, सब्जी उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने, पौषणिक सुरक्षा में सुधार करने, सब्जी के किसानों को आय संरक्षण तथा कुशल व अकुशल व्यक्तियों, विशेषत: बेरोजगार नौजवानों हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत एक स्कीम ''शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल'' आरंभ की (मार्च 2011)।

जिला बागवानी अधिकारी (डी.एच.ओ.), रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मार्च 2014) कि ''गांव-सामर गोपालपुर, रोहतक में सब्जी पौध उत्पादन यूनिट के लिए हाईटैक ग्रीन हाऊस तथा दूसरे आधारभूत संरचना को स्थापित करने'' हेतु मुख्य कार्य पांच महीने की समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए ₹ 78 लाख के लिए एक फर्म को दिया गया जिसे मार्च 2012 तक बढ़ा दिया गया। कुछ अन्य सहायक कार्य जैसे स्टोरेज टैंक, टयूबवैल का लगाना, पौध उत्पादन यूनिट का चेन फैसिंग तथा अन्य संबंधित कार्य विभाग तथा जिला भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा ₹ 18.49 लाख की राशि से अलग से करवाए गए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि परियोजना मार्च 2012 तक परिचालित की जानी प्लान की गई थी, मार्च 2013 तक ₹ 96.49[69] लाख खर्च करने के बाद भी परियोजना की प्लानिंग तथा निष्पादन में निम्न मुख्य कमियों के कारण अप्रयुक्त पड़ी थी।

- जुलाई 2011 में जारी एक्सप्रेशन आफ इन्ट्रस्ट में, विभाग ने केवल जल संग्रहण ढांचा का प्रावधान किया परंतु स्टोरेज टैंक के लिए पानी का स्रोत सुनिश्चित करने में विफल रहा। कार्य के निष्पादन के दौरान जल सिंचाई विभाग की एक निकटवर्ती माईनर से प्राप्त करना नियोजित था। तथापि, बागवानी विभाग जल की आपूर्ति हेतु सिंचाई विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा, जो आदर्शत: परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व लिया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, चैनल बिछाने हेतु जल स्रोत से परियोजना स्थल तक भूमि अभी अधिग्रहण की जानी शेष थी। यद्यपि, आपातकाल उद्देश्यों हेतु जल उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 0.64 लाख की लागत से एक टयूबवैल भी

[69] ₹ 96.49 लाख = ₹ 78.00 लाख (ठेकेदार) + ₹ 7.32 लाख (लिंक चेन फैंसिंग + ₹ .064 लाख (टयूब वैल) + ₹ 0.92 लाख स्टोरेज टैंक) + ₹ 9.61 लाख (विविध)।

लगाया गया था, यह विभाग द्वारा दोषपूर्ण निष्पादन के कारण परिचालित नहीं किया जा सका क्योंकि यह आवश्यक/निर्धारित गहराई[70] से परे खोदा गया। टयूबवैल की मोटर भी चोरी हुई सूचित की गई थी। इस प्रकार, जल जो परियोजना के सफल परिचालन हेतु एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक था, स्थल पर उपलब्ध नहीं था (दिसंबर 2015)।

- ₹ 78 लाख के कार्य आदेश के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, भुगतान तीन फेजों[71] में जारी किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि एजेंसी ने डी.जी. सैट, बीज बुवाई मशीन तथा फर्श धोने वाली मशीन की आपूर्ति नहीं की थी, ₹ 78 लाख का कुल भुगतान एजेंसी को जनवरी 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य किया गया। इसके अतिरिक्त, 20 प्रतिशत का अंतिम भुगतान कार्य कंपलीशन प्रमाण-पत्र जारी होने तथा परियोजना मूल्यांकन कमेटी (पी.ई.सी.) द्वारा परियोजना के निरीक्षण के बाद जारी किया जाना था। पी.ई.सी. ने उपरोक्त संदर्भित सामग्रियों के आपूर्ति न होने बारे सूचित किया था (जनवरी 2013) तथा रिपोर्ट में बताया था कि अधिकतर सिस्टम[72] विद्युत की आपूर्ति की कमी के कारण टैस्ट नहीं किए जा सके। इस प्रकार, ₹ 48.12 लाख[73] की दूसरी तथा तीसरी किस्त एजेंसी को जारी करना संविदा के निबंधन और शर्तों की स्पष्ट उल्लंघना थी।
- विभाग द्वारा स्टोरेज टैंक का निर्माण कार्य भी सही ढंग से निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि दरारों के कारण स्टोरेज टैंक में रिसाव शुरू हो गया था। महा-निदेशक बागवानी ने बताया (सितंबर 2015) कि मामला विचाराधीन था तथा संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
- आगे, डी.एच.ओ. रोहतक ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि हाईटैक ग्रीन हाऊस मई 2014 में तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था तथा नहर के पानी की कमी तथा परियोजना में कमियों के कारण क्रियाशील नहीं किया जा सका।

अपर मुख्य सचिव, ने बताया (सितंबर 2015) कि विभाग को कार्य आरंभ के बाद जल की अनुपलब्धता के बारे में पता चला तथा जल सिंचाई विभाग से प्रबंध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित एजेंसी को भी पोली हाऊस सीट की मरम्मत करने हेतु कहा गया था (अप्रैल 2015) तथा परियोजना को पूरा करने तथा लाभदायक बनाने की प्रक्रिया चल रही है तथा अभिष्ट उद्देश्य को पूरा करने हेतु, शीघ्र ही क्रियाशील बना दी जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग किसी दूसरे स्रोत से पानी को प्राप्त करने तथा संबंधित एजेंसियों से पानी के स्टोरेज स्ट्रक्चर तथा क्षतिग्रस्त ग्रीन हाऊस की मरम्मत करवाने में विफल रहा।

70 ताजा भूतल जल: 50 फीट तक; मार्जिनल भूतल जल: 90 फीट तक; इस से नीचे विकृत अत्यंत लवणीय जल; 500 तक।

71 साईट पर सामग्री की आपूर्ति के बाद 40 प्रतिशत, परियोजना की समाप्ति के बाद 40 प्रतिशत तथा पी.ई.सी. द्वारा साईट का निरीक्षण तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद 20 प्रतिशत।

72 फैन पैड सिस्टमस हेतु कन्ट्रोल पैनल, फोगिंग/ मिस्टिंग सिस्टम हेतु कन्ट्रोल पेनल। बूम सिंचाई सिस्टम, स्वचालित जलवायु नियंत्रण सिस्टम, फोगिंग तथा फर्टीजेशन सिस्टम तथा हीटिंग सिस्टम में स्वाचालन।

73 ₹ 48.12 लाख = ₹ 25.00 लाख (नवंबर 2012), ₹ 18.12 लाख (जनवरी 2013) तथा ₹ पांच लाख (मार्च 2013)।

इस प्रकार, रॉ-वाटर की उपलब्धता सुनिश्चित न करके वित्तीय बुद्धिमता की कमी तथा अवमानक/दोषपूर्ण कार्य के निष्पादन ने ₹ 96.49 लाख का व्यय निष्फल बना दिया तथा यूनिट, जिसे क्षेत्र हेतु मॉडल यूनिट के रूप में कार्य करना था, परिचालित नहीं किया जा सका (दिसंबर 2015), फलस्वरूप इसका मूल उद्देश्य विफल हुआ।

औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग

3.15 अविवेकपूर्ण स्थल चयन के कारण निधियों का अवरोधन

आई.टी.आई. के निर्माण हेतु उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना भूमि के लिए भुगतान करने के औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग के निर्णय के परिणामस्वरूप सात वर्ष से अधिक समय तक ₹ 98.82 लाख की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 66.05 लाख के ब्याज की हानि परिणामित हुई।

बी. एंड आर. आदेशों की नियम पुस्तिका के नियम 6.15 के अनुसार, प्रत्येक भवन हेतु स्थल, विस्तृत डिजाइन तथा अनुमानों को तैयार करने से पूर्व निश्चित रूप से निश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 6.15 (iii) (बी) कथित है कि एक बोर्ड डी.सी., ई.ई. (बी. एंड आर), ई.ई. (जन-स्वास्थ्य) तथा विभाग के एक अधिकारी को सम्मिलित करते हुए स्थल के चयन हेतु गठित किया जाए, तथा बोर्ड स्थल की उपयुक्तता के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

कलायत में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) को स्थापित करने के विचार से, महा-निदेशक (डी.जी.), औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा (आई.टी.वी.ई.) हरियाणा ने उपायुक्त (डी.सी.) कैथल को 10 एकड़ भूमि मुफ्त प्रदान करने हेतु अनुरोध (जनवरी 2007) किया। उपयुक्तता के संबंध में दूसरी आवश्यकताओं के साथ-साथ, यह अनुरोध किया गया था कि भूमि निचले क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। प्रधानाचार्य आई.टी.आई. ने कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) भवन एवं सड़कें (बी. एंड आर.) नरवाना को आई.टी.आई. के साईट प्लान तैयार करने हेतु अनुरोध किया (मई 2007) क्योंकि नगर पालिका (एम.सी.) कलैक्टर रेट पर भूमि (7 एकड़ 1 कनाल) स्थानांतरण करने के लिए तैयार थी। ई.ई., ने सूचित किया (मई 2007) कि भूमि आई.टी.आई. के नाम पर खरीदी जाए ताकि साईट प्लान तैयार किए जा सके।

प्रधानाचार्य आई.टी.आई. कैथल ने कानूनगो (राजस्व विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी) के साथ स्थल का दौरा किया (मई 2007) तथा पाया कि भूमि जलमग्न थी। आगे, वित्तायुक्त एवं निदेशक के निर्देशों के अनुसार, संयुक्त निदेशक (तकनीकी), प्रधानाचार्य आई.टी.आई. कैथल, तहसीलदार तथा एम.सी., कलायत के सदस्यों की संयुक्त कमेटी ने जगह का निरीक्षण (जून 2007) किया तथा रिपोर्ट किया कि भूमि 6-7 फीट की औसत गहराई के साथ तालाब का एक हिस्सा थी तथा इस प्रकार जमीन को भरने की अतिरिक्त लागत सरकार द्वारा वहन की जानी थी। डी.सी., कैथल ने विभाग को सूचित (अक्तूबर 2007) किया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग ₹ 98.82 लाख की लागत पर आई.टी.आई. के लिए भवन निर्माण हेतु 7 एकड़ 1 कनाल माप की भूमि बेचने के लिए सहमत हो गया। सरकार ने एम.सी. कलायत को ₹ 98.82 लाख के भुगतान के लिए संस्वीकृति प्रदान की (नवंबर 2007), जिसे आई.टी.आई. भवन के निमार्ण हेतु भूमि की उपयुक्तता को सुनिश्चित किए बिना जुलाई 2008 में जमा

करवा दिया गया। ई.ई., पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) नरवाना ने अक्तूबर 2008 में विभाग को सूचित किया कि वह जगह मौजूद तालाब का एक भाग थी तथा भूमि को भरने के बाद भी पानी खड़ा था, यह भवन की नमी का कारण होगा।

पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विभाग ने डी.सी. कैथल को दूसरी जगह का प्रबंध करने हेतु अनुरोध किया (नवंबर 2008) क्योंकि उस पर भवन निर्माण संभव नहीं था। डी.सी. कैथल ने सूचित किया (फरवरी 2009) कि ग्राम पंचायत पिंजुपुरा 33 वर्षों के लिए ₹ एक प्रति वर्ष की दर से निरंतर लीज आधार पर आई.टी.आई. की स्थापना हेतु 8 एकड़ 19 मरला भूमि प्रदान करने हेतु सहमत हो गई। विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायत पिंजुपुरा को आई.टी.वी.ई. के पक्ष में अपनी भूमि को लीज पर देने हेतु अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 2009) तथा आई.टी.आई. भवन पिंजुपुरा में निर्मित किया गया तथा कक्षाएं पहले से ही आरंभ की गई थी। विभाग ने एस.सी. कलायत को ₹ 92.82 लाख की राशि वापस करने हेतु अनुरोध किया (मई 2010), परंतु एम.सी. कलायत ने कहा (सितंबर 2010) कि वे अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण राशि वापस करने में असमर्थ है तथा वाणिज्यिक भूमि की बिक्री के बाद यह राशि वापस कर देंगे।

डी.जी., आई.टी.वी.ई. के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (अक्तूबर 2014) कि विभाग ने तथ्य को ध्यान नहीं दिया कि भूमि तालाब का हिस्सा थी, औसत गहराई जो लगभग 6-7 फीट थी तथा वहां पर पानी भरा था। परंतु, विभाग ने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) अधिकारियों से विचार-विमर्श नहीं किया तथा एम.सी. को भुगतान करने से पहले भूमि की उपयुक्तता बारे उनके तकनीकी विचार प्राप्त नहीं किए। इस प्रकार, विभाग ने संयुक्त कमेटी द्वारा निरीक्षण (मई-जून 2007) में पानी भरे होने की समस्या के बारे में जागरूक होने के बावजूद उस भूमि हेतु जो आई.टी.आई. के निर्माण हेतु अनुकूल नहीं थी, भुगतान कर दिया (जुलाई 2008) जिसके परिणामस्वरूप सात वर्षों से अधिक समय के लिए ₹ 98.82 लाख का अवरोधन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 66.05 लाख के ब्याज की हानि हुई।

प्रधान सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने बताया (नवंबर 2015) कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग को या तो भूमि को विभाग के नाम पर स्थानांतरित करने या राशि ब्याज सहित वापस करने बारे अनुरोध किया गया है, परंतु तथ्य यह रहता है कि विभाग द्वारा जगह के अविवेकपूर्ण चयन के कारण, सरकारी निधियां अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो गई थी तथा भुगतान करने की तिथि से सात वर्षों से अधिक समय के बाद भी कोई राशि वापस प्राप्त नहीं की गई थी।

सिंचाई विभाग

3.16 अपूर्ण नहर पर निष्फल व्यय

मुख्य रैगुलेटर के निर्माण न होने तथा सैल बाक्स पुलिया के दोनों तरफ माईनर के न जोड़ने के कारण अपूर्ण नहर पर किया गया ₹ 1.09 करोड़ का व्यय निष्फल बन गया।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 15.1.1 प्रावधान करता है कि कोई निर्माण कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह सुनिश्चित न किया जाए कि निर्माण कार्य तकनीकी रूप से संभव है तथा व्यवहार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तद्नुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है, उस कार्य के लिए पूर्ण डिजाईन तथा अनुमान तैयार किए गए हैं। आगे उपरोक्त का अनुच्छेद 15.1.4 तथा 15.2.1 (अ) VI अनुबंध करता है कि संबंधित अधिकारियों अर्थात् बी. एंड आर. विभाग द्वारा मार्ग अधिकार का सही प्रयोग अथवा इसे पार करने बारे अनुमोदन/अनुमति निर्माण कार्य के कार्यान्वयन से पहले प्राप्त की जाए।

कमांड एरिया के अंतर्गत अधिकतम कृषि योग्य भूमि को लाने तथा रोहतक जिले के मदीना कोरसन तथा मदीना खेरी रोजह गांव की कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के विचार से, नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ.-XIII के अंतर्गत सितंबर 2007 में ₹ 1.38 करोड़ के लिए एक परियोजना ''आर.डी. 93150-एल., भिवानी सब ब्रांच (बी.एस.बी.) से लेते हुए आर.डी. 0-7350 से मदीना कोरसन माईनर का निर्माण'' अनुमोदित की गई। प्रस्तावित चैनल का संरेखण राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 10) के दिल्ली-हिसार सैक्शन से पास करना था तथा इस सड़क द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित किसी कार्य को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था। आगे, माईनर में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु बी.एस.बी. का आर.डी. 93150 पर छोड़ते हुए मदीना कोरसन के हैड रैगुलेटर के निर्माण हेतु ₹ 2.51 लाख का भी अलग अनुमान फरवरी 2011 अनुमोदित किया गया।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), रोहतक के जल सेवा मण्डल, रोहतक के दिसंबर 2013 अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि मिट्टी के बांध का निर्माण कार्य तथा मदीना कोरसन माईनर का आर.डी. 0-7350 से एक लेयर ब्रिक लाइनिंग का कार्य एक वर्ष की पूर्णता अवधि के साथ (दिसंबर 2011) ₹ 22.87 लाख की लागत पर आबंटित किया गया (दिसंबर 2010)। कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां एक पुलिया/पुल[74] निर्मित किया जाना अपेक्षित था, के भाग को छोड़कर ₹ 21.87 लाख में कार्यान्वित किया गया (जून 2011)। पुल का कार्य एन.एच.ए.आई. द्वारा सितंबर 2015 में पूरा किया गया परंतु सिंचाई विभाग ने पुल के साथ माईनर को नहीं जोड़ा। इसके अतिरिक्त, भिवानी उप शाखा आर.डी.-93150 एल. पर हैड-रैगुलेटर का निर्माण कार्य अर्थात् दो मास की समय-सीमा के साथ ₹ 4.29 लाख की अनुमानित लागत से चार वर्षों की समाप्ति के बाद अर्थात् जनवरी 2015 में आबंटित किया गया। परंतु यह नहर में पानी के बहने के कारण एजेंसी द्वारा शुरू नहीं किया गया (दिसंबर 2015) क्योंकि विभाग द्वारा ब्लाईंड क्लोजर प्रदान नहीं किए गए थे। इसके अभाव में कार्य पूर्ण किया हुआ नहीं कहा जा सकता। अधूरे कार्य पर ₹ 1.09 करोड़[75] खर्च किए गए थे (दिसंबर 2015)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जनवरी 2014), ई.ई. ने कहा (दिसंबर 2015) कि हैड रैगुलेटर का कार्य दो मास की समय-सीमा के साथ आबंटित किया गया था (जनवरी 2015) तथा जैसे ही चैनल का क्लोजर उपलब्ध होता है तथा चैनल की लिकिंग पूरी होती है, कार्यान्वित कर लिया जाएगा। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग न केवल चार वर्षों के बीतने के बाद भी, निर्मित मदीना कोरसन माईनर का हैड रैगुलेटर प्राप्त करने में विफल रहा परंतु पुल के दौनों तरफ माईनर को जोड़ने में भी विफल रहा जैसा कि भौतिक जांच में पाया गया (दिसंबर 2015) परिणामस्वरूप, माईनर अब तक क्रियाशील नहीं बनाई जा सकी।

इस प्रकार, अधूरी नहर पर किया गया ₹ 1.09 करोड़ का व्यय सैल बाक्स पुल के दोनों तरफ माईनर को न जोड़ने तथा हैड रैगुलेटर के निर्माण न होने के कारण न केवल निष्फल हुआ परंतु स्कीम के अभीष्ट लाभ भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए।

मामला प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग को मई 2015 में संदर्भित किया गया तथा आगे अनुस्मारक जून 2015 में जारी किए, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

[74] मदीना कोरसन माईनर हेतु एन.एच.-10 के एन.एच. कि.मी. 94.81 पर सैल बाक्स पुलिया का निर्माण (मदीना कोरसन आर.डी. 4812 पार करते हुए)।

[75] ₹ 1.09 करोड़: ₹ 87.38 लाख भूमि की लागत + ₹ 21.87 लाख निर्माण कार्य पर।

3.17 सिंचाई विभाग के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्तन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा में छः अनुशंसाओं में से, एक अनुशंसा पूरी तरह से लागू की गई थी, एक अनुशंसा आंशिक रूप से लागू की गई तथा चार अनुशंसाएं लागू नहीं की गई थी। आगे, अन्य 23 अभ्युक्तियों में से, विभाग ने 8 अभ्युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए थे; नौ अभ्युक्तियों के संबंध में पर्याप्त प्रगति की गई थी तथा छः अभ्युक्तियों के संबंध में अभीष्ट क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति की गई थी।

3.17.1 प्रस्तावना

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल 'सिंचाई विभाग के कार्यचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने योजना का अभाव, उद्देश्यों की अ-प्राप्ति, स्कीमों को धीमा तथा सुस्त लागू करना इत्यादि से संबंधित विषय पर प्रकाश डाला गया था। इसके अतिरिक्त, वहां समान विभागों के साथ समन्वय की कमी, कार्यों को टुकड़ों में बांटना, नहरों में मलजल के निपटान तथा नहरों में एफ्लुएंट छोड़ने पर अपर्याप्त नियंत्रण, कार्यों का निम्न स्तरीय निष्पादन इत्यादि के उदाहरण थे।

वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा समय-समय पर दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, प्रशासकीय विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में दर्शाए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वयं संज्ञान सकारात्मक तथा ठोस कार्यवाही करनी चाहिए चाहे वे मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु उठाए गए हों अथवा नहीं।

3.17.2 अनुवर्तन परिणाम

विभाग द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जांच हेतु, सरकार के विभिन्न निर्देशों के अनुसार, मुख्य अभियंता तथा संबंधित मंडलों के कार्यालयों में रखे गए संबंधित अभिलेखों की छानबीन के द्वारा 'सिंचाई विभाग' पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मामलों पर मई-जून 2015 के दौरान अनुवर्तन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) में 30 टिप्पणियां तथा छः अनुशंसाएं थी। अनुशंसाओं तथा अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति निम्न प्रकार है:

- अपर्याप्त/कोई प्रगति नहीं
- पर्याप्त कार्यान्वयन/प्रगति
- सभी अभीष्ट क्षेत्रों तथा सिस्टम सुधार में पूर्ण प्रगति।

3.17.3 अनुशंसाओं तथा अन्य टिप्पणियों की स्थिति

निष्पादन लेखापरीक्षा में छः अनुशंसाओं में से, अधिक व्यय से बचने के लिए व्यय नियंत्रण प्रक्रिया से संबंधित एक अनुशंसा पूरी तरह से लागू की गई पाई गई; कार्य के निम्नस्तरीय निष्पादन मामले से बचाव हेतु सतर्कता प्रक्रिया की सक्रियता से संबंधित एक अनुशंसा आंशिक रूप से लागू की गई तथा चार अनुशंसाएं लागू नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, दूसरी टिप्पणियों की स्थिति जिन पर विशेष अनुशंसाएं नहीं की गई थी, परंतु जिन पर विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी, भी अनुसरण के दौरान जांच किए गए थे जैसा निम्न अनुच्छेदों में विवरण दिया गया है:

3.17.3.1 अपर्याप्त/कोई प्रगति नहीं

सिफारिशें

(i) जारी कार्यों को पूरा करने के लिए उचित योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि सिंचाई के अंतर्गत आवृत क्षेत्र बढ़ाया जा सके।

(क) बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास कार्य (अनुच्छेद 2.2.7.1)

193 अधूरे बाढ़ नियंत्रण/बचाव कार्यों में से, 39 कार्य (2006-07 से 2009-10 में अनुमोदित) दो से 5 वर्षों से अधिक देर तक लंबित थे।

एक भी स्कीम/कार्य जून 2015 तक पूर्ण नहीं हुई थी। कार्य को समाप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाए गए थे। परिणामस्वरूप, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी।

(ii) योजना के अभीष्ट लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए समान विभागों/संगठनों से समन्वय स्थापित करना;

(क) पम्प हाऊस के लिए बिजली का कनैक्शन जारी करने हेतु अनुसरण न करना (अनुच्छेद 2.2.9.2)

1982 के दौरान निर्मित 7 पम्प हाऊस[76] बिजली के कनैक्शन के अभाव में कार्य नहीं कर रहे थे, जबकि ₹ 33.57 लाख दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) के पास प्रतिभूति के रूप में जमा थे। विभाग जून 2015 तक पम्प हाऊस के बारे में बिजली कनैक्शन प्राप्त करने में विफल रहा था। आगे, पम्प हाऊस को कार्यशील बनाने हेतु कोई दूसरे प्रबंध नहीं किए थे। इसके परिणामस्वरूप, ये पम्प हाऊस निष्क्रिय रहे तथा माइनरज परित्यक्त पड़ी थी।

(ख) खनन विभाग के साथ समन्वय की कमी के कारण अतिरिक्त व्यय (अनुच्छेद 2.2.211.1)

खनन विभाग के साथ उचित समन्वय की कमी के कारण, विभाग को ₹ 1.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान (नवंबर 2012) ई.आई.सी. ने कहा कि खनन विभाग द्वारा रोकने के कारण पहले ठेकेदार काम को बीच में छोड़ गए थे। फिर भी, जब खनन विभाग से अनुमति प्राप्त हुई, ठेकेदारों ने पुराने रेटों पर कार्य करने से मना कर दिया था तथा कार्य पुनः आबंटित किए गए।

अनुसरण लेखापरीक्षा के दौरान (मई 2015), विभाग ने वही उत्तर दोहराया जो एग्जिट काफ्रेंस में दिया गया था (नवंबर 2012)। इस प्रकार, स्थिति वही रही तथा विभाग ने भविष्य में इस प्रकार की हानियों के दुबारा होने के बचाव हेतु कोई उचित प्रणाली विकसित नहीं की है।

(iii) नहरों में मलजल के निपटान तथा एफ्लुएंट रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाना

(iv) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करना

[76] एम.जी.डी.-1 माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी 2.173 कि.मी., एम.जी.डी-2 माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी 3.265 कि.मी., एम.जी.डी-3 माधोगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी 4.447 कि.मी., एम.-2 अटेली माईनर 4.000 कि.मी, आर.पी.एम.-I रामपुर सब माईनर 5.800 कि.मी., डी.एन.एम.-2 धन चोली माईनर 4.000 कि.मी., डी.एस.पी. एम.-5 दोस्तपुरा माईनर 2.400 कि.मी.।

(क) पश्चिमी जमुना नहर में मलजल तथा एफ्लुएंट जल के निपटान के कारण पर्यावरण को खतरे (अनुच्छेद 2.2.10.4)।

11 स्थानों पर 26 क्यूसैस मलजल तथा एफ्लुएंट पश्चिमी जमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.) में छोड़े जा रहे थे तथा विभाग द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उपायुक्तों के साथ मामला उठाने के अलावा, डब्ल्यू.जे.सी. में मलजल तथा बहिस्राव के छोड़ने को रोकने हेतु नहर तथा जल निकास अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2015) कि विभाग द्वारा मलजल के छोड़ने को रोकने हेतु प्रयास किए जा रहे थे तथा नोटिस जारी किए जा चुके थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि नहर तथा जल निकास अधिनियम के अंतर्गत तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ठोस कदम नहीं उठाए थे। आगे, मामले को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर पर उठाने के बावजूद मामले पर कोई प्रगति नहीं पाई गई।

अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

विभाग ने अन्य टिप्पणियों जैसे दादूपुर-नलवी सिंचाई परियोजना पर निष्फल व्यय, नहरों की क्षमता/रिमोडलिंग बढ़ाने हेतु व्यय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निधियों का प्रयोग न करना, नकली/अनुचित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करना, भारी प्रशासकीय प्रभारों से मंडलों का निर्माण, स्टाफ तथा अन्यों के विरूद्ध विविध लोक निर्माण अग्रिमों की वसूली न करना/समायोजन, श्रम कल्याण बोर्ड के पास श्रम उपकर जमा न करवाना, भूमि मुआवजे का भुगतान करने में गंभीरता की कमी, इत्यादि को संबोधन हेतु कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए थे। इन टिप्पणियों तथा वर्तमान प्रगति के विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिए गए हैं:

3.17.3.2 पर्याप्त कार्यान्वयन/प्रगति

सिफारिश

(v) अवमानक कार्यों, कार्यों के निष्पादन में निष्फल/अतिरिक्त व्यय के मामलों से बचाव हेतु अपनी सतर्कता यंत्रावली क्रियाशील करना।

(क) ₹ 1.35 करोड़ की लागत का हैड रेगुलेटर यंत्रावली क्षतिग्रस्त होना (अनुच्छेद 2.2.10.3)

निर्माण कार्य 'डब्ल्यू.जे.सी. का आर.डी. 68036 पर एग्युमेनटेशन नहर का हैड रेगुलेटर के रिमाडलिंग का निर्माण' का ढांचा खंभों और जोड़ों के धसाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया।

विभाग ने सूचित किया (जून 2015) कि केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान स्टेशन (सी.डब्ल्यू.पी.आर.एस.), पुणे ने मामले की छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट नवंबर 2012 में राज्य सर्तकता विभाग को प्रस्तुत की थी तथा यह उस विभाग के पास थी। उत्तरदायित्व नियत करने हेतु सर्तकता विभाग के साथ मामला आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ख) कार्यों का निम्न स्तरीय निष्पादन (अनुच्छेद 2.2.11.2)

एच.के.बी. परिमंडल जगाधरी में ₹ 18.01 करोड़ की लागत से किए गए आठ निर्माण कार्यों के नमूने निम्न स्तरीय पाए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2015) कि 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को चार्ज शीट कर दिया गया है तथा सरकार ने पूरी इनक्वारी करने हेतु एक जांच अधिकारी की नियुक्ति (मई 2015) की थी। लेखापरीक्षा का यह विचार है कि ऐसे मामलों में दोषियों को दंडित करने हेतु ऐसे मामलों में जांच को तीव्रता देनी चाहिए।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति

यद्यपि विभाग द्वारा कुछ अभ्युक्तियों के संबध में पर्याप्त कार्यान्वयन/प्रगति की थी, सिस्टम में सुधार, योजना, बाढ़ हेतु केन्द्रीय सहायता, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरे राज्यों से हिस्से की प्राप्ति न होना, जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम, एल.ए.ओ. से शेष राशि की वसूली न करना, भूमि का परिवर्तन न किया जाना, स्टाफ की कमी, जमा में पड़ी राशियों का अंतरण राजस्व को न करना, वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट का तैयार न करना इत्यादि पर प्रगति अभी भी धीमी थी। इन अभ्युक्तियों पर विवरण तथा प्राप्त की गई अंततम प्रगति ***परिशिष्ट 3.3*** में दी गई है।

3.17.3.3 सभी अभीष्ट क्षेत्रों तथा प्रणाली के सुधार में पूर्ण प्रगति

सिफारिश

(vi) बजट प्रावधानों से अधिक व्यय से बचने के लिए व्यय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना

(क) बजट प्रावधान तथा व्यय (अनुच्छेद 2.2.8.1)

2007 – 08 से 2010 – 11 के दौरान पूंजीगत दत्तमत्त के अंतर्गत तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत बचतें तथा 2007 – 12 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) के अंतर्गत पर्याप्त बचतें अथवा शून्य व्यय था।

विभाग ने अधिक पूंजीगत व्यय की बुकिंग के संबंध में उचित मापदण्ड लिए थे तथा 2012 – 13 से 2014 – 15 के दौरान वहां कोई अधिक व्यय नहीं था। आगे, अधिक व्यय 2010 – 11 तक पी.ए.सी. द्वारा नियमित किया गया। एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत बचतें भी 2014 – 15 में बजट के 5 प्रतिशत से कम पर आ गई। यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही की गई है।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की स्थिति

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही की थी जैसे कि ₹ 1.94 करोड़ के अनुदान का प्रयोग प कापस, हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान (एच.आई.आर.एम.आई.) को अधिक अनुदान का जारी करना, निविदा दस्तावेज फीस का संशोधन न करना, कार्य को टुकड़ों में बांटना, ओटु झील की उपजाऊ मिटटी को न बेचना तथा प्रशासकीय अनुमोदन एवं अनुमानों की संस्वीकृति के बिना कार्य का निष्पादन करना। इन बिंदुओं पर की गई अनुपालना के विवरण ***परिशिष्ट 3.4*** में दिए गए हैं।

यह स्पष्ट है कि जबकि विभाग ने कुछ क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्यवाही की थी, अन्य क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही अभी भी की जानी है। विभाग को, इसलिए, अपनी निष्पादन में आगे सुधार हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अच्छी प्रकार से बनाई गई योजना विकसित करनी चाहिए।

ये बिंदु अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किए गए थे परंतु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2016)। फिर भी, अनुवर्तन पर लेखापरीक्षा परिणामों पर मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के साथ दिसंबर 2015 में विचार-विमर्श किया गया जिसमें उन्होंने सभी लंबित मामलों के बारे में सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

सिंचाई तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग

3.18 भूमि के अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय

भूमि पर कार्य आरंभ करना, जो सरकार द्वारा पूरी तरह से अधिगृहीत नहीं की गई थी तथा बची हुई भूमि का अधिग्रहण करने हेतु कार्यवाही करने में ढिलाई के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के प्रति ₹ 1.22 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लोक निर्माण विभाग संहिता (तब विद्यमान संहिता) के अनुच्छेद 2.92 के अनुसार, उस भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए जो जिम्मेदार सिविल अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से नाम न की गई हो। आगे, पी.डब्ल्यू.डी. संहिता (तब विद्यमान संहिता) के परिशिष्ट V के अनुच्छेद 9 में निर्धारित किया गया था कि परियोजनाओं के प्रस्तुतिकरण से पहले एकरेखन तथा मिट्टी दोनों के निरीक्षण सहित, प्रारंभिक परिचालन तथा भूमि के अधिग्रहण की लागत के अनुमानों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में प्रावधान किया गया है कि जब कभी लोक उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता हो, अधिनियम के सैक्शन 4(1) और 6(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना तथा तत्रैव अधिनियम के सैक्शन 11 के अंतर्गत अवार्ड की घोषणा के बाद यह अधिग्रहण की जा सकती है।

(क) जुई जल सेवा मंडल, भिवानी के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (अप्रैल 2015) कि वर्ष 1978 के दौरान 19.01 एकड़ भूमि आर.डी. 0-10500 से बारदू सब माईनर के निर्माण में प्रयोग की गई थी। इसमें से, 14.46 एकड़ भूमि जनवरी 1978 में अधिग्रहण की गई थी तथा 4.55 एकड़ भूमि भू-मालिकों को मुआवजे का भुगतान किए बिना प्रयोग की गई। पीड़ित भू-मालिक कानून के अनुसार मुआवजे के भुगतान हेतु न्यायालय में गए (सितंबर 2007)। विभाग ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया (मार्च 2008) कि कानून के अनुसार मुआवजे का भुगतान बिना किसी देरी से जारी किया जाएगा। इस प्रस्तुतिकरण तथा पेटीशनर की सहमति मुआवजे के प्रकाश में, माननीय न्यायालय ने मामले को वापस लिया के रूप में खारिज कर दिया (मार्च 2008)। परंतु मुआवजे का भुगतान न होने के कारण, भू मालिकों ने 2012 में एक अवमानना याचिका के द्वारा न्यायालय में पुनः आवेदन किया। इस पर, विभाग ने सैक्शन 4 (अगस्त 2012) तथा सैक्शन 6 (अप्रैल 2013) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल.ए.ओ.), भिवानी द्वारा मार्च 2015 में ₹ 1.26 करोड़[77] के

[77] ₹ 1.26 करोड़= ₹ 0.545 करोड़ (भूमि की लागत) + ₹ 0.545 करोड़ (अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार) + ₹ 0.17 करोड़ (ब्याज की अतिरिक्त राशि)। अतिरिक्त व्यय की गणना करते समय, अतिरिक्त राशि के मूल्य में अंतर परिकलित नहीं किया गया क्योंकि 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की अतिरिक्त राशि का भुगतान सैक्टशन 4 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कलक्टर के अवार्ड की तिथि तक अथवा भूमि का कब्जा लेने की तिथि तक, जो भी पहले हो, किया जाना था।

लिए एक अवार्ड प्रदान किया गया। यदि विभाग द्वारा मार्च 2008 में समय पर कार्यवाही की होती तथा नवंबर 2010 से पहले भुगतान किया होता तो मुआवजे की राशि ₹ 47.26 लाख होती (भूमि की कीमत तथा आवश्यक अधिग्रहण प्रभार) परंतु अधिग्रहण कार्यवाही करने तथा मुआवजे का भुगतान करने में देरी के कारण, ₹ 61.79 लाख का अतिरिक्त व्यय ***(परिशिष्ट 3.5)*** भूमि के फ्लोर रेट न्यूनतम के रूप में खर्च किए गए तथा अनिवार्य अधिग्रहण प्रभार की दरें नवंबर 2010 तथा सितंबर 2013 में क्रमश: संशोधित की गई। इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता, सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग हरियाणा ने सूचित किया (अक्तूबर 2015) कि विभाग ने इस तर्क पर कि नीति निर्णय के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक पुराने मामलों में भूमि मुआवजे का भुगतान से सामान्यत: बचना चाहिए क्योंकि या तो भूमि का प्रयोग मुआवजे के भुगतान द्वारा या भूमि मालिकों जो स्कीम या परियोजना पर लाभ अर्जन कर रहे थे, की सहमति से किया गया था, भूमि के अधिग्रहण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं माननीय न्यायालय में आश्वासन दिया था (मार्च 2008) तथा मामले पर विभाग की उपरोक्त आधार/नीति पर मामले में विवाद नहीं किया गया था तथा इस प्रकार भूमि के अधिग्रहण पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(ख) प्रांतीय डिवीजन नं. 2 गुड़गांव में, वर्ष 1999-2000 के दौरान मालपुरा वाया लोकड़ा मऊ से सड़क बनाने हेतु 7.35 एकड़ भूमि का प्रयोग किया गया। 7.35 एकड़ की कुल अपेक्षित भूमि में से, 6.44 एकड़ अप्रैल 1988 में तथा 0.53 एकड़ जुलाई 1999 में क्रमश: ₹ 1.37 लाख तथा ₹ 2.04 लाख की लागत से अधिगृहीत की गई, परंतु 0.38 एकड़ भूमि बिना अधिग्रहण के प्रयोग की गई। पीड़ित भू मालिक मुआवजे के भुगतान हेतु माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंचे (2012)। विभाग के आश्वासन के बाद कि मुआवजे का भुगतान शीघ्र ही किया जाएगा, माननीय न्यायालय ने याचिका समाप्त कर दी (मार्च 2013)। एल.ए.ओ., गुड़गांव द्वारा ₹ 67.68 लाख का अवार्ड घोषित किया गया जो 1999 में भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की अपेक्षा ₹ 59.81 लाख ***(परिशिष्ट 3.5)*** अधिक था।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2015), मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन एवं सड़कें) ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि विभाग के कब्जे में मालपुरा गांव की कुल भूमि अभी तक अधिगृहीत नहीं की है, जब कभी भूमि मालिक अपनी भूमि के भुगतान हेतु आगे आए, तब भूमि का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले भूमि का अधिग्रहण करना अपेक्षित है। इस प्रकार, विभाग द्वारा पूर्ण अधिग्रहण से पहले भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करना तथा मुआवजे के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे के प्रति ₹ 1.22 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। विभाग द्वारा 2008 में न्यायालय को दिए गए आश्वासन कि मुआवजा बिना देरी से जारी किया जाएगा के बैंक ड्राप में लैप्स और अधिक गंभीर हो गया।

मामला अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें शाखा) तथा प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग को जुलाई 2015 में संदर्भित किया गया तथा आगे स्मरण-पत्र अगस्त 2015 में जारी किया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2016)।

चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान विभाग

3.19 सरकारी लेखे में दुकानों का किराया जमा न करवाना

अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों की उल्लंघना में, दुकानों/बूथों की ₹ 1.16 करोड़ की राशि का किराया महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सोसाइटी, अग्रोहा (एक रजिस्ट्रर्ड सोसाइटी) द्वारा अनियमित रूप से रखा गया तथा सरकारी लेखे में जमा नहीं करवाया।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अग्रोहा को स्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक रजिस्ट्रर्ड सोसाइटी महाराजा अग्रसेन चिकित्सा शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सोसाइटी, अग्रोहा (सोसाइटी), के साथ एक अनुबंध किया (जून 1990)। अनुबंध का क्लॉज 1 (ई) तथा (एफ) प्रावधान करता है कि संस्थान की संपत्ति सोसाइटी में रहेगी। परंतु सोसाइटी को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना यह संपत्ति बेचने, गिरवी रखने, सब लीज अथवा दूसरे तरीके से स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं है। अनुबंध का क्लॉज 11 आगे प्रावधान करता है कि संस्थान में सोसाइटी के सभी अधिकार, टाईटल तथा इन्ट्रस्ट तथा भूमि, भवन, फिटिंग, फिक्सचर, राज्य सरकार के या सोसाइटी या किसी अन्य स्रोत से आवर्तक अथवा पुन: आवर्तक जो भी हो, इन पर कोई मुआवजे का भुगतान किए बिना राज्य सरकार में पूर्णतया तथा हमेशा के लिए रहेंगे।

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा कालेज (एम.ए.एच.सी.) अग्रोहा के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (मई 2015) कि सोसाइटी ने सरकार की अनुमति के बिना चिकित्सा कालेज के कैम्पस में 2001-02 के दौरान आठ दुकानें तथा बूथ निर्मित किए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2002-03 के दौरान यह दुकानें किराए पर दी गई थी तथा 2002-03 से 2014-15 अवधि हेतु ₹ 1.16 करोड़ की किराए की प्राप्त राशि को अनुबंध की शर्तों की उल्लंघना में सरकारी लेखे में जमा करवाने की बजाए सोसाइटी द्वारा रखा गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने कहा (दिसंबर 2015) कि ब्लॉक-ए की दुकानों का किराया सोसाइटी द्वारा रखा जा रहा था क्योंकि यह दुकानें सोसाइटी द्वारा पूर्ण रूप से उनकी अपनी आय अर्थात् दान इत्यादि से बनाई गई थी तथा इस प्रकार जो आय प्राप्त हुई, कालेज तथा अस्पताल गतिविधियां पर पूर्ण रूप से खर्च की गई थी। किराए को रखने बारे कार्योत्तर अनुमोदन एम.ए.एम.सी. के कार्यकारी कमेटी से प्राप्त किया गया था (जुलाई 2015)। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि सोसाइटी ने दुकानें/बूथ निर्मित किए थे तथा किराए पर दिए गए एवं सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किराए को अपने खाते में जमा करवाया जो अनुबंध के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में था।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.20 अप्रयुक्त पाइपों पर निधियों का अवरोधन

विनिर्देशनों के बदलाव के कारण ₹ 1.55 करोड़ मूल्य की स्टोन वेयर पाइपें *अप्रयुक्त* रही जिसके परिणामस्वरूप निधियां पांच वर्षों से अधिक समय के लिए अवरूद्ध रही।

पंजाब वित्तीय नियम-वाल्यूम-I का नियम 15.2 (ख) और हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का पैरा 25.3.3 प्रावधान करते हैं कि क्रय, जनसेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार की

जानी चाहिए और वास्तविक आवश्यकताओं के बहुत अग्रिम में नहीं की जानी चाहिए। आगे, उपयोग की भारी मदों जैसे सीमेंट, स्टील, पाइपें, इत्यादि जो कि विभाग में विभिन्न स्थानों/स्टोर में उपलब्ध हैं, की मात्रा परिचालित की जानी चाहिए और अंतर मंडलीय हस्तांतरण के लिए ध्यान में रखी जानी चाहिए। आगे, मैन्युअल ऑन सीवरेज एवं सीवेज ट्रीटमैंट (एम.एस.एस.टी.) का पैरा 1.8 निर्धारित करता है कि आरंभिक रिपोर्ट बनाने और विस्तृत सीवरेज परियोजना को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण पूर्व अपेक्षाएं हैं। एम.एस.एस.टी. का पैरा 1.8.1.1 यह भी प्रावधान करता है कि टोपोग्राफी, सब-स्वाईल स्थितियां, भूमिगत संरचनाओं से संबंधित सूचना के साथ-साथ गलियों और सटे हुए क्षेत्रों के स्थान भी, सीवरेज स्कीमों की योजना/अनुमान करते समय ध्यान में रखने चाहिए।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 3 कैथल (अगस्त 2014) और बहादुरगढ़ (अप्रैल 2015) के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि प्रमुख अभियंता (प्र.अ.), जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.) ने अधीक्षक अभियंताओं (अ.अ.)/कार्यकारी अभियंताओं (क.अ.) को 2007-08 के दौरान आवृत किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के लिए, इस प्रमाण-पत्र के साथ कि सामग्री 2007-08 के दौरान उपभोग कर ली जाएगी, सामग्री की आवश्यकताएं प्रस्तुत करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया (फरवरी 2007)। प्रत्युत्तर में अ.अ. जींद सर्कल और रोहतक सर्कल ने विभिन्न आकारों[78] के स्टोन वेयर पाईपों (एस.डब्ल्यू.पाईप) के क्रय के लिए आवश्यकताएं (30796 सं.) प्र.अ. को क्रमशः फरवरी 2007 और अगस्त 2007 में भेज दी। विभाग ने, कैथल और बहादुरगढ़ नगरों में सीवर लाईन बिछाने के लिए निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा, चण्डीगढ़ के माध्यम से जुलाई 2007 और अप्रैल 2009 के बीच ₹ 2.24 करोड़ के विभिन्न आकारों की 23,428 एस.डब्ल्यू. पाईप क्रय की। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने कार्य ठेकेदारों से करवाया जिसमें पाईपें अनुबंधित एजेंसियों द्वारा प्रदान और नियत की गई थी। परिणामस्वरूप, 28,441[79] पाईपों में से 13,137[80] पाईपें (46 प्रतिशत) प्रयुक्त की गई थी और ₹ 1.55 करोड़ मूल्य की 15,304 पाईपें (54 प्रतिशत) स्टोर में पड़ी थी (अगस्त 2015)। आगे, स्टोर के भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया कि एस.डब्ल्यू. पाईपों का स्टाक 2009 से खुले में पड़ा था और समय व्यतीत होने के साथ पाईप खराब/क्षतिग्रस्त हो रही थी।

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया (जुलाई 2015) कि स्थल परिस्थितियों जैसे कि रेतीली भूमि और भारी ट्रैफिक के मद्देनजर एस.डब्ल्यू. पाईपों के स्थान पर आर.सी.सी.एन.पी. 3 पाईपें प्रयुक्त की गई थी। एस.डब्ल्यू. पाईप की तुलना में आर.सी.सी.एन.पी.-3 पाईपों को वरीयता दी गई थी क्योंकि इनमें कम जोड़ों की आवश्यकता होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य की योजना/अनुमान बनाते समय स्थल स्थितियों

[78] 300 मिलीमीटर से 600 मि.मी. के बीच आंतरिक व्यास की एस.डब्ल्यू. पाईपें।

[79] 28,441 = 5013 (आरंभिक शेष) + 23,428 (जुलाई 2007 और अप्रैल 2009 के बीच प्राप्त की गई)।

[80] 13,137 = 400 मि.मी. आंतरिक व्यास की 300 (ज.स्वा.अ. मंडल-2, सिरसा को हस्तांतरित); 400 मि.मी. आंतरिक व्यास की 928 (ज.स्वा.अ. मंडल, रोहतक को हस्तांतरित); 600 मि.मी. आंतरिक व्यास की 120 (ज.स्वा.अ. मंडल, अंबाला शहर को हस्तांतरित); 600 मि.मी. आंतरिक व्यास की 350 (ज.स्वा.अ. मंडल-2, भिवानी को हस्तांतरित) और शेष 11439 पाईपें अनुमोदित अनुमानों में उपयोग में लाई गई जैसे कि योजना की गई (कैथल नगर में सीवरेज स्कीम और बहादुरगढ़ नगर में एक्सटेंशन सीवरेज स्कीम प्रदान करना)।

के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना अपेक्षित था और एस.डब्ल्यू. पाईपों में आवेष्टित जोड़ों की संख्या के बारे तथ्य विभाग की जानकारी में थे।

इस प्रकार, पाईपों के पांच वर्षों से अधिक समय तक प्रयुक्त न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ की निधियां अवरूद्ध रही। इसके अतिरिक्त ये पाईपें खराब होनी ही थी, क्योंकि ये खुले में पड़ी थी।

3.21 टैरटियरी ट्रीटमैंट वाटर स्कीम पर अविवेकपूर्ण व्यय

तोशाम (भिवानी) में टैरटियरी ट्रीटमैंट वाटर स्कीम पर ₹ 4.34 करोड़ का व्यय, ट्रीटमैंट के लिए बहिःस्राव की अनुपलब्धता और टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लान्ट के निर्माण न करने के कारण अविवेकपूर्ण था।

सीवरेज ट्रीटमैंट प्रक्रियाओं की तीन किस्में अर्थात् प्राइमरी, सैकण्डरी और टैरटियरी है। सामान्यतया, सीवरेज की प्राइमरी एवं सैकण्डरी ट्रीटमैंट, उन सीवरेज स्कीम में अपनाई जाती है जिसके अंतर्गत बहुत से अवयव गाढ़ेपन में कम होते जाते हैं। टैरटियरी ट्रीटमैंट[81], कृषि, बागवानी, भू-जल रिचार्जस, इत्यादि में कृषि योग्य जल के पुन: प्रयोग के लिए अतिरिक्त ट्रीटमैंट प्रदान करते हैं।

जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने अप्रैल 2014 को पूर्ण होने की समय-सूची के साथ ₹ 3.22 करोड़ के लिए गांव-तोशाम, जिला भिवानी में ''सीवरेज की टैरटियरी ट्रीटमैंट और जन उपयोगिताओं के लिए इसके रिसाइकिलिंग प्रदान करने के लिए'' एक स्कीम अनुमोदित की (अप्रैल 2012)। स्कीम, ट्रीटिड वाटर के लिए स्टोरेज के रूप में गांव के तालाब के विकास, लॉन के विकास, पौधारोपण, भू-दृश्य निर्माण, इत्यादि (₹ 1.97 करोड़) और सैकेण्डरी ट्रीटमैंट प्लान्ट (₹ 1.25 करोड़) के नजदीक टैरटियरी प्लांट के निर्माण का प्रावधान करती थी। टैरटियरी प्लांट के लिए आवश्यक भूमि ग्राम पंचायत द्वारा मुफ्त में प्रदान की जानी थी। तीन एम.एल.डी. क्षमता का सैकेडरी सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट जुलाई 2014 में तोशाम में कार्यात्मक हो गया था जहां से टी.टी.पी. में ट्रीटमैंट के लिए पानी आपूरित किया जाना था।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (ज.स्वा.अ.) मंडल, तोशाम (जून 2014) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि तालाब, पार्क इत्यादि के विकास का कार्य ₹ 1.22 करोड़ के लिए नवंबर 2012 में एक एजेंसी को आबंटित किया गया था जो कि ₹ 3.42 करोड़ तक इस तर्क पर बढ़ाया गया था कि बढ़ोतरी कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार थी। यह तर्कसंगत नहीं था क्योंकि तालाब का मूल क्षेत्र/गहराई वही थी और व्यय, मुख्यत: आर्किटेक्चरल अपियरेंस के लिए तालाब की रि-माडलिंग, फ्लोटिंग फाऊटेंस, बेंन्चस, मशीनरी, लाइटनिंग प्रबंध, प्रावधान/वृद्धि, गरीब बच्चों के खेलने के स्टेशन, टवाइलेट्स ब्लॉक्स, फूड प्लाजा, इत्यादि की संख्या और लागत में वृद्धि के कारण बढ़ गया था। एजेंसी को तदनुसार ₹ 3.08 करोड़ (मार्च 2015) अदा किए गए थे। चारदीवारी का कार्य सितंबर 2012 में ₹ 0.50 करोड़ के लिए दूसरी एजेंसी को आबंटित किया गया था और बढ़ोतरी के बाद ₹ 0.62 करोड़ खर्च किए गए और इसके अतिरिक्त अन्य विविध मदों पर ₹ 0.64 करोड़ खर्च किए गए। अप्रैल 2015 तक स्कीम पर ₹ 4.34 करोड़ का कुल व्यय किया गया था और पार्क के कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के

[81] टैरटियरी ट्रीटमैंट, रैजिडूल आरगनिक और इनआरगनिक सबस्टान्स के हटाने के लिए प्राईमरी और सैकेण्डरी ट्रीटमैंट का पूरक है और कुछ मामलों में आवश्यक डिग्री तक रिफरैक्टरी और डिजोल्वड सबस्टान्स भी।

कारण स्कीम के अनुमान संशोधित किए गए थे और ₹ 3.22 करोड़ से ₹ 5.28 करोड़ (जून 2013) तक बढ़ाए गए थे।

यह देखा गया कि ₹ 4.34 करोड़ का व्यय तालाब, पार्क, फैंसी लाइटनिंग, फूड प्लाजा, बच्चों के लिए प्ले सैट्स, इत्यादि के विकास पर किया गया था, टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लांट का निर्माण का मुख्य कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया था। यहां तक कि टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण के लिए डी.एन.आई.टी. अभी तक (दिसंबर 2015) अनुमोदित नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्र.अ., ज.स्वा.अ. मंडल ने बताया (मई 2015 और जनवरी 2015) कि तालाब के साथ-साथ पार्क यह मानकर विकसित किया गया था कि टैरटियरी वाटर, पौधों को पानी देने के लिए उपयोग किया जाएगा और पार्क का सुंदरीकरण, जनता को सुखद वातावरण प्रदान करने के लिए किया गया था। टी.टी.पी. तोशाम के लिए योजनाबद्ध किया गया क्योंकि अभी कार्यात्मक एस.टी.पी. सीवरेज को निर्धारित स्तर/मानक[82] तक ट्रीट नहीं कर सका और ट्रीटिड सीवरेज के विन्यास के लिए एस.टी.सी. के नजदीक कोई ड्रेन नहीं थी। प्रधान सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंडल ने बताया (दिसंबर 2015) कि टी.टी.पी. की डी.एन.आई.टी. जांच अधीन थी, तोशाम में स्थापित तीन एम.एल.डी. की एस.टी.पी. जुलाई 2014 में कार्यात्मक की गई थी और ट्रीटिड वाटर तोशाम ड्रेन में प्रवाहित की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, पार्क अब ग्राम पंचायत के प्रभार के अधीन था जो कि संशोधित तालाब में संग्रहीत वर्षा के पानी को उपयोग करके पार्क की देखभाल करता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अनुमोदित स्कीम, पानी के टैरटियरी ट्रीटमैंट और जन उपयोगिताओं के लिए इसके रिसाइलिंग के लिए थी, परंतु टी.टी.पी. का निर्माण ₹ 4.34 करोड़ का व्यय करने के बाद भी आरंभ नहीं हुआ था (दिसंबर 2015)।

इस प्रकार, ट्रीटमैंट के लिए बहि:स्राव की अनुपलब्धता और टैरटियरी ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण न करने के कारण तोशाम (भिवानी) में टैरटियरी ट्रीटमैंट वाटर स्कीम पर ₹ 4.34 करोड़ का व्यय अविवेकपूर्ण था।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

3.22 सड़क के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

अनुमान के सही न बनाने और सांहितिक प्रावधानों के अनुसार अनुमान का संशोधन न करने के कारण 13.88 से 27.60 किलोमीटर में निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ (एस.एच.-17) पर ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, 15.010 कि.मी. से 18.200 तक के बीच सड़क विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थी और रख-रखाव पर ₹ 39.67 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.8.1 के अनुसार, सड़कों का संरचनात्मक ढांचा स्टैण्डर्डस आफ इंडियन रोड़ कांग्रेस (आई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित प्रासंगिक मानकों/मानदंडों पर आधारित होगा। निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ पर ट्रैफिक घनत्व (नवंबर 2007) के लिए आई.आर.सी. 37/2001 ने 125 मि.मी. बिटुमिनीयस मैकाडाम (बी.एम) एवं 25 मि.मी. सैमी डैंस बिटुमिनीयस कंकरीट (एस.डी.बी.सी.) की सिफारिश करती है। इसके आगे, कोड का अनुच्छेद 10.1.7 और 10.10.4 प्रावधान करता है कि रोड प्रोजेक्ट के अनुमान को ट्रैफिक कोड

[82] 10 मिलीग्राम/1 से कम बी.ओ.डी. स्तर नवंबर 2013 में सी.पी.एच.ई.ई.ओ. द्वारा निर्धारित किया गया।

के प्रचलित या प्रत्याशित घनत्व को प्रकट करना चाहिए और ये विस्तृत अनुमान निविदाएं आमंत्रित करने के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

मिनिस्ट्री आफ शिपिंग, रोडस, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (एम.ओ.आर.टी.एच.), भारत सरकार ने 13.88 से 27.60 कि.मी. में निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ (एस.एच-17) को चौड़ा और सुदृढ़ करके सुधार लाने के लिए ₹ 5.10 करोड़ के भा.स. के हिस्से के साथ ₹ 10.20 करोड़ के लिए कार्य अनुमोदित किया (नवंबर 2008)। ₹ 14.80 करोड़ के लिए तकनीकी संस्वीकृति दी गई थी (मार्च 2009) जो आई.आर.सी; 37/2001 की सिफारिशों के अनुसार 125 मि.मी. बी.एम.[83] टाप बिटुमिनीयस लेयरस और 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के साथ सात मीटर से दस मीटर तक सड़क के चौड़ा करने पर विचार करती थी। निविदाएं फरवरी 2009 में मांगी गई थी। इसी बीच, विश्व बैंक स्कीम के अंतर्गत कोटपुतली-नारनौल-दादरी-भिवानी-खरक से सड़क की फोर-लेनिंग[84] के लिए डिजाइन, बिल्ट, फाइनांस, आपरेट एवं ट्रांसफर (डी.बी.एफ.ओ.टी.) स्कीम के अंतर्गत एक नया प्रस्ताव किया गया। क्योंकि यह भाग उपरोक्त सड़क का हिस्सा था, सरकार ने अनुमोदित किया (जुलाई 2009) कि इस भाग को भी फोरलेन किया जाना है। अधीक्षक अभियंता, भिवानी (अ.अ.) ने डिजाइन आवश्यकता के अनुसार फोर-लेनिंग के अनुमान में 125 मि.मी. (75 मि.मी. बी.एम. + 50 मि.मी. बी.एम.) के बिटुमिनियस क्रस्ट की सिफारिश की थी (अप्रैल 2009)। मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने बिना दोबारा निविदा आमंत्रित किए फोर-लेनिंग सड़क के लिए बिटुमिनियस क्रस्ट 125 मि.मी. बी.एम. से 75 मि.मी. बी.एम. घटाकर फोर-लेनिंग के लिए ₹ 14.47 करोड़ के लिए संशोधित अनुमान अनुमोदित कर दिए। अ.अ. ने फरवरी 2009 की निविदाओं (अर्थात् 125 मि.मी. बी.एम. + 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के साथ दस मीटर तक सड़क को चौड़ा करने के लिए विनिर्दिष्टताएं) पर ₹ 13.09 करोड़ की अनुबंध कीमत पर मैसर्ज कुंडू कंसट्रक्शन कंपनी को आबंटित कर दिया (जून 2009)। स्थल के साफ न होने के कारण जनवरी 2012 को पूर्ण करने की तिथि के साथ कार्य आरंभ करने की तिथि अक्तूबर 2010 संशोधित कर दी। नवंबर 2007 की ट्रैफिक गणना के आधार पर 125 मि.मी. बी.एम. और 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के प्रावधान के साथ फोर-लेनिंग के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन की मांग के लिए अ.अ. ने ₹ 25.26 करोड़ के लिए संशोधित बढ़ाया हुआ अनुमान प्रस्तुत किया (मई 2011)। लेकिन इस अनुमान के लिए अनुमोदन सूचित नहीं किया गया था।

एजेंसी ने, 13.88 से 18.20 कि.मी. की पहुंच में 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी. के साथ आर.डी. 13.88 से 15.01 में 125 मि.मी. घना बी.एम. और आर.डी. 15.01 से 26.40 में 75 मि.मी. घना बी.एम. बिछाकर कार्य निष्पादित कर दिया जबकि 26.45 से 27.60 कि.मी. तक कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि वन विभाग से क्लीयरेंस प्रतीक्षित थी जो कि जनवरी 2015 में प्राप्त हुई। ₹ 11.64 करोड़ की एक अदायगी एजेंसी को की गई (मार्च 2012)। एजेंसी ने कार्यकारी अभियंता (का.अ.) को आवेदन किया (जुलाई 2011) कि 75 मि.मी. की घनी बी.एम. डिजाइन आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा और एजेंसी को त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि धारा से बाध्य नहीं करेगा। अ.अ. ने अक्तूबर 2013 में अनुबंध को समाप्त कर दिया क्योंकि एजेंसी निर्धारित अवधि के अंदर कार्य पूर्ण करने में विफल रही।

[83] दो लेयरस में 125 मि.मी. बी.एम.-75 मि.मी. बी.एम. की प्रथम लेयर और 50 मि.मी. बी.एम. की दूसरी लेयर।

[84] 75 मीटर से 15.70 मीटर (दोनों किनारों पर 7.25 मीटर और 1.20 मीटर का केंद्रीय किनारा।

सड़क के विनिर्देशन दो वर्षों तक अनिर्णीत रहे और पहले से निर्मित सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। का.अ. ने सब-बेस और बेस 15 वर्षों के लिए और बिटुमिनीयस क्रस्ट दस वर्षों के लिए डिजाइन करने का निर्देश दिया (फरवरी 2013)। राज्य सरकार ने, पहले से निष्पादित कार्य 18.200 से 26.450 कि.मी. रीच में 60 मि.मी. डेन्स बिटुमिनीयस मैकाडम (डी.बी.एम. + 40 मि.मी. बिटुमिनियस कंक्रीट (बी.सी.) बिछाने और 26.450 से 27.600 कि.मी. रीच में सड़क के निर्माण सहित विस्तृत अनुमान के लिए ₹ 27.79 करोड़ की संशोधत प्रशासनिक स्वीकृति दे दी (जनवरी 2014)। शेष कार्य ₹ 13.52 करोड़ के लिए मैसर्ज आल ग्रेस डिवलपर्स को आबंटित कर दिया था (मार्च 2014), जिसने नवंबर 2015 को ₹ 12.44 करोड़ का कार्य निष्पादित कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सड़क की फोरलेनिंग के कारण बढ़ी हुई मात्राओं के लिए संशोधित स्वीकृति मांगने के बजाए, मु.अ. ने ₹ 14.80 करोड़ की तकनीकी संस्वीकृति के अंदर कार्य रखने के लिए विटुमिनियस क्रस्ट 125 मि.मी. से 75 मि.मी. घटा दिया जो कि पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.8.1 के प्रावधानों के विरूद्ध था। उच्चतर विशिष्टताओं के लिए निविदाएं पहले ही मांग ली गई थी और उन्हीं मात्राओं के लिए कार्य आबंटित किया गया था जिसने पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 10.1.7 की उल्लंघना की। विटुमिनियस क्रस्ट में कमी के कारण एजेंसी ने कार्य पूर्ण करने से इनकार कर दिया और त्रुटिपूर्ण दायित्व अवधि धारा को लागू नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप सड़क के रख-रखाव पर ₹ 39.57 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। 18.200 से 26.450 कि.मी. में अतिरिक्त लेयर ₹ 5.57 करोड़[85] का अतिरिक्त व्यय करने से निष्पादित किए जा रहे थे। आगे, 15.01 से 18.200 कि.मी. के बीच सड़क विशिष्टताओं से नीचे रही जो कि समय से पहले ही क्षतिग्रस्त /खराब होने के जोखिम से भरी थी क्योंकि संशोधित विस्तृत अनुमान में अतिरिक्त विटुमिनियस लेयर का प्रावधान नहीं था।

इस प्रकार, अनुमान को सही न बनाने और संहीतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुमान के संशोधन न करने के कारण सड़क, जो जनवरी 2012 तक पूर्ण की जानी थी, आरंभिक अनुमान के अनुमोदन से छः वर्षों के बाद और ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करने के बाद भी अभी तक निर्माणाधीन थी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया (जनवरी 2016) कि फोर-लेनिंग के मामले में अलग किए कैरिजवे पर लोड के वितरण के सिद्धांत के कारण कम किए गए विनिर्देशनों (75 मि.मी. बी.एम + 25 मि.मी. एस.डी.बी.सी.) के साथ आई.आर.सी. विनिर्देशनों के अनुसार फोर-लेनिंग के लिए अनुमान क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्तावित किया गया था और 125 मि.मी. से 75 मि.मी. तक बी.एम. की लेयर की संघनता में बदलाव प्रथम एजेंसी द्वारा कार्य छोड़ने का कारण नहीं था। इसके आगे यह जोड़ा गया कि यदि एजेंसी द्वारा 2012 में कार्य पूर्ण किया जाता तो सड़क पर पुनः परत डालने का कार्य 2015 में देय हो जाता। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अ.अ. ने फोर लेनिंग के अनुमान में आई.आर.सी. विनिर्देशनों और ट्रैफिक गणना के मद्देनजर डिजाइन आवश्यकता के अनुसार 75 मि.मी. बी.एम + 50 मि.मी. बी.एम. की सिफारिश की थी (अप्रैल 2001) और एजेंसी ने सड़क के विनिर्देशनों में बदलाव के कारण कार्य छोड़ा था। आगे, विभाग का यह तर्क कि यदि कार्य वर्ष 2012 में पूर्ण कर लिया जाता तो विभाग को वर्ष 2015 में सड़क पर पुनः परत डालने पर व्यय करना पड़ता, न्यायसंगत नहीं था क्योंकि

[85] ₹ 9.50 करोड़ (नई संविदा के अनुसार डी.बी.एम. और बी.सी. को बिछाने की लागत) ₹ 3.93 करोड़ (पूर्व संविदा के अनुसार बी.एम. और एस.डी. बी.सी. के बिछाने की लागत), ₹ 5.57 करोड़।

अनुचित निर्णय के कारण उस अवधि के दौरान जनता को घटिया सड़क स्थितियों को सहन करना पड़ा जिससे कार्य पूर्ण करने में न केवल विलंब हुआ बल्कि ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

ग्रामीण विकास विभाग

3.23 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत निधियों की उपयोगिता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम के कार्यान्वयन में अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी की गई, कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब हुआ तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में कमी रही। अ.जा./अ.ज.जा. विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई थी।

चिन्हित जिलों में मौजूदा विकासीय अंतर्वाहों को पूरा और अभिमुख करने के लिए वित्तीय स्रोत प्रदान करके विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय (पं.रा.मं.), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.) 100 प्रतिशत केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम आरंभ की गई थी (2006-07)। स्थानीय मूलभूत संरचना और अन्य विकासीय आवश्यकताएं जो कि मौजूदा अंतर्वाहों के माध्यम से पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं की जा रही थी, पंचायत और नगरपालिका स्तर पर शासन को अधिक उचित क्षमतापूर्ण बनाने के लिए हार्डनिंग करने, स्थानीय निकायों को व्यावसायिक समर्थन प्रदान करने में विवेचनात्मक अंतर कम करने के विचार से वित्तीय स्रोत प्रदान करने के लिए दो जिलों (सिरसा और महेन्द्रगढ़) में 2007-08 से हरियाणा में कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। निदेशक, ग्रामीण विकास हरियाणा, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान (ह.ग्रा.वि.सं.), नीलोखेड़ी, अपर उपायुक्त (अ.उ.)-सह-सी.ई.ओ, जिला ग्रामीण एजेंसी (जि.ग्रा.वि.ए.)। सिरसा और कार्यान्वयन एजेंसियों (का.ए.) के कार्यालय में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के विचार से की गई कि क्या निधियां कुशलता व प्रभावी ढंग से उपयोग की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई:

1. योजना

पिछड़े जिले के अंदर प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका, पि.क्षे.अ.नि. के अंतर्गत योजना के लिए एक इकाई के रूप में मानी जानी थी। प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजनाएं जिला योजना समिति द्वारा जिला योजना में संग्रहीत की जानी थी। योजना कार्य, समय-समय पर प्लानिंग कमीशन द्वारा जारी पि.क्षे.अ.नि. के निर्देशों के अनुसार किया जाना था। अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित मामलों को भी जिला योजना के संग्रहण के दौरान शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाना था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिला योजना अ.जा./अ.ज.जा. भाग से संबंधित मामलों को दूर करती है, पर भी विशेष ध्यान दिया जाना था। निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी:

(i) अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत प्राथमिक कार्यक्रम

पि.क्षे.अ.नि. के निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण खेल मैदान अ.जा./अ.ज.जा. बच्चों के लिए रिहायशी इंटरमीडिएट कालेज/हास्टल्स, 20 लघु/सीमांत अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों के स्वयं सहायता समूहों को ट्रैक्टरस और कृषीय औजार, अर्ध सैनिक और सुरक्षा बलों के लिए पूर्व भर्ती प्रशिक्षण,

दुकानों इत्यादि के निर्माण, प्रतिष्ठित एन.जी.ओज जिनके पास छात्राओं के लिए माध्यमिक स्कूल/कालेज स्थापित करने के लिए अपनी भूमि थी, को ₹ 20 लाख की एकमुश्त सहायता देना जैसी स्कीमों को प्राथमिकता दी जानी थी। निधियों के प्रावधान केवल उन कार्यक्रमों के लिए थे जो जिला योजना में सम्मिलित किए गए थे।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि प्राथमिक कार्यक्रम प्रस्ताव, जिला योजना में सम्मिलित नहीं किए गए थे जिसके कारण प्राथमिक स्कीमों के लिए निधियां प्रदान नहीं की जा सकी, जिसके कारण, अभिलेख में दर्ज नहीं थे। ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि अगली योजना में प्राथमिक खंडों को सम्मिलित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। तथापि, तथ्य यह रहता है कि उपरोक्त प्राथमिक स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की गई थी।

2. वित्तीय प्रबंधन

सिरसा में 2010-15 के दौरान ₹ 69.17[86] करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों के विरूद्ध, ₹ 59.50 करोड़ का व्यय किया गया था जिससे लंबित स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध ₹ 9.67 करोड़ शेष रहे। निम्नलिखित अनियमिताएं देखी गई:

(i) निधियों का कम/विलंब से जारी करना

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (नवंबर 2009) के अनुसार, एक वर्ष की सारी हकदारी उसी वित्तीय वर्ष के अंदर मांगी जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित नहीं की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निधियां दो किश्तों में जारी की जानी थी और दूसरी किश्त, प्रथम किस्त के 60 प्रतिशत उपयोग के बाद ही जारी की जानी थी।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि ₹ 87.03 करोड़ के कुल निर्धारण के विरूद्ध, 2010-15 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 67.66 करोड़ जारी किए गए। ₹ 19.37 करोड़ कम जारी किए जाने का कारण ए.डी.सी. द्वारा समय पर अनुदान की प्रथम राशि का उपयोग न किया जाना था। महानिदेशक एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) ने बताया (दिसंबर 2014) कि विलंब, ए.डी.सी., जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा जिला स्तर पर समय पर अनुदान की प्रथम किश्त का 60 प्रतिशत का उपयोग न करने के कारण था। इस प्रकार, मंत्रालय ने दूसरी किश्त के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया क्योंकि यह अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई थी।

(ii) सरकारी धन को जारी करने में विलंब

भारत सरकार, प.रा.मं. द्वारा जारी निर्देशों (जून 2009) के अनुसार, राज्य सरकार को, भारत सरकार द्वारा जारी करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित जिले को निधियों को हस्तान्तरित करना आवश्यक था। विलंब के मामले में, राशि के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर के बराबर दर पर दंडित ब्याज जिला को अदा किया जाना था। यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2010-11 के दौरान 7 से 106 दिनों के विलंब के साथ का.ए. (ए.डी.सी., सिरसा और निदेशक, ह.ग्रा.वि.स., नीलोखेड़ी) को ₹ 21.11 करोड़ की निधियां जारी की जिसके लिए राज्य सरकार ने का.ए. (जनवरी 2012) को ₹ 15.95 लाख का ब्याज दिया। यह पाया गया कि निधियों के जारी करने में विलंब ग्रा.वि.वि. द्वारा स्वीकृति के जारी करने में विलंब को आरोपित किया गया था जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

[86] आरंभिक शेष: ₹ 1.03 करोड़ + प्राप्त किए गए अनुदान: ₹ 67.66 करोड़ + विविध प्राप्तियां: ₹ 0.48 करोड़।

क्र. सं.	जि.ग्रा.वि.ए.	संस्वीकृत राशि (₹ लाख में)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि	ग्रा.वि.वि. में प्राप्ति की तिथि	स्वीकृति/ का.ए. को जारी करने की तिथि	अवधि दिनों में	दिनों की संख्या जिसके लिए ब्याज जारी किया जाना है	प्र.व. 6 प्रतिशत की दर पर दंडित ब्याज (₹ लाख में)
1.	सिरसा	460.00*	16 जुलाई 2010	21 जुलाई 2010	13 अगस्त 2010	22	07	0.53
2.	सिरसा	850.00	23 जुलाई 2010	29 जुलाई 2010	26 अगस्त 2010	28	13	1.82
3.	सिरसा	692.00	14 दिसंबर 2010	24 दिसंबर 2010	25 अप्रैल 2011	121	106	12.06
4.	निदेशक, ह.ग्रा.वि.स.	109.00	12 जनवरी 2011	13 जनवरी 2011	25 अप्रैल 2011	101	86	1.54
	कुल	**2,111.00**						**15.95**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

*** 2010-11 में प्राप्त की गई यह निधि, पूर्व वर्ष से संबंधित है।**

विभाग द्वारा निर्णय लिया गया (जुलाई 2011) कि किसी भी विलंब से बचने के लिए, पि.क्षे.अ.नि. स्कीमों के जारी करने से संबंधित मामले वित्त विभाग (वि.वि.) को दस्ती तौर पर भेजे जाएंगे और संबंधित विभाग भी फैक्स के माध्यम से वि.वि. को शीघ्र सूचित करेगा ज्योंही ऐसी निधि के जारी करने की सूचना भारत सरकार से प्राप्त हो।

(iii) विकास के लिए अतिरिक्त स्रोतों का उपयोग न करना

पि..क्षे.अ.नि. के निर्देशों के अनुच्छेद 4.8 और 4.9 के अनुसार निधियां, राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकखाने में रखी जाएंगी और जमाओं पर उपार्जित ब्याज पि.छे.अ.नि. के अंतर्गत अतिरिक्त स्रोत माने जाएंगे और निर्देशों के अनुसार उपयोग किए जाने चाहिए।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि 2010-15 के दौरान भारत सरकार से पि.क्षे.अ.नि. अनुदान के रूप में ₹ 67.66 करोड़ की निधियां प्राप्त हुई थी जो विभिन्न का.ए. को जारी की गई। ₹ 1.28 करोड़ की राशि का ब्याज नमूना-जांच किए जि.ग्रा.वि.ए. सहित कार्यान्वयन एजेंसी की राशि पर अर्जित किया गया था जो कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा न तो उपयोग किया गया और न ही वापस किया गया था।

ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि 2010-15 के दौरान अर्जित समस्त ब्याज अतिरिक्त स्रोत के रूप में जिला योजना समिति के सामने अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। तथापि, यह अभी तक नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त, 2010-15 में निधियों की कमी के कारण ₹ 17.53 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 299 नए कार्य आरंभ नहीं किए जा सके। यदि ब्याज की यह राशि अतिरिक्त स्रोत के रूप में उपयोग की जाती तो कुछ परियोजनाएं जो निधियों की कमी के कारण निष्पादित नहीं की गई थी, आरंभ की जा सकती थी।

(iv) अविवेकपूर्ण व्यय

पि.क्षे.अ.नि. निर्देशों का अनुच्छेद 2.2 प्रावधान करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि जिला योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित मामलों को शामिल करती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभ देने वाली स्कीमों के लिए कम से कम इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में निधियां निर्धारित की जानी चाहिए और सुविधाएं जैसे कि स्कूल, आंगनवाड़ियां, स्वास्थ्य केंद्र, इत्यादि उन गांवों में प्राथमिकता पर प्रदान की जानी चाहिए जहां कि पर्याप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। इसके आगे, योजना आयोग द्वारा जारी (जनवरी 2005) निर्देश प्रावधान करते है

कि 50 प्रतिशत और इसके ऊपर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले गांव सर्वप्रथम चुने जाएं और संबंधित गतिविधि आरंभ की जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सिरसा जिले के 30 गांवों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत (50 और 76 प्रतिशत के बीच) से अधिक है और 2010-15 के दौरान 127 गांवों में आंगनवाड़ियों के निर्माण पर ₹ 8.42 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, आठ गांवों में आंगनवाड़ियों के निर्माण पर केवल ₹ 0.64 करोड़ (7.6 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी और इस प्रकार के 22 गांव छूट गए। यह देखा गया था कि ₹ 7.78 करोड़ (92.40 प्रतिशत) का व्यय उन गांवों पर किया गया था जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम थी। उन गांवों में जहां अ.जा. की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम थी, निधियों के अधिक मात्रा में व्यय करने से न केवल निदेशों की उल्लंघना हुई बल्कि कार्यक्रम के भावी फायदे से अलाभकारी समूह को भी वंचित कर दिया। ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि उन गांवों, जहां अ.जा. जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी, में आंगनवाड़ियों पर अगली योजना में विचार किया जाएगा। विभाग को इसकी नवीनतम स्थिति सूचित करने के लिए आवेदन किया गया था परंतु उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2015)।

3. स्कीम का कार्यान्वयन

(i) बिजली के खंभों का न लगाना

ए.डी.सी., सिरसा ने अनुसूचित जाति बस्तियों के लिए स्ट्रीट लाइट लगाने के आठ कार्यों के लिए नगर परिषद को ₹ 78.10 लाख संस्वीकृत किए (सितंबर 2012)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सितंबर 2013 में ₹ 28.38 लाख लागत के 170 बिजली के खंभे (सोडियम लैंप के साथ) क्रय किए गए थे। ठेकेदार को खंभे लगाने का कार्य नौ महीनों के बाद जून 2014 में दिया गया था और पूर्ण करने की नियत तिथि अगस्त 2014 थी। 170 खंभों के लगाने पर ₹ 10.84 लाख का व्यय किया गया लेकिन खंभों पर केवल 95 लैंप लगाए गए और 75 लैंप स्टोर में पड़े थे। बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बिजली के कनैक्शन लेने की प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हुई। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सिरसा ने बताया (जुलाई 2015) कि विद्युतीकरण की प्रक्रिया, बिजली की अरथिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और ठेकेदार द्वारा सभी खंभों के लगाने के बाद ही आरंभ होगी।

इस प्रकार, कार्य आबंटित और पूर्ण करने में विलंब के कारण, ₹ 39.22 लाख का व्यय करने के बावजूद बस्तियों में लाईट प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ और ₹ 36.08[87] लाख राशि की निधियां अभी भी अप्रयुक्त पड़ी थी (दिसंबर 2015)।

(ii) अकार्यात्मक स्परिंक्लर सैट्स के कारण निष्फल व्यय

कृषीय उत्पाद की उत्पादकता में सुधार करने के लिए तीन गांवों (जोधपुरिया, नानूआना, खरी सुरेंरा) में तीन पक्के तालाबों के निर्माण और स्परिंकलर सैट्स लगाने के लिए ए.डी.सी., सिरसा ने जिला बागवानी कार्यालय (जि.वा.का.) को सितंबर 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 25.73 लाख की निधियां जारी की। 2012-13 के दौरान तीन गांवों (नानूआना, खरी सुरेरां और जोधपुरिया) में कार्य पूर्ण हो गया था परंतु ₹ 22.49 लाख की कुल लागत पर

[87] दूसरे कार्यों के संबंध में ₹ 2.80 लाख का अधिक व्यय समायोजित करने के बाद।

स्परिंकलर सैट्स केवल दो गांवों जोधपुरिया और नानूआना के लिए क्रय किए गए थे। विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2015) के दौरान, यह देखा गया कि ये तालाब बिना पानी के थे और दो गांवों में स्परिंकलर सैट्स क्रियात्मक नहीं हुए थे जबकि तीसरे गांव (खरी सुरेरां) में कोई भी स्परिंकलर सैट्स क्रय नहीं किए गए थे। यह देखा गया कि समन्वय की कमी थी और विभाग ने ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे। इस प्रकार, इन तालाबों और स्परिंकलर सैट्स पर किया गया ₹ 22.49 लाख का व्यय निष्फल रहा क्योंकि कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका जैसे कि प्रस्ताव में विचार किया गया था।

जि.वा.अ., सिरसा ने बताया (फरवरी 2015) कि स्कीम का कार्यान्वयन ग्राम सरपंचों के असहयोग के कारण जारी नहीं रह सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के साथ विचार-विमर्श और समन्वय के बाद निष्पादित किया जाना चाहिए था।

(iii) दक्षता विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.स.) द्वारा शर्तों का पूर्ण न करना

पि.क्षे.अ.नि. के दिशानिर्देशों ने अ.ज./अ.ज.जा. के विकास के लिए स्कीमों जैसे ब्यूटी पारलर और सिलाई, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी। इन गै.स.सं. का नियंत्रण करने वाली शर्तों/दिशा-निर्देशों के अनुसार, जि.ग्रा.वि.ए. सिरसा द्वारा गठित एक समिति द्वारा केंद्र की जांच की जानी अपेक्षित थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत करने अपेक्षित थे और इस प्रकार का प्रशिक्षण जनसंख्या के दूसरे खंडों को भी दिया गया था जो कि युवाओं को स्वयं रोजगार आधार पर कार्य करने के योग्य बनाएगा। जि.ग्रा.वि.ए., सिरसा कार्यालय ने प्रशिक्षण कोर्स आरंभ करने के लिए प्रतिष्ठित गै.स.सं./फर्मों से निविदाए आमंत्रित की (सितंबर 2013)। आठ गै.स.सं. (जिन्होंने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया) में से पांच गै.स.सं., ए.डी.सी., सिरसा द्वारा नियत निविदा के निम्नतम दर पर प्रशिक्षण देने के लिए तैयार थे। इसलिए सभी पांच गै.स.सं. प्रशिक्षण देने के लिए चुने गए थे।

पांच गै.स.सं. में से तीन के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि:

(i) इन केंद्रों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी (अक्तूबर 2013) परंतु समिति द्वारा कोई भी जांच नहीं की गई थी;

(ii) गै.स.सं. द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजे गए थे;

(iii) उम्मीदवारों के प्लेसमेंट से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे; तथा

(iv) प्रशिक्षण केवल अ.जा. उम्मीदवारों तक सीमित किया गया।

ए.डी.सी., सिरसा ने बताया (मार्च 2015) कि इन गै.स.सं. को उ.प्र.प. भेजने के लिए आवश्यक निदेश जारी किए जा चुके हैं। तथापि, तथ्य यही है कि गै.स.सं. द्वारा निविदा की शर्तों को पूरा न करने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या गै.स.सं. को आबंटित निधियां भावी लाभों के लिए उपयोग में लाई गई थी और दक्षता विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया।

इस प्रकार, अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण था जिससे भा.स. द्वारा राज्य सरकार को कम निधियां जारी हुई, राज्य सरकार द्वारा का.ए. को निधियां जारी करने में विलंब हुआ, उत्पन्न किए गए अतिरिक्त स्रोतों के उपयोग के लिए जिला योजना प्रस्ताव तैयार नहीं हुए, जिससे क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए स्कीम का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन हुआ। अ.जा./अ.ज.जा. विकास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता कार्यक्रमों के लिए अधिक अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या

वाले गांवों को निधियां निर्धारित नहीं की गई क्योंकि केवल 7.6 प्रतिशत निधियां उन गांवों में व्यय की गई जहां अ.जा. की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी। गांव वालों को स्ट्रीट लाइट प्रदान करने और कृषि उत्पाद सुधारने के लिए स्परिंकलर सैट्स का उपयोग करने वाली स्कीमें आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई थी।

मामला मई 2015 में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग को संदर्भित किया गया था और अगला स्मरण-पत्र अगस्त 2015 में जारी किया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

3.24 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी'-ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्ज-2011 के अंतर्गत प्रावधानित सोशल ऑडिट

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सोशल आडिट यूनिट पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाई गई थी क्योंकि 44 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध 32 खाली पड़े थे। सोशल आडिट करने के लिए ग्राम पंचायतों में रिसोर्स व्यक्तियों की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति नहीं की गई थी। 12,280 अपेक्षित सोशल आडिट करने की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 6,771 सोशल आडिट किए गए थे। सोशल आडिट यूनिट द्वारा सोशल आडिट कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था सोशल आडिट प्रतिवेदन कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थी। सोशल आडिट सत्यापन न करने, सोशल आडिट ग्राम सभा कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग न करने, सोशल आडिट प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि तैयार न करने के उदाहरण भी देखे गए थे।

सोशल आडिट कार्यक्रम/स्कीम के कार्यान्वयन और प्राथमिक स्टेकहोल्डजस के सक्रिय रूप से शामिल होने के साथ समुदाय द्वारा इसके परिणामों का सत्यापन है। सोशल आडिट, मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज 2011 के माध्यम से अप्रैल 2011 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) स्कीम में औपचारिक रूप से लाया गया था। सोशल आडिट, सोशल आडिट यूनिट (सो.आ.यू.) द्वारा पहचान किए गए रिसोर्स परसन्ज की सहायता और समर्थन के साथ पंचायत की ग्राम सभा द्वारा करवाया जाता है। सोशल आडिट छः मास में एक बार करवाई जानी थी।

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज 2011 की अनुपालना का मूल्यांकन करने के विचार से, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सोशल आडिट यूनिट और 4761 ग्राम पंचायतों, जहां कि सोशल आडिट किया गया था, में से 50 चुने हुए ग्राम पंचायतों (ग्रा.प.) की मई-जून 2015 ***(अनुलग्नक 3.6)*** के दौरान नमूना-जांच की गई थी। आंकड़ा, सोशल आडिट के आरंभ होने अर्थात् 2012-13 से संग्रहीत किया गया था। तथापि, वर्ष 2014-15 के लिए विस्तृत लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा परिणाम

(i) सोशल आडिट यूनिट की स्थापना

सोशल आडिट यूनिट (सो.आ.यू.) हरियाणा में जुलाई 2012 में स्थापित की गई थी। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को निदेशक, सो.आ.यू. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 44 स्वीकृत पदों में से, अभी तक (सितंबर 2015) केवल 12 पद भरे गए थे। इनमें से छः पूर्णकालिक थी

और छः अतिरिक्त प्रभार देने द्वारा भरी गई थी। आगे, वित्तीय नियंत्रक, अनुभाग अधिकारी, लेखापरीक्षक, संयुक्त निदेशक (मानीटरिंग), सहायक निदेशक (मानीटरिंग), अन्वेषक, कनिष्ठ प्रोग्रामर, इत्यादि के मुख्य पद खाली रहे (जुलाई 2015)। इस प्रकार, सो.आ.यू. पूर्ण तरह से कार्यात्मक नहीं हुई थी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (अ.मु.स.) ने बताया (सितंबर 2015) कि शेष पदों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती के लिए मामला प्रक्रियाधीन था और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

(ii) सो.आ.यू. द्वारा किया गया नगण्य व्यय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (मा.वि.म.) ने मनरेगा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सभी जिम्मेवार राज्य सरकार के सचिवों को सो.आ.यू. की स्थापना, प्रशासनिक व्ययों के लिए प्रदान किए गए मनरेगा स्कीम के कुल व्यय के छः प्रतिशत में से एक प्रतिशत खर्च करने के लिए पत्र जारी किए (अगस्त 2012)। इसके आगे, जून 2014 में, ग्रा.वि.म. ने, सो.आ.यू. के लिए स्टाफ देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता के अंतर्गत 2017 तक सोशल आडिट रिसोर्स परसन्ज लगाने की लागत की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दे दी।

सोशल आडिट के वेतन और आकस्मिक व्यय पर व्यय मनरेगा स्कीम की निधियों में से पूरा किया जा रहा था। 2012-15 के दौरान मनरेगा स्कीम पर ₹ 979.31[88] करोड़ के कुल व्यय के विरूद्ध 2012-15 के दौरान सो.आ.यू. पर ₹ 69.87[89] लाख व्यय किया गया था। इसके अतिक्ति, भारत सरकार से विशेष वित्तीय सहायता का लाभ विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि करनाल जिला को छोड़कर विलेज रिसोर्स पर्सनस (वि.रि.प.) के चयन होने और प्रशिक्षण न देने के कारण व्यय कम था। आगे, बताया गया कि 19 जिलों में वि.रि.प. का चयन कर लिया गया था और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और अब पहचाने गए वि.रि.प. को प्रशिक्षण देने और सो.आ.यू. में पदों के भरने से व्यय बढ़ेगा।

(iii) रिसोर्स पर्सनस की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज, 2011 के रूल-4 के अनुसार, सो.आ.यू. ग्राम सभाओं की सोशल आडिट करने के लिए क्षमता बनाने के लिए जिम्मेवार था और इस उद्देश्य के लिए, इसे गांव, ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर उपयुक्त रिसोर्स पर्सनज (रि.प.) की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति करनी थी।

तथापि, राज्य में किसी भी ग्रा.प., ब्लाक और जिले में सोशल आडिट करने के लिए प्रशिक्षित रिसोर्स परर्सनज पहचाने, प्रशिक्षित और नियुक्त नहीं किए गए थे। आवश्यक प्रशिक्षण/इनपुट भी सोशल आडिट टीम को प्रदान नहीं किए गए थे। करनाल जिले में, 71 विलेज रिसोर्स परसनज (बी.आर.पीएस.) की पहचान की गई थी और 2014-15 के दौरान हरियाणा इनस्टीच्यूट आफ रूरल डिवलपमैंट (एच.आई.आर.डी.), नीलोखेड़ी में अक्तूबर 2014 में प्रशिक्षित किए गए थे और ₹ 8,750 का व्यय किया गया था, परंतु उनकी सेवाएं सोशल आडिट करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई गई थी।

[88] 2012-13: ₹ 380.63 करोड़, 2013-14: ₹ 381.62 करोड़ और 2014-15: ₹ 217.06 करोड़।

[89] 2012-13: ₹ 8.44 लाख, 2013-14: ₹ 30.47 लाख और 2014-15: ₹ 30.96 लाख।

ए.सी.एस. ने कहा (सितंबर 2015) कि पी.आर.पीज 19 जिलों में पहचान किए जा चुके थे तथा ट्रेनिंग प्रदान करने का कार्यक्रम विचाराधीन था। करनाल जिले के प्रशिक्षित वी.आर.पीस की सेवाओं के प्रयोग के संबंध में, यह कहा गया कि विस्तृत ट्रेनिंग देने के बाद उनकी सेवाएं प्रयोग में लाई जाएगी।

(iv) सो.आ.यू. द्वारा वार्षिक कलैण्डर का तैयार किया जाना

(क) मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज 2011, के नियम 6(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सो.आ.यू. प्रत्येक छ: महीने में प्रत्येक ग्रा.प. में कम से कम एक सोशल आडिट करने के लिए, वर्ष के आरंभ में एक वार्षिक कलैण्डर बनाएगा। सो.आ.यू. ने वर्ष 2014-15 के लिए कोई भी सोशल आडिट कलैण्डर तैयार नहीं किया था जैसे कि नियमों में निर्धारित है। तथापि, संबंधित ब्लाक डिवलपमैंट एवं पंचायत अधिकारियों (बी.डी.पी.ओज) द्वारा सोशल आडिट कलैण्डरस तैयार किए गए थे लेकिन वे सो.आ.यू. से अनुमोदित नहीं किए जा रहे थे।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड किए गए सोशल आडिट कलैण्डर के अनुसार, ग्रा.प. बिशनगढ़ (अंबाला-I ब्लाक), गुजरनांगला (फिरोजपुर झिरका ब्लाक), घागस (नगीना ब्लाक) और मरोड़, (नूंह ब्लाक) में क्रमश: 11 नवंबर 2014, 24 नवंबर 2014, 24 फरवरी 2015 और 6 मार्च 2015 को सोशल आडिट की बैठकें हुई दर्शाई गई थी लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नहीं हुई थी।

(ग) सोशल आडिट, वैबसाइट (www.nrega.nic.in) पर अपलोड किए गए सोशल आडिट कलैण्डर के अनुसार की जानी चाहिए। सोशल आडिट करने की वास्तविक तिथि में कोई बदलाव निदेशक, सो.आ.यू. और ए.सी.एस. द्वारा अग्रिम में अनुमोदित होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नौ ग्रा.प. द्वारा सोशल आडिट की तिथियां बदल दी गई थी। इस प्रकार, स्टेकहोल्डरज के साथ-साथ पब्लिक, सोशल आडिट की बैठकों के आयोजन बारे अनभिज्ञ रही।

(घ) 2012-15 के दौरान सोशल आडिट करने में 43 और 58 प्रतिशत के बीच कमी थी जिसका ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	हरियाणा में ग्रा.पं. की संख्या	सोशल आडिट के लिए आवृत ग्रा.प.	किया जाने वाला सोशल आडिट	वास्तव में किया गया सोशल आडिट	कमी	कमी की प्रतिशतता
2012-13	6140	4200	12280	6988	5292	43
2013-14	6140	4122	12280	5156	7124	58
2014-15	6140	4761	12280	6771	5509	45

स्रोत: विभागीय अभिलेखों से संग्रहीत आंकड़ा।

उपरोक्त आंकड़े के विश्लेषण ने दर्शाया:

- 12,280 सोशल आडिट (6,140 ग्रा.पं. के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्रा.पं. के दो सोशल आडिट) की आवश्यकता के विरूद्ध 2014-15 के दौरान केवल 6,771 सोशल आडिट किए गए थे।
- 6,140 ग्रा.पं. में से 2014-15 के दौरान केवल 4,761 ग्रा.पं. की लेखापरीक्षा की गई थी। 1,379 ग्रा.प. का सोशल आडिट नहीं किया गया था।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कॉरडिनेटरस को सोशल आडिट कलैण्डर तैयार करने और उसे एम.आई.एस. में अपलोड करने के निदेश दिए गए थे। आगे बताया गया कि वि.रि.प. की पहचान न करने और सोशल आडिट कमेटियों के गठन न करने के कारण

सोशल आडिट के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके और भविष्य में सभी ग्रा.पं. का सोशल आडिट करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

(v) सोशल आडिट रिपोर्टस का अपलोड करना

मई 2013 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजरस के अनुसार सोशल आडिट रिपोर्टस (सारांश/संक्षिप्त), सोशल आडिट करने के पांच दिनों के अंदर निर्धारित फार्मेट में सो.आ.यू. द्वारा सरकारी वैबसाइड पर अपलोड किए जाने आवश्यक थे। तथापि, सोशल आडिट रिपोर्टस (सारांश/संक्षिप्त) सरकारी वैबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट प्रक्रिया सही भाव में केवल जून 2015 में आरंभ हुई थी और सोशल आडिट रिपोर्टस भविष्य में अपलोड कर दी जाएगी।

(vi) सोशल आडिट कमेटियों का गठन

हरियाणा सोशल आडिट एवं ग्रीवेंन्सस रिड्रसैल रूल्ज, 2014 के नियम 3(2) निर्धारित करता है कि सोशल आडिट समिति में विजीलैंस एवं मानीटरिंग कमेटी के सदस्यों सहित कम से कम नौ सदस्य होंगे, छः सदस्य जिन्होंने मनरेगा स्कीम में कार्य किया, अलाभकारी समूह के सदस्य और कम से कम एक तिहाई महिला सदस्यों की समिति सोशल आडिट करने के लिए गठित की जाएगी।

50 नमूना-जांच किए ग्रा.पं. में से 35 में सोशल आडिट कमेटियों का गठन नियमों के अनुसार नहीं था क्योंकि मनरेगा स्कीम के कर्मियों, अलाभकारी समूहों के सदस्यों और इन कमेटियों में महिलाओं को आवश्यक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था जबकि सात[90] ग्रा.पं. में कमेटियां भी गठित नहीं की गई थी।

अ.मु.स. को बताया (सितंबर 2015) कि सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोअरडिनेटरस को नियमानुसार सोशल आडिट कमेटियां बनाने के लिए आवेदन किया गया था।

(vii) सोशल आडिट क्षेत्र का सत्यापन

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज, 2011 के नियम 6(2) के आपरेशनल गाइडलाइन्स और सोशल आडिट मैन्युअल में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, सोशल आडिट टीमस/विलेज रिसोर्स परसन्ज को छोटी-छोटी बैठकों में लोगों के साथ पारस्परिक बात करनी चाहिए, मनरेगा स्कीम के कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए, स्कीम के अंतर्गत आरंभ किए सभी कार्यों को देखना चाहिए और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ग्रा.पं. द्वारा किए गए व्यय और सभी अभिलेखों की जांच करनी चाहिए।

सोशल आडिट टीमस द्वारा, लेखापरीक्षा के अंतर्गत मनरेगा स्कीम के लाभार्थियों के घर-घर जाकर मुलाकात नहीं की गई थी। इन टीमों ने परियोजना/कार्यस्थलों को भी नहीं देखा था और भौतिक रूप से जांच नहीं किया था कि पूर्ण किए गए कार्य ग्रा.पं. के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना के साथ मेल खाते थे। इसके आगे, सोशल आडिट टीम की तिथि पर अभिलेख इकट्ठा कर रही थी जबकि नियमों की आवश्यकता के अनुसार सोशल आडिट अभिलेख ग्राम सभा की बैठक की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले प्राप्त किए जाने थे। सोशल आडिट ग्राम सभाओं की बैठकों के अध्ययन ने दर्शाया कि व्यय का कार्य-वार ब्यौरा और ग्राम सभा द्वारा

[90] (i) सरगथल, (ii) टिकोला, (iii) दूबेटा, (iv) गुमथला राव, (v) नंदूवाली, (vi) चहलका और (vii) लहरवारी।

उसकी स्वीकृति ही कार्यक्रम में दर्ज की जा रही थी। तथापि, जनता की शिकायतें और अन्य विचार-विमर्श दर्ज नहीं किए जा रहे थे ताकि भविष्य में सुधारात्मक कार्यवाही की जाये। इस प्रकार, कार्यवृत के दर्ज करने की प्रणाली सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रभावी नहीं थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट सही भाव में जून 2015 में आरंभ किया गया था और सोशल आडिट टीम ने (मनरेगा) स्कीम के लाभार्थियों को घर-घर जाकर मिलने और स्थल पर कार्य और शिकायतों का जांच करना आरंभ कर दिया था।

(viii) सोशल आडिट ग्राम सभा की कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग

स्कीम के आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.3.11, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्टेण्डर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर और सोशल आडिट मैनुअल में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार सोशल आडिट ग्राम सभा की सारी कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग होनी चाहिए और मनरेगा वेबसाइड पर अपलोड होनी चाहिए। तथापि, सोशल आडिट वेबसाइड ग्रामसभा की वीडियो रिकार्डिंग किसी भी नमूना-जांच ग्रा.प. में नहीं की गई थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट ग्राम सभा की कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग को सुनिश्चित करने के लिए सभी डी.पी.सीएस. को निदेश जारी किए गए थे।

(ix) सोशल आडिट ग्राम सभा की अध्यक्षता

सोशल आडिट मैनुअल (vi) (6) एवं स्कीम की आप्रेशनल गाइडलाइन्स (अनुच्छेद 13.3.5) के अनुसार, सोशल आडिट ग्राम सभा की अध्यक्षता संबंधित ग्रा.स. के सरपंच द्वारा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह कार्यान्वयन एजेसिंयों का भाग है। इसके विपरीत, सोशल आडिट ग्राम सभा की अध्यक्षता नमूना-जांच किए गए 50 ग्रा.पं. में से 17 ग्रा.प. में संबंधित सरपंचों द्वारा की गई थी। इन मामलों में, सोशल आडिट की स्वतंत्रता कम हुई थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सभी ग्रा.प. को निर्देश जारी किए गए थे कि भविष्य में सरपंचों को ग्राम सभी की बैठकों में अध्यक्षता करने की अनुमति न दी जाए।

(x) डिस्ट्रिक प्रोग्राम कार्डिनेटरस द्वारा पर्यवेक्षण

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज, 2011 के नियम 6(7) और सोशल आडिट मैनुअल में अंतर्विट प्रावधानों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काडिटनेटर (डी.पी.सी.), सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होंगे या ग्राम सभा के निर्विघ्न संचालन के लिए उचित स्तर का एक कर्मचारी नामांकित करेंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो डी.पी.सी. सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित हुए और न ही पंचकुला जिले को छोड़कर नमूना-जांच किए गए किसी भी जिले में बैठकों में उपस्थित होने के लिए दूसरे कर्मचारियों को नामांकित किया। तथापि, सभी ग्रा. पं. के संबंध में संबंधित बी.डी.पी.ओज द्वारा, कर्मचारी नामांकित किए गए थे परंतु नमूना-जांच किए गए 25 ग्रा.पं. में नामांकितों ने ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थिति दर्ज नहीं की।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थिति के लिए प्रतिनिधियों को नामांकन करने के निदेश पहले ही जारी किए गए थे।

(xi) सोशल आडिट रिपोर्टों को तैयार करना

मनरेगा आडिट आफ स्कीम, रूल्ज, 2011 के नियम 6(8), आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.3.12 और सोशल आडिट मैनुअल के अनुसार, एस.ए.ओ. द्वारा सोशल आडिट रिपोर्टें

स्थानीय भाषा में तैयार की जाएंगी और ग्रा.प. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएंगी। नमूना-जांच किए गए 50 ग्रा.प. में से, 45 ग्रा.प. द्वारा सोशल आडिट रिपोर्टस तैयार नहीं किए गए थे। पांच ग्रा.प. ने सोशल आडिट रिपोर्टें तैयार की थी लेकिन ग्रा.प. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं की थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट रिपोर्ट भविष्य में स्थानीय भाषा में रिकार्ड की जाएगी।

सोशल आडिट का अनुवर्तन

(xii) खंड/जिला स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई

स्कीम की आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.3.15 और सोशल आडिट मैन्यूल के अनुसार, सभी ग्रा.प. में सोशल आडिट ग्राम सभा आयोजन करने के बाद खंडों और जिला मुख्यालयों पर एक सोशल आडिट सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, नमूना-जांच किए गए किसी भी खंड/जिले में खंड और जिला स्तर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि भविष्य में गाइडलाइन्स के प्रावधान की अनुपालना की जाएगी।

(xiii) वार्षिक रिपोर्ट

स्कीम के आप्रेशनल गाइडलाइन्स के अनुच्छेद 13.11.4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, स्कीम को कार्यान्वित करने वाले डी.पी.सी., पी.ओ. और ग्रा.प., अपने अधिकार-क्षेत्र के अंदर स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्य, आंकड़े और उपलब्धियों से अन्तर्विष्ट एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति मांग और उल्लिखित फीस की अदायगी पर जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना-जांच किए गए डी.पी.सीज पी.ओस. और ग्रा.प. द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी।

अ.मु.स. ने बताया (सितबंबर 2015) कि भविष्य में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे।

(xiv) प्रतिवेदन का सी.ए.जी. को प्रस्तुतिकरण

मनरेगा आडिट आफ स्कीम रूल्ज (2011) के रूल 3(2) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सोशल आडिट के परिणामों का एक सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) को प्रस्तुत किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि परिणामों का सार राज्य सरकार द्वारा भारत के नि.म.ले.प. को प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।

अ.मु.स. ने बताया (सितंबर 2015) कि सोशल आडिट के परिणामों का सार भविष्य में नि.म.ले.प. को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस प्रकार, सोशल आडिट दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। परियोजनाओं/कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग था, नहीं किया जा रहा था। सोशल आडिट प्रतिवेदन निकाले नहीं जा रहे थे। ग्राम सभाओं के कार्यवृत में जनता की शिकायतें दर्ज नहीं पाई गई थी।

खेल एवं युवा मामले विभाग

3.25 खेल आधारभूत संरचना का उपयोग

स्टेडियमों के निर्माण और सौंपने में विलंब के मामले थे। आगे, स्टेडियम परित्यक्त पड़े थे और सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। प्रशिक्षकों और अन्य स्टाफ की कमी के अतिरिक्त स्टेडियमों में मूल सुविधाएं और खेल की मदें प्रदान नहीं की जा रही थी। निधियों के रखने और एक मुख्य प्रशिक्षक को अनियमित भुगतान के मामले देखे गए।

हरियाणा सरकार द्वारा विद्यमान खेल नीति 2001 में बनाई गई थी और 2009 में संशोधित की गई थी। खेल नीति के मुख्य उद्देश्य खेलों में जनसमूह की भागीदारी को प्रोत्साहन, खेलों में उत्कृष्ट प्रोत्साहन, उच्च गुणवत्ता के खेल आधारभूत संरचना के रख-रखाव और उत्कृष्ट उपयोग, शिक्षण संस्थाओं को सुविधाएं, भागीदारी को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैंपिम्यनशिपों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य में दो खेल काम्पलैक्स, 21 जिला खेल काम्पलैक्स, 13 उप-मंडलीय स्टेडियम, 8 बहुउद्देशीय हाल, 4 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, छः हाकी एस्ट्रोट्रफ्स, 167 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर (आर.जी.जी.के.पीज), 248 मिनी/ग्रामीण स्टेडियम और आठ तरनताल हैं। जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारी (डी.एस.वाई.ए.ओज) जिलों में खेल सुविधाओं का संचालन एवं रख-रखाव कर रहे हैं। 2010-15 के दौरान खेल आधारभूत संरचना के लिए कुल बजट ₹ 119.48 करोड़ था जिसके विरूद्ध ₹ 104.19 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई थी और खेल आधारभूत संरचना के रख-रखाव हेतु चिह्नित ₹ 4.64 करोड़ के बजट में से, इस अवधि के दौरान ₹ 4.47 करोड़ का व्यय किया गया था।

महानिदेशक, खेल एवं युवा मामले (एस.वाई.ए.) विभाग के कार्यालय और 21 में से छः[91] जिला खेल एवं युवा मामले अधिकारियों के कार्यालयों में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेख की नमूना-जांच आधारभूत संरचना के भवन, रख-रखाव, संचालन और परोन्नत से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन में विभाग की प्रभाविकता को सुनिश्चित करने के लिए, की गई। इन छः जिलों में, एक खेल काम्पलैक्स, छः जिला खेल काम्पलैक्स, तीन उपमंडलीय स्टेडियम, दो बहुउद्देशीय हाल, दो सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रैक्स, दो एस्ट्रोट्रफ्स, 67 आर.जी.जी.के.पीज, 92 मिनी/ग्रामीण स्टेडियम तथा दो तरनताल थे। नमूना-जांच किए गए छः जिलों में 2010-15 के दौरान ₹ 51.51 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 37.61 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुख्य कमियां देखी गई थी:

1. खेल आधारभूत संरचना का सृजन

(i) बहुउद्देशीय हाल के पूर्ण होने में विलंब

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि भारत सरकार ने 'खेल आधारभूत संरचना का सृजन' स्कीम को राज्य द्वारा प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के लिए राज्य को स्थानांतरित कर दी (अप्रैल 2015)। 'यमुनानगर में बहुउद्देशीय हाल के निर्माण' के कार्य हेतु ₹ 1.72 करोड़ के मूल अनुमान नवंबर 2002 में तैयार किए गए को जिला खेल परिषद के पास पर्याप्त निधियों की

[91] अंबाला, रोहतक, झज्जर, भिवानी, फतेहाबाद और यमुनानगर।

अनुपलब्धता के कारण समान क्षेत्र एवं कार्य की विशिष्टीकरणी हेतु मार्च 2012 में ₹ 5.04 करोड़ तक संशोधित किया गया था। फरवरी 2015 तक निर्माण कार्य पर ₹ 4.33 करोड़ का व्यय हो चुका था लेकिन कार्य जैसे फर्श में टाईल लगाना, फर्श पर लकड़ी का कार्य, बिजली फिटिंग, पेंटिंग और बाहरी क्षेत्र का विकास अभी पूरे नहीं हुए हैं। डी.एस.वाई.ए.ओ. यमुनानगर ने बताया (फरवरी 2015) कि कार्य दिसंबर 2015 तक पूरा होगा और आगे बताया कि कार्य के निर्माण में विलंबन का मुख्य कारण निधियों की कमी था क्योंकि महानिदेशक एस.वाई.ए. विभाग द्वारा कभी भी वास्तविक आवश्यकता के विरूद्ध निधियां निर्मुक्त नहीं की थी। समान मामले पर एक पैरा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार (पैरा सं. 4.5.2 (ख) में प्रदर्शित किया गया था। लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने अपनी 68वीं रिपोर्ट (2012-13) में कर्मचारियों/अधिकारियों, जो इस चूक के लिए उत्तरदायी थे, का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए एक महीने की अवधि के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट भेजने की अनुशंसा की थी। तथापि, विभाग द्वारा पी.ए.सी. की अनुशंसाओं पर अभी तक (दिसंबर 2015) कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस प्रकार, कार्य की आवश्यकता के सामंजस्य में निधियां निर्मुक्त न करने के परिणामस्वरूप स्टेडियम अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त, कार्य के पूर्ण होने में विलंब के फलस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ की लागत वृद्धि भी हुई।

(ii) निधियों का अवरोधन और स्टेडियम एवं बैडमिंटन हाल का निर्माण न करना

डी.एस.वाई.ए.ओज, अंबाला और झज्जर के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि एस.वाई.ए. विभाग ने अक्तूबर 2010 से जुलाई 2012 के दौरान चार स्टेडियमों और एक बेडमिंटन हाल के निर्माण हेतु, भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना, ₹ 1.52 करोड़ चार कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों[92] को हस्तांतरित किए। यह देखा गया था कि इन स्टेडियमों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ (जून 2015) क्योंकि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। डी.एस.वाई.ए.ओ, अंबाला ने बताया (जून 2015) कि कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। डी.एस.वाई.ए.ओ, झज्जर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार, भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित और स्थल के पूर्व निरीक्षण किए बिना निधियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 1.52 करोड़ की निधियां अवरूद्ध हुई बल्कि अंबाला और झज्जर जिले के खिलाड़ी खेल सुविधाओं से वंचित भी रहे।

(iii) खेलों की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में विलंब

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) द्वारा ₹ 45.42 करोड़[93] की लागत पर 67 आर.जी.जी.के.पीज पूर्ण करने की समय सूची के 7 से 50 माह की विलंब के पश्चात् निर्मित किए गए थे। इनमें से 25 स्टेडियम 24 से 48 माह से अधिक के पर्याप्त विलंब के पश्चात् निर्मित हुए थे।

यह भी देखा गया था कि ये आर.जी.जी.के.पीज निर्माण के पश्चात् दो से 42 महीनों के

[92] (i) कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज संस्था अंबाला (ii) एम.सी. अंबाला (iii) बी.डी. एंड पी.ओ. अंबाला (iv) बी.डी.पी.ओ. झज्जर।

[93] अंबाला: ₹ 4.08 करोड़, रोहतक: ₹ 9.54 करोड़, झज्जर: ₹ 14.17 करोड़, भिवानी: ₹ 10.32 करोड़, यमुनानगर: ₹ 4.14 करोड़ और फतेहाबाद: ₹ 3.17 करोड़।

विलंब के पश्चात् एस.वाई.ए. विभाग को सोंपे गए थे। इस प्रकार, निर्माण और उसके पश्चात् इन स्टेडियमों को सोंपने में विलंब के कारण, खेल नीति का उच्च गुणवत्ता खेलों की आधारभूत संरचना प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। रख-रखाव में कमियों को पैरा 3 और 4 में दिया गया है।

मुख्य प्रशासक, एच.एस.ए.एम.बी., पंचकूला ने बताया (अगस्त 2015) कि विलंब के कारण भूमि विवाद, संरचना डिजाईन में परिवर्तन, एजेंसियों का अधूरा काम छोड़ना, स्थल का साफ न मिलना, मजदूर और सामग्री की कमी आदि थे। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन मामलों को कार्यों को शुरू करने से पहले सुलझा लेना चाहिए था।

(iv) निधियों का रखना

पंजाब वित्तीय नियमावली (पी.एफ.आर.) खंड - I का नियम 2.10 (ख) 5 प्रावधान करता है कि कोई भी धन कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी है जब तक इसके वितरण की तुरंत आवश्यकता न हो।

खिलाड़ियों को खेलों की नई तकनीक, चिकित्सा सुविधाएं और नए नियमों के बारे में जागरूकता प्रदान करने की दृष्टि से एस.वाई.ए. विभाग, हरियाणा ने जिला खेल परिषद (जि.खे.प.) भिवानी को भिवानी में क्षेत्रीय खेल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए ₹ 50 लाख की स्वीकृति दी (मार्च 2012) और राशि मार्च 2012 में हस्तांतरित की।

अभिलेखों की जांच (जनवरी 2015) ने प्रकट किया कि यह राशि जि.खे.प., भिवानी के बैंक खाते में अव्ययित पड़ी थी क्योंकि निदेशालय ने निधियों को उपयोग करने के निर्देश नहीं दिए। इस प्रकार, खिलाडियों को आधारभूत सुविधाओं से वंचित रखते हुए ₹ 50 लाख तीन वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे (दिसंबर 2015)। डी.एस.वाई.ए.ओ., भिवानी ने बताया (जनवरी 2016) कि उन्होंने निदेशक, एस.वाई.ए. विभाग को राशि व्यय करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया है परंतु इस संबंध में अभी तक कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. खेलकूद मूलभूत संरचना का रख-रखाव

जिम्नेसियम हाल/तरनताल/मिनी स्टेडियमों का नवीकरण

दो डी.एस.वाई.ए.ओज (अंबाला और यमुनानगर) के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि एस.वाई.ए. ने जुलाई 2008 से मार्च 2014 के दौरान अंबाला जिम्नेजियम हाल के नवीकरण तरनताल की मरम्मत तथा रूपाली (यमुनानगर) गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को ₹ 32.25[94] लाख हस्तांतरित किए। यह देखा गया कि:

- विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन करते समय (जुलाई 2013) उपनिदेशक ने पाया कि जिमनेजियम हाल की कृत्रिम छतगीरी में एक या दो स्थानों पर छिद्र थे। अंबाला में जिमनेजिम हाल के नवीकरण पर ₹ 16.63 लाख (जुलाई 2012) और ₹ 1.23 लाख (नवंबर 2013) व्यय करने के पश्चात् भी कमियों को दूर नहीं किया जा सका था जो मरम्मत कार्य की निम्न गुणवता को इंगित करता है। डी.एस.वाई.ए.ओ., अंबाला ने बताया (जून 2015) कि हाल की छत और कृत्रिम छतगीरी की हालत दयनीय थी और

[94] डी.एस.वाई.ए.ओ. अंबाला: ₹ 16.63 लाख (जुलाई 2012); ₹ 1.23 लाख (नवंबर 2013) और डी.एस.वाई.ए.ओ. यमुनानगर: ₹ 14.39 लाख जुलाई (2008) = ₹ 32.25 लाख।

खिलाड़ियों को चोट लगने का जोखिम था। तथापि, सच्चाई यह रही कि जिमनेजियम हाल की मरम्मत पर ₹ 17.86 लाख का व्यय करने के पश्चात् भी दिसंबर 2015 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

- भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, रूपाली गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यकारी अभियंता पी.आर.आई. यमुनानगर को जुलाई 2008 में ₹ 14.39 लाख निर्मुक्त किए गए थे। निष्पादन एजेंसी ने कार्य के 10 प्रतिशत पूर्ण करने पर व्यय किए गए ₹ 2.01 लाख, जो निरर्थक सिद्ध हुए क्योंकि जिस भूमि पर स्टेडियम बनाया जाना था, उस पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिए जा चुके थे, घटाने के पश्चात् ₹ 12.38 लाख विभाग को वापस कर दिए (दिसंबर 2008) इस तरह, मिनी स्टेडियम अनिर्मित रहा (दिसंबर 2015)।

इस तरह खेल आधारभूत संरचना पर किया गया ₹ 19.87[95] लाख के व्यय ने अभीष्ट उद्देश्य को प्रस्तुत नहीं किया था और परिणामस्वरूप निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, खिलाड़ी खेल आधारभूत संरचना की सुविधाओं से वंचित थे।

3. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण

(i) अनियमित भुगतान

हरियाणा सरकार ने ₹ 1,00,000 के मासिक भुगतान पर रोहतक में एक निदेशक सह मुख्य प्रशिक्षक, लॉन टेनिस अकादमी, की नियुक्ति की (30 अप्रैल 2012)। डी.एस.सी., रोहतक द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार, निदेशक सह-मुख्य प्रशिक्षक, चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह न्यूनतम 10 दिन के लिए प्रशिक्षण अवश्य देगा।

यह देखा गया कि मुख्य प्रशिक्षक ने मई 2012 से अक्तूबर 2014 तक की अवधि के लिए न्यूनतम 300 दिनों की आवश्यकता के विरूद्ध मात्र 50 दिनों के लिए प्रशिक्षण दिया। इस अवधि के लिए मुख्य प्रशिक्षक, यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या उसने अपेक्षित अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया था, को ₹ 28 लाख का भुगतान कर दिया था। इसके अतिरिक्त खिलाड़ी प्रशिक्षण से वंचित भी रहे क्योंकि यह 300 दिनों की आवश्कता के विरूद्ध मात्र 50 दिनों के लिए प्रदान किया गया था।

डी.एस.वाई.ए.ओ., रोहतक ने बताया (मई 2015) कि मुख्य प्रशिक्षक इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया था कि मुख्य प्रशिक्षक एक माह में कम से कम 10 दिन के लिए प्रशिक्षण देगा लेकिन उन द्वारा प्रशिक्षण का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था।

(ii) विद्यार्थियों से वसूली न करना

उपायुक्त, रोहतक, द्वारा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार निदेशक सह मुख्य प्रशिक्षक, 25 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देगा। शेष 15 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त करने हेत ₹ 3,000 प्रतिमाह भुगतान करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम माह जुलाई 2012 से प्रारंभ हुआ और जनवरी 2015 तक चला। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण (16 से 24 के बीच श्रृंखलित संख्या) दिया गया था परंतु विद्यार्थियों से ₹ 8.55 लाख की फीस प्राप्त नहीं की गई थी। डी.एस.वाई.ए.ओ. रोहतक ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (मई 2015) कि वसूली नहीं की गई

[95] ₹ 17.86 लाख + ₹ 2.01 लाख।

थी क्योंकि डी.सी., उपनिदेशक और डी.एस.वाई.ए.ओ. रोहतक ने मुख्य प्रशिक्षक से परिचर्चा करने के पश्चात् कोई फीस न लेने का निर्णय लिया था। इस प्रकार, विशिष्ट कार्यकारी आदेशों की अनुपस्थिति और प्रक्रिया न अपनाने के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों से वसूली नहीं हुई।

(iii) स्टेडियमों में प्रशिक्षकों/मैदान पालों/मैदान प्रबंधकों और चौकीदारों की कमी

- अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि जिला स्तर पर खेले जा रहे खेलों की तुलना में 2010-15 के दौरान प्रशिक्षकों की कमी 33 से 63 प्रतिशत के बीच थी।
- 92 मिनी स्टेडियमों में से 44 स्टेडियमों में मैदान प्रबंधक उपलब्ध नहीं थे। आगे, 30 मिनी स्टेडियमों में मैदान प्रबंधक 27 से 58 माह की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं थे।
- 42 मिनी स्टेडियमों में मैदानपाल उपलब्ध नहीं थे। अन्य 34 मिनी स्टेडियमों में मैदानपाल 26 से 56 माह के लिए उपलब्ध नहीं थे।
- 92 मिनी स्टेडियमों में 2010-15 की अवधि के दौरान कोई चौकीदार उपलब्ध नहीं थे।
- इसी तरह, आर.जी.जी.के.पीज में, 67 में से 65 में चौकीदार उपलब्ध नहीं थे।
- 67 आर.जी.जी.के.पीज में मैदान प्रबंधक 2 से 40 माह के बीच उपलब्ध नहीं थे।
- 65 आर.जी.जी.के.पीज में मैदानपाल 2 से 39 माह के बीच उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, नमूना-जांच किए गए जिलों में प्रशिक्षकों, मैदान प्रबंधकों, मैदानपालों और चौकीदारों की कमी ने मिनी स्टेडियमों और आर.जी.जी.के.पीज के रख-रखाव को बुरी तरह प्रभावित किया जैसा कि पैरा 4 में विवरणित है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षकों की कमी के कारण खिलाड़ी प्रशिक्षण से भी वंचित रहे।

4. संयुक्त निरीक्षण के दौरान देखी गई अनियमितताएं

खेलों की आधारभूत संरचना की सही स्थिति को जांचने की दृष्टि से छः जिलों[96] में 27 आर.जी.जी.के.पीज और 34 मिनी स्टेडियमों का एक संयुक्त निरीक्षण (विभागीय अधिकारियों के साथ) किया गया था। निरीक्षण के परिणामों को नीचे दिया गया है:

- 24 मिनी स्टेडियम (71 प्रतिशत) और 19 आर.जी.जी.के.पीज (70 प्रतिशत) उबड़-खाबड़ थे और खेल गतिविधियों के लिए योग्य नहीं थे।
- छः स्टेडियमों (10 प्रतिशत) में खेल के मैदानों के ऊपर से एक बड़ा जोखिम प्रस्तुत करते हुए बिजली की हाई टैंशन लाईन गुजर रही थी।
- रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद और भिवानी जिलों में 12 स्टेडियमों (35 प्रतिशत) के खेल मैदान निम्न क्षेत्रों में थे। पांच स्टेडियमों (15 प्रतिशत) में चारदीवारी टूटने के कारण घुमंतु पशु चर रहे थे जबकि आठ स्टेडियमों (24 प्रतिशत) में, उन्हें खेल गतिविधियों के लिए अयोग्य बनाते हुए, खेल मैदानों में झाड़ियां और कृषीय अपशिष्ट बिखरे हुए थे।

[96] मिनी स्टेडियम -34 (झज्जर-6, रोहतक-6, भिवानी-6, यमुनानगर-2, अंबाला-8 तथा फतेहाबाद-6)
आर.जी.जी.के.पी.-27 (झज्जर-6, रोहतक-6, भिवानी-5, यमुनानगर-2, अंबाला-6 तथा फतेहाबाद-2)।



भिवानी में बल्याली मिनी स्टेडियम में खेल के मैदान में पानी का गड्ढा

कुंगर, भिवानी में मिनी स्टेडियम में गंदे पानी का ड्रेनेज

कुंगर, भिवानी में मिनी स्टेडियम

- उपस्कर जैसे बॉस्केटबाल नैट, वालीबाल नैट, फुटबाल पोल, बैडमिंटन कोर्ट, भारोत्तोलन उपस्कर आदि मात्र 16 मिनी स्टेडियमों (47 प्रतिशत) और 23 आर.जी.जी.के.पीज (85 प्रतिशत) में उपलब्ध थे, जो स्टेडियमों में खेल उपस्करों की अपर्याप्त उपलब्धता को दर्शाता है, प्रोत्साहित युवाओं को खेल सुविधाओं से वंचित करता है।
- निरीक्षण किए गए 34 मिनी स्टेडियमों और 27 आर.जी.जी.के.पीज में से 32, 27 और 28 मिनी स्टेडियमों (क्रमश: 94, 79 और 82 प्रतिशत) तथा 19, 17 और 02 आर.जी.जी.के.पीज (क्रमश: 70, 63 और 7 प्रतिशत) में मूल सुविधाएं यथा बिजली, पानी और स्नानागृह उपलब्ध नहीं थे।
- आर.जी.जी.के.पीज में लगे 22 ट्यूबवैलों में से 21 (95 प्रतिशत) बिजली कनैक्शनों और उचित रख-रखाव की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे थे, जिनकी अनुपस्थिति में मूल सुविधाएं यथा शौचालय एवं स्नानागार उपयोग्य नहीं थे।

खेल आधारभूत संरचना के अननुरक्षण के मुख्य कारण मानवशक्ति की कमी और सही मानीटरिंग की कमी थे।

इस प्रकार, स्टेडियमों के निर्माण और सुपुर्द करने में विलंब थी। रख-रखाव में कमियों से अधोगति हुई, स्टेडियमों में खेल उपस्करों और मूल सुविधाओं की कमी, स्टाफ की कमी आदि भवन की प्रणाली और राज्य के उत्साहित खिलाड़ियों को उत्तम खेल आधारभूत संरचना प्रदान करने में निहित कमियों के सूचक थे। यह खेल संबंधी गतिविधियों और प्रशिक्षण प्रतिभा की परोन्नति पर बुरे प्रभाव के लिए बाध्य था।

मामला मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार खेल एवं युवा मामले विभाग को संदर्भित किया गया था (जुलाई 2015) और आगे, सितंबर 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

तकनीकी शिक्षा विभाग

3.26 कार्य के अविवेकपूर्ण आबंटन के कारण हानि

लोक निर्माण विभाग (बी. एंड आर.) के साथ प्रारंभिक लागत अनुमानों का विश्लेषण और तुलना किए बिना आर.आई.टी.ई.एस. को राजकीय बहुतनीकी के निर्माण कार्य के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई।

भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय ने ''कौशल विकास हेतु समन्वित कार्य योजना के अंतर्गत बहुतकनीकियों पर उपलक्ष्य'' नाम की एक स्कीम शुरू की (जनवरी 2009) जिसके

अंतर्गत सात जिलों[97] में राजकीय बहुतकनीकी (जी.पीज) स्थापित करने हेतु ₹ 12.30 करोड़ (प्रत्येक बहुतकनीकी के लिए ₹ 8.00 करोड़ निर्माण कार्य और ₹ 4.30 मशीनरी उपस्करों हेतु) की वित्तीय सहायता की जानी थी। राज्य सरकार द्वारा बहुतकनीकी की स्थापना के लिए भूमि मुफ्त दी जानी थी और ₹ 12.30 करोड़ से ऊपर का समस्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन करना था।

महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा (टी.ई.) हरियाणा पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया (जुलाई 2014) कि कथित स्कीम के अंतर्गत जी.पीज स्थापित करने के लिए सात स्थानों[98] की पहचान की गई थी (जनवरी 2009)। परन्तु केवल चार जी.पीज[99] के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन, ₹ 8.00 करोड़ प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए, (प्रत्येक जी.पी. के लिए ₹ 2.00 करोड़ निर्मुक्त किए गए थे) दिया गया था (मार्च 2010)। इन जी.पीज की स्थापना का कार्य प्रारंभ में सितंबर 2009 में पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को आबंटित किया गया था क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की दरें निम्न थी लेकिन बाद में निर्माण की गुणवता के उत्तम कीर्तिमान और पूर्व परियोजनाओं की समय पर संपूर्णता के दृष्टिगत कार्य आर.आई.टी.ई.एस. लिमिटेड को, परियोजना लागत जमा 6.45 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी.) प्रभारों के रूप में, दिया गया (मार्च 2010)। उपरोक्त कार्य के लिए आर.आई.टी.ई.एस. को मार्च 2010 में ₹ 8.00 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया था जबकि जी.पीज के निर्माण के लिए प्रारंभिक लागत अनुमान नवंबर 2010 में प्राप्त हुए थे। यद्यपि, आर.आई.टी.ई.एस. से प्राप्त दरें पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) की दरों से 30 प्रतिशत उच्चतर थी फिर भी विभाग आगे बढ़ा और जुलाई 2011 में आर.आई.टी.ई.एस. के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया।

आगे, तत्कालीन प्रधान सचिव, टी.ई.डी. के दृष्टांत पर पी.एम.सी. के रूप में आर.आई.टी.ई.एस. की संलिप्तता की मई 2012 में समीक्षा की गई और इस तर्क पर कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) हरियाणा द्वारा तैयार अनुमानों की तुलना में लागत अनुमान उच्चतर थे, सरकार ने अगस्त 2012 में निर्णय लिया कि कार्य पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) के माध्यम से निष्पादित करवाया जाए और कार्य की गुणवता को सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार, सरकार के निर्णय के बारे में आर.आई.टी.ई.एस. को अगस्त 2012 में सूचित कर दिया था और ब्याज सहित ₹ 8.00 करोड़ की राशि वापस करने के लिए कहा। आर.आई.टी.ई.एस. ने पी.एम.सी. फीस, पत्थर बिछाने और निविदा आमंत्रण नोटिस के प्रकाशन प्रभारों के रूप में ₹ 1.03 करोड़ की कटौती करने के पश्चात् ₹ 6.99 करोड़ की राशि इस तर्क पर वापस कर दी (अक्तूबर 2012) द्वारा अप्रैल 2012 में विभिन्न अभिकरणों को कार्य आबंटित किया गया था जबकि कार्य अगस्त 2012 में वापस लिया।

97 (i) रेवाड़ी, (ii) कैथल, (iii) यमुनानगर, (iv) कुरूक्षेत्र, (v) फतेहाबाद, (vi) पानीपत तथा (vii) पंचकुला।

98 (i) राजकीय बहुतकनीकी, लिसाना (रेवाड़ी), (ii) गुरू गोविन्द सिंह राजकीय बहुतकनीकी, चीका (कैथल), (iii) चौधरी रनबीर सिंह सिंचाई एवं पावर इंजीनियरिंग संस्थान, हथनी कुंड (यमुनानगर), (iv) राजकीय बहुतकनीकी, ऊमरी, (कुरूक्षेत्र), (v) राजकीय बहुतकनीकी, धांगड़, (फतेहाबाद), (vi) राजकीय बहुतकनीकी, जाटल (पानीपत) तथा (vii) राजकीय बहुतकनीकी, नानकपुरा (पंचकुला)।

99 (i) राजकीय बहुतकनीकी, ऊमरी, (कुरूक्षेत्र), (ii) राजकीय बहुतकनीकी, धांगड़, (फतेहाबाद), (iii) राजकीय बहुतकनीकी, जाटल (पानीपत) तथा (iv) राजकीय बहुतकनीकी, नानकपुरा (पंचकूला)।

इस प्रकार, आर.आई.टी.ई.एस. और पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर.), हरियाणा के प्रारंभिक लागत अनुमान का विश्लेषण और तुलना किए बिना आर.आई.टी.ई.एस. को कार्य आबंटन हेतु विभाग के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई।

प्रधान सचिव, टी.ई.डी. ने बताया (सितंबर 2015) कि भारत सरकार से प्राप्त ₹ 8.00 करोड़ की निधियां मार्च 2010 में, निधियों/अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए, विभाग और आर.आई.टी.ई.एस. के सयुंक्त खाते में जमा करवाई गई थी। बहुतकनीकियों के निर्माण के लिए वित्त विभाग का अनुमोदन अगस्त 2010 में प्राप्त किया गया था और उसके बाद जुलाई 2011 में अनुबंध हस्ताक्षरित हुए थे। आगे, यह बताया गया कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा परियोजना के प्रारंभिक लागत अनुमान पलिन्थ क्षेत्र दरों के आधार पर तैयार किए गए थे जो परिवर्तनीय थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य शुरू में पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) को 2009 में आबंटित किया गया था और आर.आई.टी.ई.एस. को ₹ 8.00 करोड़ का अग्रिम भुगतान, निधियों की केवल व्यपगत होने से बचाने के लिए प्रारंभिक लागत अनुमान का विश्लेषण और कोई अनुबंध किए बिना, कर दिया (मार्च 2010)। आगे, विभाग को नवंबर 2010 में पहले ही पता था कि आर.आई.टी.ई.एस. के प्रारंभिक लागत अनुमान लगभग 30 प्रतिशत उच्चतर थे। फिर भी, आर.आई.टी.ई.एस. से कार्य वापस लेने का निर्णय केवल अगस्त 2012 में लिया गया था।

यह तथ्य जानने के बावजूद कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) राज्य सरकार का एक विशेषज्ञ विभाग था और प्रारंभिक लागत अनुमान भी निम्न थे, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को नवंबर 2010 में कार्य को आबंटित न करना वित्तीय विवेक की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप जी.पीज के निर्माण में विलंब के अतिरिक्त ₹ 1.03 करोड़ की हानि हुई।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.27 महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रापण

प्री स्कूल शिक्षा किटों के प्रापण में देरी, फर्नीचर की अधिक खरीद, बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय, निधियों का विपथन और अनियमित खरीद के मामले देखे गए थे।

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) विभाग, हरियाणा राज्य में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.), के अंतर्गत अनेक खाद्य पदार्थ, प्री शिक्षा किट्स और फर्नीचर इत्यादि डब्ल्यू.सी.डी. विभाग द्वारा खरीदे जा रहे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि, सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण, क्रय और उपयोग सही ढंग से वित्तीय नियमों, विनियमों, अनुदेशों इत्यादि के संदर्भ में किया गया था, निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. पंचकुला और पांच जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी.पी.ओज)[100] के कार्यालय में एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के संबंध में 2010-15 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना-जांच नवंबर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान की गई। निम्न अनियमितताएं देखी गई:

(i) प्री स्कूल शिक्षा किटों के प्रापण में देरी

अनौपचारिक और खेल विधि के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों (ए.डब्ल्यू.सीज) में प्री स्कूल शिक्षा (पी.एस.ई.) सुदृढ़ करने के लिए बड़े भाई-बहनों को स्कूल में उपस्थित होने के योग्य बनाने के

[100] मेवात, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर तथा पानीपत।

लिए, केंद्रीय सरकार ने पी.एस.ई. किटों के लिए मानकों को ₹ 500 से ₹ 1,000 प्रति ए.डब्लयू.सी. प्रतिवर्ष तक संशोधित कर दिया (मई 2009)। इस प्रयोजन के लिए किटें, प्रत्येक अपर उपायुक्त (ए.डी.सी.) की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित समितियों द्वारा खरीदी जानी थी।

विभाग ने 20,398 पी.एस.ई. किटों की खरीद के लिए मार्च 2010 में ₹ 1.73 करोड़ आहरित किए।परंतु खरीद प्रक्रिया के अंतिमकरण में देरी के कारण, क्रय आदेश 90 दिनों की समयसीमा के साथ सितंबर 2010 में दिया जा सका। पी.एस.ई. किटें, तथापि, एक वर्ष की देरी के बाद अप्रैल-मई 2011 में सुपुर्द की गई, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे एक वर्ष तक पी.एस.ई. किटों की सुविधाओं से वंचित रहे इसके अतिरिक्त आवश्यकता से पहले निधियों के आहरण के कारण ₹ 16.12[101] लाख के ब्याज की हानि हुई। पी.एस.ई. किटों के प्रापण में देरी की ऐसी ही अनियमितता वर्ष 2009-10 के लिए आडिट रिपोर्ट (पैरा 1.2.12.27) में भी इंगित की गई थी। लोक लेखा समिति ने, रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए (2014-15) मामले की जांच करने और उन अधिकारियों जिनके कारण कार्रवाई में विलंब हुआ, का उत्तरदायित्व नियत करने की सिफारिश की। तथापि, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है (दिसंबर 2015)।

डब्ल्यू.सी.डी. विभाग ने बताया (दिसंबर 2014) चूंकि मुख्यमंत्री का अनुमोदन 30 मार्च 2010 को प्राप्त हुआ था, निधियां इन्हें भारत सरकार से दुबारा वैध करवाने की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए आहरित कर ली गई थी और यक निधियां ए.डी.सीज के डिस्पोजल में रखी गई थी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मामला अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को 30 मार्च 2010 को प्रस्तुत किया गया था और यह उसी दिन इन अनुदेशों के साथ अनुमोदित कर दिया गया था कि प्रापण मामले भविष्य में समय पर अंतिम कर लिए जाने चाहिए। तथापि, तथ्य यह रहता है कि किटों के प्रापण में एक वर्ष से अधिक देरी थी।

(ii) फर्नीचर की अधिक खरीद

पंजाब वित्तीय नियमों के नियम 15.2 में प्रावधान है कि खरीद लोक सेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुरूप अत्यंत मितव्ययी ढंग से की जानी चाहिए। डी.पी.ओ, सिरसा के स्टॉक अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 4.73 करोड़ के झूले, प्लास्टिक की कुर्सियां और मेजें ए.डी.सी. सिरसा द्वारा बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत जिले के सभी 914 ए.डब्ल्यू.सीज में मार्च 2010 से जून 2010 के दौरान प्रदान की गई। तथापि, निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. द्वारा वास्तविक आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना ₹ 85.14 लाख की वही फर्नीचर मदें अर्थात् झूले, प्लास्टिक कुर्सियां और मेजें जून 2011 और मई 2013 के बीच पुन: खरीदी गई और सिरसा जिले के ए.डब्ल्यू.सीज में आपूरित की गई।

डी.पी.ओ., सिरसा ने कहा (जनवरी 2015) कि अधिक फर्नीचर अन्य केंद्रों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि फर्नीचर जिले के सभी केंद्रों में अधिकता में था और खरीदें आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद की जानी चाहिए थी।

(iii) सरकारी अनुदान का विपथन

डी.पी.ओ., झज्जर के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 11.95 लाख की राशि फरवरी 2011 में सिविल सर्जन, झज्जर द्वारा एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत भेजी गई थी। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अनुदेशों के अनुसार, यह राशि जागरूकता हेतु स्कूलों में समूह बैठकें, रैली, क्विज/सेमिनार/डिबेटस और प्रतियोगिताएं आयोजित करने

[101] ₹ 1.73 करोड़ X 13 मास X 8.60 प्रतिशत = ₹ 16.12 लाख।

के लिए प्रयोग की जानी थी। तथापि, यह राशि मार्गनिर्देशों की उल्लंघना में, भारोत्तोलन मशीनों की खरीदों पर व्यय की गई। डब्ल्यू.सी.डी.पी.ओज सालहावास और बहादुरगढ़, ग्रामीण-I और II ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि खरीद सिविल सर्जन, झज्जर के परामर्श पर की गई थी और समय की कमी के कारण निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी। तथ्य यह रहता है कि अनुदान विपथित किया गया जो एन.आर.एच.एम. के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन था।

(iv) अनियमित खरीद

निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. विभाग ने लाभग्राहियों के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जुलाई 2010 में अनुदेश जारी किए थे जिसमें पूरक पोषक कार्यक्रम के अंतर्गत रिसीपीज में बिस्कुट, टाफी और उल्लंघन में मेथी शामिल नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि इन अनुदेशों के विपरीत; डी.पी.ओ., फरीदाबाद ने 2010-11 के दौरान ₹ 16.29 लाख के बिस्कुट और टाफी खरीदे और डी.पी.ओ., पलवल ने 2010-13 के दौरान ₹ 8.14 लाख की कस्तूरी मे थी खरीदी। निदेशक, डब्ल्यू.सी.डी. विभाग ने बताया (मई 2015) कि डी.पी.ओज पलवल और फरीदाबाद से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि इस प्रकार की अनियमितता भविष्य में दोहराई न जाए।

(v) बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

उपायुक्त-सह-चेयरमैन, बी.आर.जी.एफ., सिरसा ने ए.डब्ल्यू.सीज में प्रयोग के लिए बर्तनों की खरीद के लिए ₹ 27.50 लाख की राशि संस्वीकृत की (सितंबर 2012)। कुछ विशिष्ट ब्रांड[102] के स्टेनलेस स्टील के उत्पादों की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए। पांच फर्मों की वित्तीय बोलियां खोली गई, यद्यपि उनकी तकनीकी बोलियां नियमानुसार नहीं थी क्योंकि वे वांछित ब्रांड के बर्तनों के लिए बोलियां नहीं लगा रहे थे। 17,000 मोजैक ब्रांड के बर्तनों के सेटों, जो टेंडर आमंत्रित करने वाले नोटिस में उल्लिखित अपेक्षित ब्रांड के अनुसार नहीं थे, की आपूर्ति करने के लिए मैसर्ज आशुतोष ट्रेडिंग, अंबाला (बोलीकर्ताओं में निम्नतम) को आपूर्ति आदेश दिया गया (अक्तूबर 2012)। फर्म ने जनवरी 2013 में सामग्री की आपूर्ति की और ₹ 28.22 लाख का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार, ऐसे बर्तनों, जो टेंडर में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपेक्षित ब्रांड के नहीं थे, की खरीद अनियमित थी। डी.पी.ओ., सिरसा ने बताया (जनवरी 2015) कि बर्तन, टेंडर आमंत्रित करके खरीदे गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि टेंडर की पूर्व-अपेक्षित शर्तों की उपेक्षा करके बोली की स्वीकृति अनियमित थी।

(vi) खुले बाजार से उच्चतर दरों पर खाद्य पदार्थों की खरीद के कारण हानि

भारत सरकार के गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्नों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाना तथा खुले बाजार से इन मदों की खरीद की बजाय सबसिडाइज्ड दरों पर भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से निर्धारित कोटा उठाना अपेक्षित था।

2010-11 की अवधि के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम की मदों की खरीद से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 21 में से 12 डी.पी.ओज[103] ने एफ.सी.आई. को देय दरों की तुलना में तीन से चार गुणा उच्चतर दरों पर खुले बाजार से ₹ 1.11 करोड़ मूल्य के गेहूं, गेहूं का आटा, दलिया और चावल खरीदे। भारत सरकार के अनुदेशों की अनुपालना न करने और

102 विनोद, क्राफ्ट, बैजाल, प्रोस्टिज, जिंदल, श्री एंड सैम और पुष्पांजलि।

103 अंबाला, हिसार, जींद, गुडगांव, कुरूक्षेत्र, रोहतक, मेवात, नारनौल, सिरसा, पानीपत, रेवाड़ी तथा फरीदाबाद।

आवश्यकता के निर्धारण के लिए अनुचित आयोजना के कारण, विभाग ने ₹ 75.02 लाख का अतिरिक्त व्यय किया। निदेशक, डब्लयू.सी.डी. विभाग ने बताया (मई 2015) कि डी.पी.ओज ने खुले बाजार से खाद्यान्न अपने स्तर पर खरीदे। तथापि, भविष्य में ऐसी अनियमितता न दोहराने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

इस प्रकार, पी.एस.ई. किटों के प्रापण में देरी, फर्नीचर की अधिक खरीद, बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय, सरकारी अनुदान का विपथन और एस.एन.पी. मदों की अनियमित खरीद के मामले थे।

मामला मई 2015 में हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को संदर्भित किया था और जुलाई 2015 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2016)।

(महुआ पाल)

चण्डीगढ़ **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

दिनांक: